खण्ड-192, अंक-10
गुरूवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(13 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

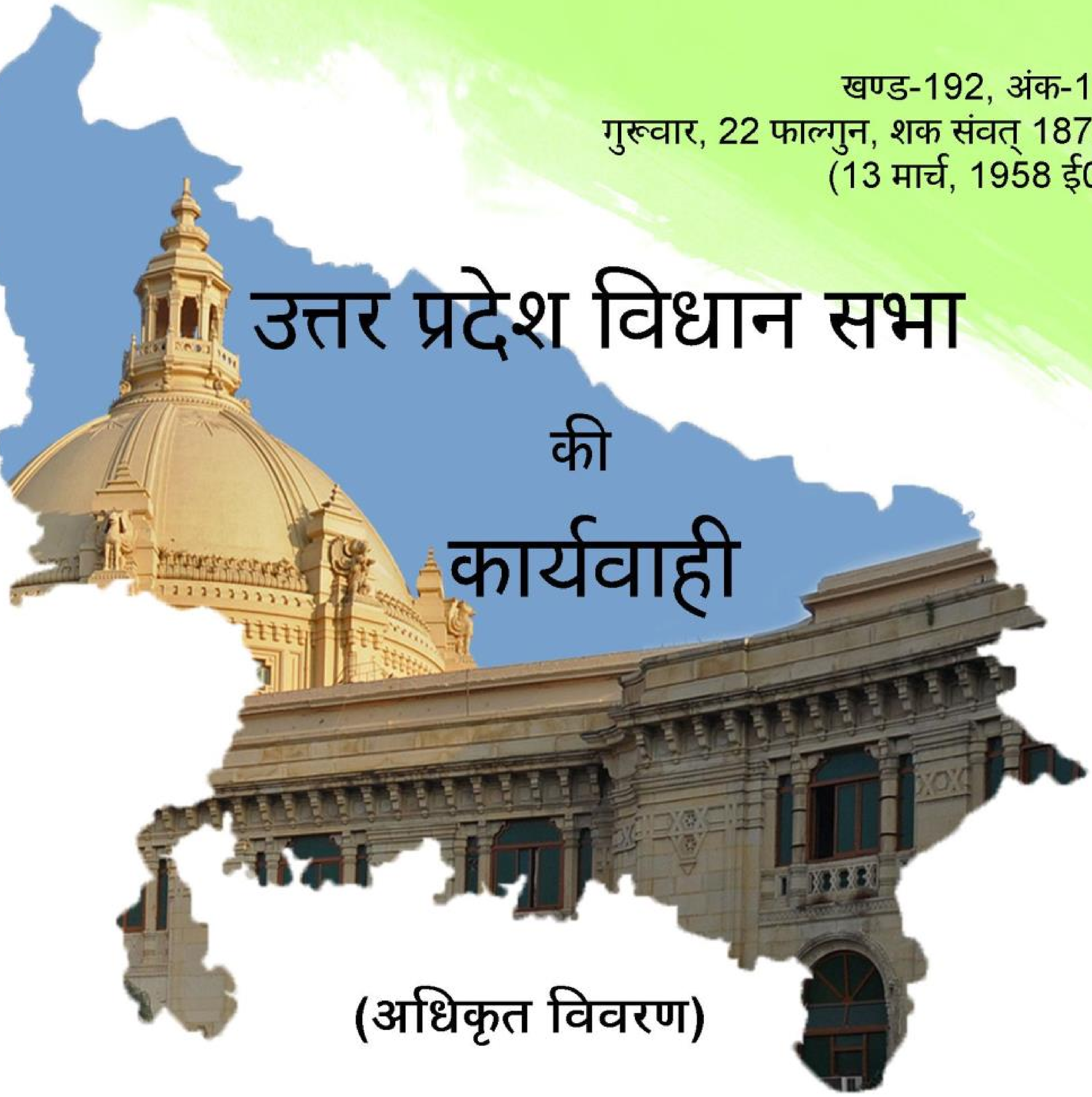

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १३ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३२५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदा सिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती

बंजूराम, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेश सिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुना सिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री

रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुलइस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिराजबहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १३ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लोक सेवा आयोग की अस्वीकृति के बाद भी काम करने वाले गजटेड आफिसर्स तथा हेड्स आफ डिपार्टमेंट

**१--श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)--क्या मुख्य मन्त्री जी २० फरवरी, ५८ के प्रश्न १०० के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जो २२ गजटेड आफिसर और हेड आफ डिपार्टमेंट लोक सभा आयोग की अस्वीकृति के बाद भी कार्य करते हैं वे कौन-कौन हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६५ पर)

**२--श्री गौरी शंकर राय--क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ये लोग कितने-कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सूचना के एकत्र करने में काफी समय लगेगा ।

**३--श्री गौरीशंकर राय--क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि कितने दिनों तक यह प्रश्न विचाराधीन रहेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शीघ्र ही अन्तिम निर्णय करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग की अस्वीकृति के बाद भी यह अफसर किस आधार पर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन सब लोगों के सम्बन्ध में कमीशन से चिट्ठी-पत्री हो रही है ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के सूचना संचालक को भी लोक सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया है और फिर भी उनका नाम इस सूची में नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरी समझ में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसकी सूचना नहीं है कि अस्वीकार किया होगा वर्ना उनका नाम जरूर होता ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--जिस चिट्ठी-पत्री का जिक्र अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया, क्या कमीशन अब भी जिद कर रहा है कि इस तरह के लोगों को इन पदों पर न रखा जाय ?

श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कई पत्र इस प्रकार आये और गये लेकिन अभी कुछ निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इन में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके सम्बन्ध में बार-बार सरकार की ओर से लिखे जाने पर भी कमीशन ने अस्वीकार कर दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब मैंने कहा कि कई बार खतो-किताबत हुई है तो जाहिर बात है ।

वन विभाग के कुमायूं वृत्त की लकड़ी के अनधिकृत ढंग से बाहर जाने की शिकायत

**४—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस आशय की कोई शिकायत आयी है कि वन विभाग के कुमायूं सर्किल से लाखों रुपये की कीमती इमारती लकड़ी अनधिकृत ढंग से जंगलों से बाहर चली गयी और बिक गयी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)—सरकार के पास कुमायूं वृत्त जंगलों से अनधिकृत ढंग से लकड़ी बाहर ले जाने के विषय में एक शिकायत आयी है और इस मामले की जांच हो रही है ।

सिनेमा मालिकों द्वारा नवीन कर का विरोध

**५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि तारीख २४ फरवरी, ५८ को यू० पी० सिनेमा दिखाने वालों ने बढ़े हुए टैक्स के विरोध में सारे सिनेमा बन्द रखे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

कठकुइयां चीनी मिल क्षेत्र के गन्ने को बाहरी मिलों में पेरवाने का सुझाव

**६—श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कठकुइयां चीनी मिल क्षेत्र में सीजन के अन्तिम भाग में भी लाखों मन गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के गन्ने को अन्य मिलों में भेजने की व्यवस्था कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—वर्तमान सीजन के अन्तिम भाग में कठकुइयां चीनी मिल को अपने क्षेत्र का लगभग ९.९८ लाख मन गन्ना उपलब्ध हो सकेगा और इस मिल द्वारा यह गन्ना अगले अप्रैल तक क्रश हो जाने का अन्दाजा किया जाता है ।

श्री रामायण राय—इस चीनी मिल के क्षेत्र में कुल कितने मन गन्ने की परताल हुई थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उनके यहां १५ फरवरी, १९५८ तक १० लाख ७४ हजार मन गन्ना क्रश हो चुका है और अन्दाज यह है कि बाकी भी ३ अप्रैल तक क्रश हो जायगा ।

श्री रामायण राय—इस मिल की क्रशिंग कैपेसिटी क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१५,५०० मन प्रति दिन ।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि जब तक यह गन्ना इस मिल में पेरा जायगा उसके पहले और सभी मिलें वहां बन्द हो जायेंगी और इसमें किसानों को तकलीफ उठानी पड़ेगी । तो इस बात के ऊपर गौर करके सरकार उस गन्ने को दूसरी मिल में पेरवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे यह मालूम नहीं है लेकिन जो बात आपने कही उसकी बाबत एक बात मैं बता देता हूं कि इसकी जांच के लिए कि कहां के गन्ने का क्या होने वाला है, इस वक्त एक कमेटी बैठी हुई है, जो इस बात पर गौर कर रही है । इसी मिल की बाबत नहीं बल्कि औरों की भी बाबत । तो उसके मुताल्लिक मैं यह मामला भी कर दूंगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कठकुइयां मिल में कुल कितना सट्टा हुआ था, क्षेत्र भर के गन्ने का ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बांडिंग जो उन्होंने इस साल ऐक्सेप्ट किया उसकी फिगर मेरे पास इस वक्त नहीं हैं ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी) ---क्या माननीय वित्त मन्त्री जी बताने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि यदि बांडिंग की फिगर्स उनके पास नहीं हैं तो यह गन्ना किस प्रकार, किस औसत से रोजाना क्रश किया जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह बांडिंग में से तो आया ही गन्ना । बगैर बांडिंग के तो आया नहीं है । मैंने यह कहा कि टोटल फिगर्स मेरे पास इस वक्त नहीं हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि एक कमेटी बैठी हुई है । तो कृपाकर वह यह बतायेंगे कि कौन-सी कमेटी बैठी हुई है और किस काम के लिए, क्योंकि इसके लिए तो शुगर केन बोर्ड बना हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं, यह उस बोर्ड का काम नहीं है । वह तो है सारे स्टेट भर के लिए । यह तो किसी मिल में कभी उस किस्म की जरूरत पैदा होती है तो गवर्नमेंट एक कमेटी बना देती है । वह यह काम करती है ।

तारांकित प्रश्न

तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव का कुर्क अमीन

*१---**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में कुल कितनी जगहें कुर्क अमीनों की हैं तथा उनमें कितने हरिजन कुर्क अमीन हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में कुर्क अमीनों का एक पद है जिस पर कार्य करने वाला हरिजन नहीं है ।

*२-३---**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (अनुपस्थित)---[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में मालगुजारी की वसूली में अनियमितता की शिकायत

*४---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील की खरीफ एवं रबी की मालगुजारी अलग-अलग कितनी-कितनी है ?

श्री चरण सिंह---आजमगढ़ जिले में प्रत्येक तहसील की खरीफ एवं रबी १३६४ फसली की अलग-अलग सम्पूर्ण मालगुजारी निम्नांकित है :---

नाम तहसील	खरीफ १३६४ फसली की सम्पूर्ण मालगुजारी	रबी १३६४ फसली की सम्पूर्ण मालगुजारी
सदर	४,०६,२६५·०६	४,७२,२८७·४५
मुहम्मदाबाद ..	४,४२,६३०·५५	५,००,९२१·१२
फूलपुर	६,४१,२८४·७०	७,७२,७००·४९

नाम तहसील	खरीफ १३६४ फसली की सम्पूर्ण मालगुजारी	रबी १३६४ फसली की सम्पूर्ण मालगुजारी
लालगंज ..	.. ३,८५,९१३·८०	४,५०,१०२·८६
सगड़ी ..	.. ३,८९,००७·६१	४,५०,५६६·१८
घोसी ..	.. ४,९४,७९८·७०	५,१७,५१३·४०
योग	.. २७,५९,९००·४२	३१,६४,०९१·५०

*५--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में रबी एवं खरीफ की कितनी-कितनी मालगुजारी अलग-अलग तहसीलों में वसूल की गयी ?

श्री चरणसिंह--खरीफ एवं रबी १३६४ फसली में अलग-अलग तहसीलों में निम्नांकित मालगुजारी वसूल की गयी :--

नाम तहसील	खरीफ १३६४ फसली में मालगुजारी की वसूली	रबी १३६४ फसली में मालगुजारी की वसूली
सदर ..	.. २,५९,४०७·३४	२,३४,९३३·३५
मुहम्मदाबाद	.. २,१४,१६२·९४	१,६५,९४९·७३
फूलपुर ..	.. ४,११,१७९·६२	३,२९,६२२·४८
लालगंज ..	.. ३,२१,४५१·४५	२,२५,६५१·३४
सगड़ी ..	.. २,९८,९६४·४१	२,१२,०८६·९३
घोसी ..	.. १,८५,०१५·०८	२,२५,९८१·७७
योग	.. १६,९०,१८०·८४	१३,९४,२२५·६०

*६--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में रबी किस्त की मालगुजारी प्रत्येक तहसील में अलग-अलग किन-किन महीनों की तारीखों में आखिरी बार वसूल की गयी है ?

श्री चरण सिंह--रबी १३६४ फसली की मालगुजारी प्रत्येक तहसील में अलग-अलग निम्नांकित तारीखों में आखिरी बार वसूल की गयी :--

नाम तहसील	रबी १३६४ फसली की आखिरी बार मालगुजारी वसूली की तारीख
सदर ..	.. २७ सितम्बर, १९५७
मुहम्मदाबाद..	.. २६ ,, ,,
फूलपुर ..	.. २७ ,, ,,
लालगंज ..	.. २६ ,, ,,
सगड़ी ..	.. २६ ,, ,,
घोसी ..	.. २६ ,, ,,

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो १३६४ फसली की रबी और खरीफ में मालगुजारी की आधे से अधिक वसूली हुई है, उसका कारण क्या है ?

श्री चरण सिंह---मालगुजारी की वसूली आधी क्यों वसूल की जाय पहले तो यह मालूम होना चाहिये । सारी वसूल होनी चाहिये थी और जितना नुकसान हुआ है उसकी माफी की गयी, वह वसूल नहीं की गयी । तो आधे का कौन सा गर्ज है आपका ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि इन तहसीलों की मालगुजारी में रबी और खरीफ की आधे से अधिक की छूट थी और फिर भी मालगुजारी आधे से अधिक वसूल की गयी ?

श्री चरणसिंह---यह बात गलत है ।

श्री रामायण राय---छूट का कागज बिना बांटे ही कैसे माननीय माल मंत्री जी कहते हैं कि आधे से अधिक लगान वसूल नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने सब बता दिया है कि सम्पूर्ण मालगुजारी कितनी है और कितनी वसूल हुई । जब यह सवाल पूछा गया उन्होंने बता दिया । इससे आप नतीजे उल्टे सीधे कल्पना नहीं कर सकते ।

श्री गेंदासिंह---दोनों किस्तों में मुल्तवी में फर्क क्यों है ? मेरे कहने का मतलब यह है .....

श्री चरणसिंह---जी, मैं समझ गया । फसलवार फर्क होता है । अगर खरीफ की फसल ज्यादा अच्छी है किसी जिले में या किसी तहसील में परगने में भी तो उसकी किस्त मालगुजारी बजाय ८ आने के १० आने, १२ आने तक होती है और रबी की फसल किसी तहसील में बमुकाबले खरीफ के ज्यादा होती है तो उसमें भी ९,१०,११ आने तक होती है । इसलिये रबी और खरीफ की फसलें बिलकुल ८,८ आने ही नहीं होती किसी जिले में । शायद किसी जिले में हो ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितना लगान फसली किस्तों के लिहाज से वसूल किया गया और कितना शुरू साल में एकमुश्त वसूल किया गया है ?

श्री चरणसिंह---सवाल समझ में नहीं आया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मेरा प्रश्न यह है कि दो किस्तों में लगान वसूल किया जाता है, रबी और खरीफ में । तो यह बतायें कि कितना लगान फसली किस्तों के हिसाब से हुआ है, यानी रबी और खरीफ का और कितना लगान ऐसा है जो दोनों फसलों का एकमुश्त वसूल कर लिया गया ?

श्री चरण सिंह---मैं जवाब दे चुका हूं ।

नैनीताल जिले के तराई कालोनाइजेशन में राजनीतिक पीड़ितों की जमीन की मंसूखी

*७---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तराई कालोनाइजेशन नैनीताल में जहां पर राजनीतिक पीड़ितों को भूमि दी गयी है कितने राजनीतिक पीड़ितों की भूमि जनवरी, १९५३ से ३१ अक्टूबर, १९५७ तक कैंसिल की गयी ?

श्री चरणसिंह---१८७ राजनीतिक पीड़ितों की भूमि कैंसिल की गयी ।

*८---**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्जे की सामूहिक जिम्मेदारी से कैंसिल की गयी भूमि से सम्बन्धित सदस्य को बरी करने के बारे में वह विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--सरकार ने इस विषय पर बिचार करके यह आदेश जारी कर दिये हैं कि सरकारी मतालबा जो खारिजशुदा राजनीतिक पीड़ितों के नाम है उनसे वसूल किया जायगा ।

*९--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार कैंसिल की हुई भूमि को एलाट करते समय भूमि लेने वाले व्यक्ति से भूमि की तोड़ाई कन्ट्रीब्यूशन आदि कर्ज को लेकर भूमि एलाट करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि खारिजशुदा राजनीतिक पीड़ितों की भूमि उनको कोआपरेटिव सोसाइटी की सिफारिशों पर फिर दी जा सकती है अगर वह सरकारी मतालबे की रकम दे दे । पुराने खारिजशुदा राजनीतिक पीड़ितों का वाजिबुलअदा कर्जा नये भूमि लेने वाले से नहीं वसूल किया जायगा मगर ऐसे नये व्यक्ति से अगर वह भूमिहीन या राजनैतिक पीड़ित या हरिजन है तो उन से भूमि की तोडाई (कन्ट्रीब्यूशन) का ५०० रुपया तीन किस्तों में वसूल किया जायगा और अगर भूमि बंजर हो गयी है तो उसको कन्ट्रीब्यूशन का रुपया नहीं देना पड़ेगा और वह भूमि को काश्त में ६ महीने में लाने का जिम्मेदार होगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बहुत से राजनीतिक पीड़ितों की भूमि कैंसिल कर दी गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--जब उन्होंने जमीन पर काश्त नहीं की या करायी नहीं और जमीन लेकर बैठ गये तो उनकी जमीन कैंसिल कर दी गयी ।

श्री मुक्तिनाथ राय--जिन राजनीतिक पीड़ितों की भूमि कैंसिल कर दी गयी है और उन्होंने भूमि से कोई लाभ नहीं उठाया तो क्या सरकार ऐसे राजनीतिक पीड़ितों को भूमि का लगान व कन्ट्रीब्यूशन मनी माफ करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, वह देना पड़ेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--जो आज्ञा जमीन के एलाटमेंट के कैंसेलेशन के सम्बन्ध में सरकार ने जारी की है वह केवल राजनीतिक पीड़ितों के लिए ही है या दूसरे एलाटीज के लिए भी है ?

श्री चरणसिंह--यह गालिबन सबके लिए है, जहां तक मुझे याद पड़ता है । वैसे प्रैक्टीकली राजनीतिक पीड़ितों पर ही इसका असर पड़ा है, क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स आते हैं वे जमीन छोड़ते नहीं । जो एक्स सर्विस मिलिटरी पर्सनल है उससे जमीन छूट गयी है । लिहाजा यह सवाल अधिकतर राजनीतिक पीड़तों के लिए ही उठा है जो मौके पर नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--राजनीतिक पीड़ितों ने जमीन पर कब्जा नहीं किया और उस पर खेती नहीं की क्या इसका कारण यह भी है कि उनकी जमीन समय से ट्रेक्टराइज नहीं की गयी और जो मकान एलाट किये गये वे टूटे हुए थे ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, यह कारण नहीं है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों की जमीन कैंसिल करने के पहले उनको चेतावनी दी गयी थी कि अगर वे जा कर नहीं बसेंगे और काम नहीं करेंगे तो उनकी जमीन कैंसिल कर दी जायगी ?

श्री चरणसिंह--चेतावनी की आवश्यकता नहीं थी । जिन शर्तों पर उनको जमीन दी गयी थी उन शर्तों में से एक यह भी शर्त थी कि वे कब्जा करेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो जमीन से बेदखल हो जायेंगे । इसके अलावा कैंसेलेशन का नोटिस भी गया । इस पर भी आकर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया उनके साथ रियायत कर दी गयी ।

श्री केशव पांडेय--जिन राजनीतिक पीड़ितों की भूमि कैंसिल हो गयी है और जिनसे पैसा वसूल करने की बात है तो क्या सरकार कारण का पता लगायेगी, जिसके कारण उनको जमीन छोड़नी पड़ी ?

श्री चरणसिंह--७०० पोलिटिकल सफरर्स थे जिनको जमीन तराई में दी गयी । १८७ कैंसेलेशन हुए । कुछ लोग ऐसे भी थे जो पोलिटिकल सफरर्स नहीं थे और जिनको पोलिटिकल सफरर के नाते जमीन मिल गयी थी । तहकीकात करायी गयी लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम थी । ज्यादातर केसेज ऐसे ही थे जिन्होंने जमीन पर कब्जा नहीं किया था या जमीन पर काश्त नहीं की और जिनके पास जमीन पहले से ही थी या उनके पास पहले से ही कुछ रोजगार था । सरकार ने जमीन ट्रेक्टराइज करा कर उनको दे दी और उसके लिये वे जिम्मेदार हो गये । यह उसूल नहीं माना जा सकता कि कोई आदमी जमीन खाली रखे और वह लगान न दे ।

श्री अक्षयवर सिंह (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो जमीन कैंसिल हुई है उसके सम्बन्ध में कोआपरेटिव सोसाइटी से पूछा गया या नहीं ?

श्री चरणसिंह--जहां तक मुझे याद है कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि कोआपरेटिव सोसाइटी से पूछा जायगा । हां, जो दूसरे नये एलाटमेंट हो रहे हैं उनमें कोआपरेटिव सोसाइटीज जिनके लिये रजामन्द होती है उनको एलाट करने की कोशिश की जाती है ।

श्री राजनारायण--जो वास्तव में राजनीतिक पीड़ित नहीं थे, जैसा कि सरकार ने बतलाया भी, उनको बिना सर्टिफिकेट के राजनीतिक पीड़ित मानकर जमीन दी गयी या उन्होंने राजनीतिक पीड़ित होने का सर्टिफिकेट हासिल किया तब उन्हें जमीन दी गयी ?

श्री चरणसिंह--अब इसकी तफसील मुझको याद नहीं है, लेकिन बिना सर्टिफिकेट दी नहीं गयी होगी । लेकिन जो आदमी गलत होता है वह सर्टिफिकेट भी हासिल कर ही लेता है । इसमें राजनीतिक पीड़ितों का क्या दोष, अगर कुछ लोगों ने राजनीतिक पीड़ित बनकर जमीन हासिल कर ली थी ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि जो राजनीतिक पीड़ित तो नहीं हैं लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी रकम कर्ज की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--यह जमीन के बारे में प्रश्न है, कर्ज के बारे में नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि तराई में जमीन को आबाद करने के लिये जिन लोगों को वह एलाट की गयी है वह उनकी है या सोसाइटी की, जिसके कि वे मेम्बर हैं ?

श्री चरण सिंह--यह कानूनी बात है । इसके लिये मुझको लोज डोड देखना होगा या माननीय मित्र स्वयं देख लें ।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या माननीय मंत्री यह जानने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि अलाटीज का ट्रैक्टाराइजेशन आफ लैंड बाद को हुआ या उनका मकान टूटा होने की वजह से और मकान ठीक न होने के कारण ट्रैक्टराइजेशन हुआ है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, तहकीकात की जरूरत नहीं है । जिस आदमी को जमीन दे दी गयी थी अगर उसको जरूरत थी तो वह झोपड़ी डाल लेता, मकान की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि गिरधरपुर, रामेश्वरपुर इत्यादि जो दूसरे गांव हैं वहां ७५ प्रतिशत मकान टूटे हुए थे जिनमें अलाटीज कब्जा लने के लिये गये थे ?

श्री चरणसिंह---यह कोई बात नहीं कही गयी थी कि मकान बनाकर दिया जायगा। अगर पूरी तरह से मकान नहीं बनाये जा सके तो इससे कोई जस्टिफाइड नहीं हो गया जमीन काश्त न करने के लिये।

तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के तहसीलदार की इजलास के मुकदमे

*१०---श्री उग्रसेन---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के तहसीलदार के इजलास द्वारा---

(अ) कितने मुकदमे लिये गये ?
(ब) कितने तीन माह में निर्णय हुए ?
(स) कितनों के निर्णय में एक साल से अधिक समय लगा ?
(द) कितने अब भी चल रहे हैं ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)---मांगी हुई सूचना निम्न प्रकार है :---

(अ) २,१३० माल तथा १२३ फौजदारी के मुकदमे।
(ब) १,१०६ माल तथा ११७ फौजदारी के मुकदमे।
(स) एक भी नहीं।
(द) जनवरी, सन् १९५८ के अन्त में २४७ माल तथा १ फौजदारी मुकदमे चल रहे थे।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जनवरी, १९५८ में २४७ मुकदमे चल रहे थे, उनमें कितने मुकदमे सब से लम्बी अवधि के थे ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---कहा जा चुका है कि एक साल से अधिक का कोई मुकदमा नहीं है।

देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में पटवारियों से बनाये गये लेखपाल

*११---श्री उग्रसेन---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया तथा गोरखपुर जिलों के कितने भूतपूर्व पटवारी लेखपाल बनाये गये हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जिला देवरिया में १२४ तथा जिला गोरखपुर में २४५।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, "पटवारी" होना चाहिये था, इस (कार्य सूची) में दरबारी छपा है।

श्री चरण सिंह---मैंने "पटवारी" का ही जवाब दिया है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया में कितने पटवारी, वेटिंग लिस्ट में हैं, जिसमें से केवल १२४ आदमी लिये गये ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन आधारों पर भूतपूर्व पटवारी छांट दिये जाते हैं, लेखपाल नहीं बनाये जाते हैं, कौन से खास आधार हैं ?

श्री चरण सिंह---जो जगह आगे की खाली होती जा रही हैं, उनके सिलसिले में यह नियम हैं कि उनमें से आल्टरनेटिवली यानी अगर पहली जगह खाली हुई तो वह भूतपूर्व पटवारी को दी जाय तो दूसरी नये ट्रेनी को जो लेखपाल स्कूल से पास कर चुका है, तीसरी फिर पटवारी को, इस तरह से १-३-५ के हिसाब से पुराने पटवारियों को दी जायगी, बशर्ते कि उनकी उम्र ४५ वर्ष से ज्यादा न हो और उनका रेकार्ड अच्छा रहा हो और जिस वक्त उन लोगों ने आन्दोलन किया था उसमें उन्होंने लीडरी न की हो।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लीडरी वाला प्वाइंट जो उन्होंने बताया उसमें किसकी रिपोर्ट पर माननीय मंत्री जी को सूचना दी गयी है कि ये लीडर थे ? कौन जज करते थे कि वह लीडर रहे या नहीं ?

श्री चरण सिंह---मोटी सी बात है कि जिले के राज कर्मचारियों के द्वारा जो हमको रिपोर्ट मिलती है तो उसका उस वक्त रेकार्ड था कि कौन-कौन आदमियों ने आन्दोलन में मुख्य भाग लिया, नेतृत्व किया ।

श्री रामायण राय---लेखपालों के पहले कितने पटवारी देवरिया जिले में काम कर रहे थे ?

श्री चरणसिंह---आज देवरिया में ४६८ लेखपाल होंगे, तो इसके पहले पटवारी ड्योढ़े रहे होंगे क्योंकि हमने अब जितनी स्ट्रेन्थ पहले थी उसकी दो-तिहाई कर दी है ।

तहसील बांसगांव के भूतपूर्व मध्यवर्तियों के खातों का मुआवजा

*१२---श्री उग्रसेन---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बांसगांव के भूतपूर्व मध्यवर्तियों के कितने खातों की कितनी धनराशि उन्हें जमींदारी विनाश के मुआवजे में अब तक मिली है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---तहसील बांसगांव के भूतपूर्व मध्यवर्तियों के ६२,४२३ खातों का २१,२४,८४० रुपया ३८ नया पैसा उन्हें ३१ जनवरी, १९५८ तक जमींदारी विनाश के मुआवजे में मिल चुका है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बांसगांव तहसील में कितने खातों का कितना धन अब भी देने से रह गया है ?

श्री चरण सिंह---कुल मुआवजा देना है, २८ लाख ८९ हजार रुपया । उसमें से २१ लाख २५ हजार रुपया दिया जा चुका है । तो इस तरह से कुल ७ लाख ६४ हजार रुपये के करीब बचता है ।

*१३-१५---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---[स्थगित किये गये ।]

रायबरेली जिले के हाकिम परगना डलमऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१६---श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिला में हाकिम परगना, डलमऊ के विरोध में मुख्य मंत्री तथा कमिश्नर महोदय के पास लगभग पांच मास पूर्व कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही के साथ उन प्रार्थना-पत्रों से संबंधित व्यक्तियों के बयान लेने की आवश्यकता समझेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जो आजकल कमिश्नर हैं उनके सुपुर्द यह जांच कर दी गयी है । मैं समझता हूं वे जरूर उनका बयान लेंगे ।

*१७---श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों की खुली जांच कराने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले में तहसीली चपरासियों का स्थायी किया जाना

*१८--श्री झारखंडे राय--क्या माल मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में गत मार्च के बाद कितने चपरासी स्थायी किये गये हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--गत मार्च के बाद आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में निम्नलिखित चपरासीगण स्थायी किये गये हैं--

सदर तहसील	..	३
मुहम्मदाबाद	..	६
घोसी	..	४
सगड़ी	..	६
लालगंज	..	८
फूलपुर	..	१

*१९--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि इन मुस्तकिल किये गये चपरासियों में कितने सीनियारिटी के आधार पर किये गये ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--उपरोक्त चपरासीगण प्राथमिकता के आधार पर ही नियुक्त किये गये हैं।

*२०--श्री गुप्तार सिंह--[प्रश्न संख्या १६-१७ की पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा विवाद के संबंध में केन्द्रीय सरकार का पत्र

*२१--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा विवाद के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जी हां, यह बताना जनहित में नहीं होगा कि क्या लिखा गया ।

*२२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--केन्द्रीय सरकार का उत्तर आया है, पर क्या उत्तर आया है यह बताना भी जनहित में न होगा ।

कलेक्शन नायब तहसीलदारों को स्थायी करने पर विचार

*२३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो कलेक्शन नायब तहसीलदार हैं, उन्हें कब तक सरकार मुस्तकिल करने जा रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--प्रश्न केवल नायब तहसीलदारी के ही स्थायी करने का नहीं है बल्कि पूरी योजना के स्थायी करने का है, और कलेक्शन नायब तहसीलदारों की सेवा (Service) को स्थायी करने का प्रश्न उस समय पैदा होगा जब पूरी योजना स्थायी हो जायगी ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को स्थायी करने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री चरण सिंह---कोई मियाद नहीं मुकर्रर की जाती ।

प्रशिक्षित ग्रामसेवकों की नियुक्ति

*२४---स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामसेवकों को प्रशिक्षण के बाद उनके जिलों के पड़ोसी जिलों में ही नियुक्त किये जाने पर विचार किया जावेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रशिक्षण के उपरान्त ग्रामसेवकों की नियुक्ति सामान्यतः उनके जिलों के पड़ोसी जिलों में ही की जाती है ।

रोडवेज के ड्राइवरों का वेतन-क्रम

*२५---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस चालकों का पुराना वेतन-क्रम ६५ रु० से ४५ रु० कब और क्यों कर दिया गया ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---रोडवेज ड्राइवरों का वेतन-क्रम ४५-२-६५ प्र० अ० ३-८० रु० प्रति मास सर्वदा से है । इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

श्री रामायण राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले बजट अधिवेशन के समय उन्होंने कहा था कि हाई स्कूल पास कंडक्टर्स को ६० रुपया मासिक पे दी जायेगी तो वह अभी तक क्यों नहीं दी गयी ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रश्न ड्राइवर्स के सम्बन्ध में था । कंडक्टर्स के विषय में नहीं था । जहां तक कंडक्टर्स की पे का कहना है उसके विषय में शीघ्र ही राज्यादेश प्रसारित किये जायेंगे ।

गोरखपुर-ठूठीबारी सड़क पर बस सर्विस की मांग

*२६---श्री अमरनाथ---क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में गोरखपुर से परतावल, बारी गांव होती हुई कोई बस ठूठीबारी तक चलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---जी हां । यह प्रश्न विचाराधीन है ।

*२७---श्री अमरनाथ---क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर बस कर्मचारी विश्राम-गृह में केवल बस कर्मचारी ही रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम---जी हां ।

श्री अमरनाथ---यह विचार कब तक हो जायगा और कब तक इस सड़क पर बसेज चलना शुरू हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम---इस सम्बन्ध में योजना बनायी जा रही है ज्यों ही योजना बन जायगी तो बसेज का चलना प्रारम्भ हो जायगा ।

*२८---श्री भुवनेश भूषण शर्मा---[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२९---श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)---[आठवें मंगलवार में प्रश्न संख्या १५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३०-३१-श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में स्त्रियों के लिये व्यायामशाला बनाने का भी विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं ।

श्री टीकाराम पुजारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में स्त्रियों के लिये सरकार व्यायामशाला खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो महिलायें इतनी आगे बढ़ी हुई हैं कि व्यायामशाला का प्रयोग करना चाहती हैं उनके लिये कामन व्यायामशालाएं हैं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि अगर महिलाओं के लिये अलग से व्यायामशालायें बना दी जायं तो ज्यादा महिलाएं व्यायाम करने जायंगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह बात ठीक हो सकती है ।

श्री राजनारायण—यदि यह बात हो सकती है तो सरकार इनके बनाने का प्रबंध करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तो नहीं ।

*३३-३४—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ९३-९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सीतापुर जिले के ब्लाक बेहटा पर व्यय

*३५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर के ब्लाक बेहटा में अब तक कितना धन खर्च किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस ब्लाक में ३१ जनवरी, १९५८ तक कुल ४,४९१९६ रुपया खर्च हुआ है ।

*३६—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—यह धन किन-किन कामों पर व्यय किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन कामों पर यह रुपया खर्च हुआ है उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६६ पर)

सरकारी कर्मचारियों को इन्डो-फारेन ऐसोसियेशनों से अलग रहने का आदेश

*३७—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने को इंडो-फारेन एसोसियेशन से अलग रक्खें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे इन्डो-फारेन कल्चरल एसोसियेशनों से सम्पर्क न रखें ।

*३८—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[ग्यारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३९—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर जिले में अमरौधा व पुखरायां विकास क्षेत्रों पर व्यय

*४१—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमरौधा विकास क्षेत्र व पुखरायां सधन विकास क्षेत्र, जिला कानपुर में प्रारम्भ से लेकर अगस्त, १९५७ तक अलग-अलग प्रतिवर्ष कितना रुपया विकास कार्यों पर और कितना अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तनख्वाहों व भत्तों पर तथा मंत्रियों के लिये आयोजित स्वागत समारोह में खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६७ पर)

*४२—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि उपरोक्त दोनों विकास क्षेत्रों में किन-किन विकास कार्यों में कितना-कितना धन १८ अगस्त तक व्यय किया गया और उसमें कितना विकास कार्यों में और कितना अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तनख्वाहों तथा भत्तों व भवन निर्माण में व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किन-किन विकास कार्यों पर कितना-कितना धन व्यय हुआ, इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है । अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व भत्ते पर प्रश्नगत तिथि तक ९३,७९३ रुपये ७ नये पैसे खर्च हुए तथा भवन निर्माण पर ५१,७०२ रुपये ।

(देखिये नत्थी 'गग' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

*४३-४४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

अल्मोड़ा जिले में अतिवृष्टि से ग्राम द्यौन में दुर्घटना तथा माणम ग्राम को धंसने से बचाने की प्रार्थना

*४५—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १३, १४ तथा १५ सितम्बर १९५७ की अतिवृष्टि से अल्मोड़ा जिले की तहसील चम्पावत ग्राम द्यौन में श्री लछमनसिंह रावत का मकान मोटर रोड के टूट जाने से दब गया और ३ बच्चे एक बुढ़िया तथा ६ जानवरों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता देने का प्रबंध किया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—अतिवृष्टि के फलस्वरूप दिनांक १५ सितम्बर, ५७ को मोटर रोड के टूट जाने से श्री जोगासिंह पुत्र श्री भवानसिंह, ग्राम द्यौन पट्टी मल्ला पालबेलौन वाले का मकान दब गया और ३ बच्चे, १ बुढ़िया तथा ८ जानवरों की मृत्यु हो गयी । श्री लक्ष्मण सिंह, श्री जोगा सिंह का लड़का है । उक्त दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को ढाई मन गेहूं तथा २२.४५ रुपये नकद, कुछ कपड़े और ४ कम्बल मुफ्त प्रदान किये गये ।

*४६—श्री खुशीराम—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इसी अतिवृष्टि में जिला अल्मोड़ा के पट्टी दारुण में माणम ग्राम भी जगह-जगह टूट गया है और वहां के निवासियों के लिये खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इन ग्रामवासियों को बचाने का क्या प्रबंध कर रही है ? तथा इस वृष्टि से जिला अल्मोड़ा के और किन-किन स्थानों में दुर्घटनाओं की सूचना सरकार को मिली है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---यह सही नहीं है कि इसी अतिवृष्टि से ग्राम माणम पट्टी बारुण की भूमि जगह-जगह टूट गयी है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता। इसी वृष्टि से जिले के अन्य स्थानों में दुर्घटनायें होने की सूचना नहीं मिली।

श्री खुशीराम---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह माणम ग्राम जो है वह घोर वृष्टि से टूटा है या उसके पेश्तर या उसके कुछ बाद वह गांव टूट गया है या नहीं और यह गांव खिसक कर नीचे हो गया है या नहीं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---कुछ वर्ष पहले से सामान्यतया इस गांव की कुछ जमीन टूटती रहती है और कुछ जंगल भी नीचे दबता रहता है। उसके लिये प्रबंध ऐसा किया गया कि उसके बाहर आगे चलकर उन लोगों को धीरे-धीरे क्रमशः आबाद किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या अल्मोड़ा की विभिन्न पट्टियों में प्रतिवर्ष होने वाले भयंकर बाढ़ से नुकसान को देखते हुए सरकार फ्लड इंजीनियरिंग के प्रोटेक्शन डिपार्टमेन्ट की कोई विशेष डिवीजन वहां पर कायम करने का इरादा रखती है ?

श्री चरणसिंह---इस तरह के फ्लड पहाड़ों में बहुत कम आते हैं। इसलिये वहां सरकार फ्लड डिवीजन को कायम करने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो गांव टूट गये हैं उनके बचाव के लिये कोई उपाय किया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह---सिर्फ एक गांव का सवाल यहां था। जहां इस तरह का खटका पहले से होता है कि जंगल आदि कट रहे हैं तो वहां स्पर आदि बना दिये जाते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले वर्ष भी कुछ गांव टूटे थे लेकिन अभी तक उनके लिये कुछ नहीं हुआ, उनको संभालने तथा उनके रख-रखाव के लिये ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं। मंत्री जी इसे नोट कर लेंगे।

*४७---श्री खुशीराम [२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में मऊरानीपुर तहसील की इमारत की मरम्मत का विचार

*४८---श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला झांसी में मऊरानीपुर तहसील की इमारत खराब हो गई है ? यदि हां, तो इसके सुधार के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी हां। भवन की विशेष मरम्मत का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती बेनीबाई---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस टूटी हुई इमारत की मरम्मत करवा दी जायगी या नयी इमारत बनवा दी जायगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसकी विशेष मरम्मत का विचार है।

श्रीमती बेनीबाई---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसकी मरम्मत कब तक करवा दी जायगी ?

श्री चरण सिंह---इसमें साल भर भी लग सकता है, लेकिन इससे कुछ नुकसान नहीं होगा इसलिये कि एक और बिल्डिंग थी और वहां रेवेन्यू रेकर्ड्स शिफ्ट कर दिये गये हैं और काम चल रहा है।

*४९—श्रीमती बेनी बाई—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५०—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१—श्री होरीलाल यादव-(जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

उमर्दा विकास क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद में कूपों के निर्माण प[illegible]य

*५२—श्री होरीलाल यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद के उमर्दा विकास क्षेत्र में प्रारम्भ से मार्च, १९५७ तक सिंचाई तथा पीने वाले पानी के कुएं बनवाने के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया ? तकावी में जो धनराशि दी गयी वह किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी किस कार्य को सम्पादन करने के लिये दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उमर्दा ब्लाक में, ब्लाक खुलने की तिथि २६ जनवरी, १९५५ से ३१ मार्च, १९५७ तक सिंचाई के कुओं के निर्माण एवं मरम्मत के लिये ३२,१६० रुपये तथा पीने वाले पानी के कुओं के निर्माण एवं मरम्मत के लिये ६,३५५ रु० ८ आने दिये गये ।

तकावी के रूप में किन-किन व्यक्तियों को, किस-किस कार्य के लिये, कितनी-कितनी धनराशि दी गयी, इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६९-८७० पर)

अस्थायी बस स्टेशन, कुशीनगर, जिला देवरिया

*५३—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अस्थायी बस स्टेशन, कुशीनगर, जिला देवरिया को केवल बुद्ध जयन्ती के लिये बनाया गया था और अब उसकी जरूरत नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—जरूरत है ।

*५४-५६—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

अल्मोड़ा जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड तथा प्रगाढ़ सेवा खंड

*५७—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से १२ दिसम्बर, १९५७ तक कितने प्रसार सेवा खंड (क्षेत्र) तथा राष्ट्रीय प्रगाढ़ सेवा खंड अल्मोड़ा जिले में खोले गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१ जनवरी, १९५७ से १२ दिसम्बर, १९५७ तक अल्मोड़ा जिले में १ अप्रैल, १९५७ को एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड चम्पावत में खोला गया । इसके अतिरिक्त मल्लीपोखरी (सल्ट) और हवालबाग राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों को जनवरी, १९५८ में प्रगाढ़ सेवा खंडों में परिवर्तित किया गया ।

*५८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि योजना के अनुसार उक्त जिले में हवालबाग प्रसार सेवा खंड को सन् १९५७ में प्रगाढ़ सेवा क्षेत्र में परिवर्तित हो जाना था जो नहीं किया गया ? इसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---हवालबाग प्रसार सेवा खंड जनवरी, १९५८ में प्रगाढ़ विकास खंड में परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हवालबाग प्रसार सेवा खंड को डेवलपमेंट इंटेंसिव ब्लाक एक साल लेट बनाया गया है और इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके पीरियड को वह क्या पुराना ही मानेंगे यानी इसका एक साल पीरियड एक्स्टेंड कर देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हवालबाग के तो ३ साल पूरे नहीं होते थे और वह डेवलपमेंट इंटेंसिव ब्लाक हो गया ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि भोलादेवी छाया खंड एन० ई० एस० ब्लाक हो जाना चाहिये था, वह नहीं हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हां, इस साल कुछ कम आये हैं, केन्द्रीय सरकार की तरफ से कम मिले हैं, इसलिए अब की साल कुछ कम खुले हैं ।

*५९---६१---श्री रामायणराय---[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में हरिजन कूपों के लिये अनुदान

*६२---डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)---क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के किन-किन विकास खंडों में इस वित्तीय वर्ष में हरिजन कालोनी एवं हरिजन कुओं के निर्माण के हेतु अलग-अलग कितना धन दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस वित्तीय वर्ष में जौनपुर जिले में किसी भी विकास खंड में नियोजन विभाग से हरिजन कालोनी के लिये कोई धन नहीं दिया गया है । हरिजन कुओं के लिये इस जिले के ब्लाकों को जो धन दिया गया है, उसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८७१ पर) ।

डाक्टर तारादेवी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं ब्लाक में हरिजन कुओं के हेतु कितना धन दिया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या वहां के हरिजन कुओं का एस्टीमेट सरकार के पास है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---होगा अवश्य, लेकिन इस समय नहीं बताया जा सकता ।

तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और कानूनगोओं की जगहें

*६३---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य में कुल कितने तहसीलदार, कितने नायब तहसीलदार और कितने कानूनगोओं की परमानेन्ट जगहें हैं और उनमें हर पद पर कितने-कितने आदमी स्थायी हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—तत्सम्बन्धी सूचना इस प्रकार है :—

पदों का विवरण	स्थायी पदों की संख्या	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो पदों पर स्थायी हैं
तहसीलदार ..	२१९	१९९
नायब तहसीलदार ..	२४४	२०४
पेशकार (पहाड़ी जिलों के नायब तहसीलदार) ..	१६	१५
कानूनगो ..	७५८	७०६

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या पहाड़ों में कानूनगो की हियरडिटरी पोस्ट जारी रखी जावेंगी ?

श्री चरण सिंह—कुछ हेरीडिटरी थी लेकिन यह संविधान के विरुद्ध है और आर्डर्स हो चुके हैं कि हियरडिटरी नहीं रहेंगी ।

श्रीगेंदा सिंह—क्या राजस्व मंत्री जी के दुलरुवा लेखपालों में से कुछ कानूनगो नहीं बनाये जावेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

एस० डी० एम० तथा तहसीलदार बलरामपुर के सामने किसानों का कथित प्रदर्शन

*६४—श्री धर्मपाल सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, सन् १९५७ में जो किसानों का प्रदर्शन एस० डी० एम० तथा तहसीलदार, बलरामपुर के सम्मुख हुआ था, उसमें उनकी मांगें क्या थीं और अब तक उसके लिये क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—माह अगस्त, सन् १९५७ में किसानों का कोई प्रदर्शन एस० डी० एम० तथा तहसीलदार बलरामपुर के सम्मुख नहीं हुआ और न कोई मांग प्रस्तुत की गयी । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*६५—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में टेस्ट वर्कों पर व्यय

*६६—श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्तीजिले में किन-किन तहसीलों में टेस्ट वर्क हो रहा है और प्रत्येक काम पर औसतन कितने व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हैं ?

श्री चरण सिंह—बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में टेस्ट वर्क चल रहा है । प्रत्येक काम पर काम करने वालों की औसत संख्या संलग्न सूची में दिखा दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८७२ पर ।)

*६७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर जिले में घाटमपुर तथा अमरौधा विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्य

*६८--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के सघन विकास क्षेत्र, घाटमपुर और सघन विकास क्षेत्र, अमरौधा में सिंचाई की क्या विशेष व्यवस्था क्षेत्र के गांवों में की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--घाटमपुर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में गुच्चूपुर साख को २ मील ४ फर्लांग बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त गुजेला माइनर को १ मील २ फर्लांग बढ़ाने का कार्य हो रहा है तथा फरीदपुर साख को बनाने का कार्य, जिसकी लम्बाई १ मील १ फर्लांग ३३० फीट होगी, प्रारम्भ होने वाला है।

२--एक मील लम्बी जलाला साख बनाने के सम्बन्ध में भी प्रारम्भिक छानबीन हो रही है।

३--अमरौधा क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं के तखमीनों पर विचार किया जा रहा है और आशा है कि वे भी शीघ्र ही कार्यान्वित होंगी।

*६९--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सघन विकास क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग-धन्धे स्थापित हुये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अमरौधा में इन उद्योगों की स्थापना हुई है :--
लकड़ी का काम, सिलाई एवं मधुमक्खी पालन।

२--घाटमपुर में चमड़े का कार्य तथा लौह कुटीर उद्योग चल रहे हैं।

*७०--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन सघन विकास क्षेत्र के केन्द्र स्थानों में हेल्थ स्कीम सम्बन्धी क्या कार्यवाही हो रही है और वह कब तक मुकम्मल हो जायगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इन दोनों ही क्षेत्रों के केन्द्रों के समीप एक-एक चिकित्सालय (मनुष्यों के लिये) पहले ही से स्थापित हैं। विकास खंडों के कोष से इन सम्बन्धित चिकित्सालयों को, समय-समय पर औषधि आदि की आवश्यक पूर्ति करा दी जाती है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार घाटमपुर क्षेत्र में एक एक्सपेरीमेंटल ट्यूबवैल रोटरी रिग से बनाने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जो प्रोग्राम है वह बता दिया गया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--अमरौधा में जो ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर और ऐग्रीकल्चरल औजारों के लिये सेंटर बनाने वाला है वह कब तक बन जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नोटिस की आवश्यकता है।

जिलाधीश फर्रुखाबाद का अपने बंगले पर किसानों से न मिलना

*७१--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिलाधीश जिस बंगले में रहते हैं, उसमें उन्होंने जनता से न मिलने का नियम बना रखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--क्या मंत्री जी को सूचना है कि अभी कुछ दिन पहले वहां के किसान उनके बंगले पर कुछ तकलीफ़ों के लिये मिलने गये थे और उन्होंने किसानों से कहा था कि यह मेरा निजी घर है, यहां क्यों आये ?

श्री अध्यक्ष--यह एक वैयक्तिक बातचीत है । माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी से बात करके जानकारी हासिल कर लें ।

तरबगंज तहसील के छोटे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने का विचार

*७२--**श्री बलदेव सिंह** (जिला गोंडा)--क्या सरकार गोंडा जिले में तहसील तरबगंज के छोटे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री बलदेवसिंह--क्या यह सही है कि तहसील तरबगंज निर्जन स्थान पर होने के कारण कोई मकान किराये पर मिलना उपलब्ध नहीं है, तो वहां सरकार छोटे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर कब तक बनावेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--क्वार्टर बनवाने का विचार हो रहा है ।

श्री बलदेवसिंह--यह विचार कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जल्द करने की कोशिश की जायगी ।

*७३-७४--**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५--**श्री मदनगोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)--[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

सामुदायिक विकास कार्य क्रम के अधीन ऋण देने की व्यवस्था

*७६--**श्री मदनगोपाल वैद्य**--क्या सरकार १९५७-५८ के बजट में अनुदान संख्या ५२ में सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के अधीन ऋण तथा अग्र-ऋण देने के लिये २३,५०,००० रुपये की जो व्यवस्था है उसका ब्यौरा देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वांछित विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी ' छ' आगे पृष्ठ ८७३ पर,)

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना में जो रुपया कुटीर उद्योगों के लिये देने की व्यवस्था है वह कर्जा जनता को नियोजन विभाग से मिलता है या उद्योग विभाग से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नियोजन विभाग द्वारा मिलता है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या यह सही है कि इस योजना में जितनी व्यवस्था की गई है उसे इस साल के बजट में समाप्त कर दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नोटिस की आवश्यकता है ।

*७७-७८--**श्री मोहन लाल वर्मा**(जिला हरदोई)--[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

नैनीताल जिले की चौगढ़ पट्टी के लोगों को वर्षा में यातायात का कष्ट

*७९---श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के खनस्यूं में गौला में वर्षा ऋतु में बाढ़ आने के कारण प्रतिवर्ष पट्टी चौगढ़ के सैकड़ों नागरिकों को तीन माह तक प्रदेश के अन्य हिस्सों से अलग रहना पड़ता है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जिला नैनीताल के खनस्यूं क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गौलामें बाढ़ आने के कारण चौगढ़ के नागरिकों के लिये यातायात ३ माह के लिये बन्द नहीं होता, हां वर्षा की अधिकता के कारण वे कुछ समय तक पट्टी बिसजुला की तरफ़ नहीं जा सकते ।

श्री प्रताप सिंह---क्या चौगढ़ के लोग बिसजुला में असाधारण वर्षा में ही नहीं आ-जा सकते हैं या हमेशा ही ऐसा होता है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---हमारी सूचना है कि वर्षा के कुछ दिनों में ही वहां का आना-जाना रुक जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल व हलद्वानी जिलों के दो मुख्य स्थानों में पट्टी बिसजुला से ही होकर चौगढ़ वालों को आना-जाना पड़ता है?

श्री चरण सिंह---इतना भौगोलिक ज्ञान तो इस समय नहीं है, लेकिन सूबे के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बरसात में नदियों में बाढ़ के कारण लोग बमुश्किल तमाम दूसरी जगह जा सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस विशेष स्थिति को देखते हुये कि जनता जिला हैडक्वार्टर पर नहीं पहुंच पाती है और मुकदमों को अटेन्ड नहीं कर पाती है, माल विभाग पी० डबल्यू० डी० को सिफ़ारिश करेगा कि वहां पुल बनाया जाय ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, यह माल विभाग का काम नहीं है ।

सीतापुर जिले के कलेक्शन विभाग में कुर्क अमीनों व चपरासियों में परिगणित जातियों का अनुपात कम होना

*८०---श्री मूल चन्द (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में कलेक्शन विभाग (माल) में कुल कितने कुर्क अमीन व चपरासी हैं तथा उनमेंसे कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---सीतापुर जिले के कलेक्शन विभाग में १३८ अमीन तथा १३८ चपरासी पूरे साल के लिये हैं, जिनमें से ५ अमीन और १३ चपरासी परिगणित जाति के हैं । इसके अतिरिक्त २० अमीन तथा १५९ चपरासी सीजनल हैं, जिनमें २८ चपरासी परिगणित जाति के हैं ।

श्री मूल चन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १८ प्रतिशत के आश्वासन के बावजूद भी इतनी कम संख्या क्यों रखी गयी है ?

श्री चरण सिंह---अमीनों में हरिजनों की संख्या १८ प्रतिशत इसलिये नहीं हो सकी कि जिस वक्त इन लोगों का तकर्रुर हुआ था उस वक्त १० प्रतिशत थी, १० प्रतिशत इसलिये नहीं हो सकी कि उन लोगों को जमानत देना जरूरी होता है क्योंकि सरकारी कैश उनके पास रहता है, तो बहुत से लोग जरे जमानत नहीं दे सके तथा दूसरा कारण यह कि उपर्युक्त उम्मीदवार उनमें न मिल सके, इन कारणों से उनका अनुपात पूरा न हो सका ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जाति के अलावा इसमें अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं ?

श्री चरण सिंह--परिगणित और अनुसूचित में कोई फर्क नहीं है ।

श्री राम शरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि परिगणित जाति के लोगों को जमानत देने में दिक्कत होती है , इसलिये नियम में जमानत के लिये उनके विषय में कुछ छूट करेंगे ?

श्री चरण सिंह--सरकारी कैश के सम्बन्ध में कोई खतरा नहीं लिया जा सकता ।

ए० डी० ओज० सोशल एजूकेशन को शिक्षा विभाग से समन्वित करने का विचार

*८१--श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या वह ए० डी० ओज० सोशल एजूकेशन के पदों को शिक्षा विभाग के साथ समन्वित करने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह समविन्त करने का विचार कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--विकास, साहित्य और शिक्षा विभाग की जो कमेटी बैठी हुई है , वह जल्दी ही इस पर भी निर्णय लेगी ।

झांसी डिवीजन के एडीशनल कमिश्नर द्वारा अपीलों की सुनवाई

*८२--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि झांसी डिवीजन के एडीशनल कमिश्नर ने सितम्बर, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कितनी अपीलें सुनी हैं और फैसला किया ?

श्री चरण सिंह---पहली सितम्बर से ३ सितम्बर, १९५७ तक एडीशनल कमिश्नर झांसी-इलाहाबाद ने ५१ अपीलें फैसल कीं । तत्पश्चात् झांसी डिवीजन के लिये एडीशनल कमिश्नर का एक नया पद कायम किया गया । चूंकि यह पद ९ जनवरी, १९५८ तक खाली रहा । अतः ४ सितम्बर से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक झांसी डिवीजन की कोई अपील फैसल नहीं हुई ।

आजमगढ़ जिले में तीन वर्ष से अधिक अवधि के बी० डी० ओ०

*८३--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने बी० डी० ओ० तीन वर्ष या इस से अधिक समय से इसी जिले में काम कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--एक ।

श्री विश्राम रा :---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें अभी कितने दिन और लग जायेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---२६-१-५५ से यानी तीन साल से अभी तो वे उसी जिले में काम कर रहे हैं ।

*८४--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८५--श्री छेदी लाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---[दसवें मंगलवार के लिये प्रश्न १११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खीरी जिले में प्लानिंग स्कीम के अन्तर्गत हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के क्लर्क तथा कुकरा व भूड़ परगनों में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*८६--श्री छेदीलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी प्लानिंग स्कीम की सभी शाखाओं में कितने क्लर्क हैं ? इनमें कितने-कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री चरण सिंह--जिला खीरी के प्लानिंग स्कीम की सभी शाखाओं में कुल ४२ क्लर्क हैं। इनमें से एक हरिजन जाति का है और पिछड़ी जाति का कोई नहीं है।

*८७--श्री छेदीलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, परगना कुकरा व परगना भूड़, तहसील लखीमपुर में सन् १९५७ ई० में किन-किन गांवों में अग्निकांड हुआ और सरकार ने उन गांवों में क्या-क्या सहायता पहुंचायी और कितनी कितनी पहुंचायी और कुल कितने प्रार्थना-पत्र सहायता हेतु आये ?

श्री चरण सिंह--जिला खीरी, परगना कुकरा व परगना भूड़, तहसील लखीमपुर के जिन ग्रामों में १९५७ में अग्नि-कांड हुआ उसकी सूची संलग्न है। ग्राम अगगर खुर्द, परगना भूड़ में ९०० रु० बतौर तकावी बांटी गयी तथा १९ व्यक्तियों को टीन की सहायता दी गयी। ग्राम सल्लिया, भीरी, भटेहिया कलां, मझोरा, पलहनापुर और गुलाब टांडा तहसील भूड़ में छप्पर बनाने का सामान आवश्यकतानुसार दिया गया। कुल ५ प्रार्थना-पत्र सहायता-हेतु आये।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८७४ पर।)

सहायक समादेष्टा, युवक कल्याण संगठन की नियुक्ति

*८८--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल के जिला संगठनकर्ता, आजमगढ़ जो सन् १९५० में थे वह कब और किन आरोपों के कारण सेवामुक्त हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९५० में आजमगढ़ में जो प्रान्तीय रक्षक दल के संगठन-कर्त्ता थे उन पर कोई आरोप नहीं था। उन्होंने १९५१ में त्याग-पत्र दिया था।

*८९--श्री इन्दुभूषण गुप्त (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि वह पुनः किसी सरकारी पद पर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*९०--श्री इन्दुभूषण गुप्त (अनुपस्थित)--यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की तिथि वर्तमान पद और मासिक वेतन तथा भत्ता बतलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनकी नियुक्ति २२ मार्च, १९५६ को सहायक समादेष्टा (असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट), युवक कल्याण संगठन के पद पर हुई थी। उनका वर्तमान वेतन ३०० रुपये तथा भत्ता ३५ रुपये महीना है।

*९१--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९२--श्री रामशरण यादव--[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में बस सर्विस

*९३---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में किन-किन सड़कों में कितनी-कितनी प्राइवेट मोटर बसें चल रही हैं ? कब तक सरकार उन सड़कों पर सरकारी बसें चलाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---अलीगढ़ जिले में जिन सड़कों पर और जितनी-जितनी प्राइवेट बसें चलती हैं उनकी सूची सदस्य की मेज पर रख दी गई है । उनमें से हाथरस-इगलास, अलीगढ़ खेर टप्पल, सामना खेर टप्पल नौझील और अलीगढ़ छर्रा बादां मार्गों को रोडवेज संचालन के हेतु लिये जाने का विचार है । शेष मार्गों को रोडवेज संचालन के लिये लेने का अभी कोई विचार नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८७५ पर ।)

*९४---श्री मोहनलाल वर्मा---[नवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९५---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---[नवें सोमवार में प्रश्न संख्या १५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

दौरे के समय परगनाधीशों के विचाराधीन मुकदमे

*९६---श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या परगनाधीशों को दौरे पर मुकदमों के करने का आदेश है ? यदि हां, तो किन-किन किस्म के मुकदमों को ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, परगनाधीशों को दौरे पर निम्नलिखित किस्मों के मुकदमों को करने का आदेश है :---

१---कागजात की दुरुस्ती,
२---अधिवासियों के मुकदमें, तथा
३---काबिज और गैर काबिज के इन्दराज ।

रोडवेज, जिला बस्ती में हरिजन कन्डक्टर

*९७---श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती रोडवेज में कितने हरिजन कन्डक्टर हैं ?

डाक्टर सीताराम---चार ।

श्री रामलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय, कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं कि जब तक हरिजन निश्चित संख्या में न हो सकें तब तक दूसरों को न लिया जाय ?

डाक्टर सीताराम---ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कई बार जी० ओ० जा चुका है कि १८ प्रतिशत के हिसाब से हरिजन लिये जायें ।

*९८-१००---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)---[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबन्दी में इन्दराज की गलतियां

*१०१---श्री विश्राम सिंह---क्या माल मंत्री कृपया बतलायेंगे कि आजमगढ़ की सदर तहसील में चकबन्दी की प्रक्रिया में इन्दराज की कितनी अशुद्धियां पायी गयी हैं ?

श्री चरणसिंह---५,२८,१४४ ।]

नोट---तारांकित प्रश्न ९७ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*१०२--श्री विश्राम राय--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ की सदर तहसील में चकबन्दी पूरी होने में कितना समय लगेगा ?

श्री चरणसिंह--सम्भवतः डेढ़ वर्ष ।

झांसी जिले में अल्प-बचत योजनान्तर्गत एकत्रित धन

*१०३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अल्पबचत योजना द्वारा किस-किस कमिश्नरी में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कितना-कितना रुपया जमा हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक जमा की गई धनराशि की कमिश्नरीवार सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८७६ पर ।)

*१०४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की किस-किस तहसील में उक्त योजना में उपर्युक्त तारीख तक कितना-कितना रुपया जमा हुआ था तथा उनका कितना-कितना टारगेट है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--झांसी जिले में प्राप्त की गई धनराशि की तहसीलवार सूचना लक्ष्य सहित सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८७७ पर ।)

विधायकों को रोडवेज का पास देने की जानकारी

*१०५--श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह विधायकों को प्रदेश भर में गमनागमन हेतु राजकीय रोडवेज बस द्वारा 'पास' देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं ।

अलीगढ़ जिले की हाथरस और विजयगढ़ तहसीलों में ग्राम समाजों के प्रधानों को ग्राम सम्पत्ति के कागज न मिलने की शिकायत

*१०६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस और विजयगढ़ क्षेत्र के किन-किन ग्राम समाजों के प्रधानों को लेखपालों ने अभी तक ग्राम की सम्पत्ति के कागजात सुपुर्द नहीं किये और किन कारणों से ?

श्री चरणसिंह--जिला अलीगढ़ की तहसील हाथरस और विजयगढ़ क्षेत्र के समस्त ग्राम समाजों के चेयरमैनों को लेखपालों द्वारा ग्राम समाज सम्पत्ति सम्बन्धी सभी कागजात सुपुर्द कर दिये गये हैं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१०७--श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)--[२७ मार्च, १९५८ के लिए स्थगित किया गया ।]

हरैया राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड पर व्यय

*१०८--श्री रणबहादुर सिंह--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि हरैया राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में अब तक कितना धन विकास के काम में खर्च हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३१ जनवरी, १९५८ तक इस ब्लाक में विकास कार्यों पर सरकार द्वारा २४,४०४ रुपया खर्च हुआ ।

अल्मोड़ा-खैरना मोटर मार्ग पर रोडवेज की गाड़ियां चलाने की योजना

*१०९--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा-खैरना मोटर मार्ग पर मोटरों के चलने की इजाजत कब से मिलेगी ? क्या सरकार अपने यातायात विभाग (Roadways) की गाड़ियां इस पर चलाना चाहती है ?

डाक्टर सीताराम--रोडवेज की गाड़ियां इस मार्ग पर शीघ्र ही चलने जा रही हैं ।

ललितपुर सब-डिवीजन की मालगुजारी

*११०--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन, जिला झांसी जब पृथक् जिला था उस समय उसकी मालगुजारी कितनी थी और अब हाल में कितनी है ?

श्री चरणसिंह--ललितपुर सब-डिवीजन जब पृथक् जिला था उस समय की मालगुजारी १,४७,५३२ रुपया थी और अब ५,१७,१२७ रुपया है ।

विधान भवन सजावट समिति की रिपोर्ट

*१११--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार ने विधान भवन की सजावट सम्बन्धी कोई समिति नियुक्त की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

*११२--श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार इस समिति के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :--

१--मुख्य मंत्री प्रधान
२--श्री ए० जी० खेर
३--श्री चन्द्र भाल
४--श्री एच० एल० मेढ़
५--श्री एम० एम० नागर
६--श्री ए० के० हल्दर
७--श्री सुधीर खस्तगीर
८--श्री एच० राय चौधरी
९--श्री बी० सेन
१०--डाक्टर मोती चन्द्र
११--सचिव, पी० डब्लू० डी०
१२--वित्त सचिव
१३--चीफ इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी०
१४--श्री मुहम्मद हबीब
१५--डाक्टर वी० एस० अग्रवाल

*११३--श्री सुल्तान आलम खां--क्या इस समिति ने कोई विचार प्रकट किये हैं और तत्सम्बन्धी कोई रिपोर्ट दी है? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समिति की एक उप-समिति ने सजावट सम्बन्धी एक †रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो संलग्न है ।

---

†रिपोर्ट छापी नहीं गयी है ।

लखनऊ में प्रान्तीय रक्षक दल की ट्रेनिंग तथा एस० पी० नैनीताल के खिलाफ कथित आवेदन-पत्र

*११४--श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुछ प्रान्तीय रक्षकदल के कार्यकर्ता इस वर्ष (१९५७) भी लखनऊ में ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णनन्द---जी हां।

*११५--श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास जनता तथा राजनैतिक पार्टियों की ओर से एस० पी०, नैनीताल के खिलाफ कोई आवेदन-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। अतः दूसरा प्रश्न भी नहीं उठता।

*११६-११८---श्री वीरेन्द्र वर्मा---[२७ मार्च, १९५८ के लिए स्थगित किये गये।]

*११९---श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---[२७ मार्च, १९५८ के लिए स्थगित किया गया।]

लोनी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य

*१२०---श्री तेजा सिंह---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोनी विकास क्षेत्र में करेहड़ा, मेंवला आरो, मिर्जापुर, मवई तथा कनावनी में कौन-कौन विकास के कार्य हुए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८७८-८७९ पर)

आजमगढ़ जिले में मालगुजारी न देने वालों को दण्ड

*१२१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में चालू वर्ष में मालगुजारी की वसूली के लिये तहसील हवालात में कितने-कितने व्यक्ति बन्द किये गये ?

श्री चरणसिंह---आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में सन् १३६४ की दोनों फसलों में मालगुजारी की वसूली के लिए तहसील हवालात में बन्द किये गये व्यक्तियों की तहसीलवार संख्या निम्नांकित हैं :---

नाम तहसील	बन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या
मुहम्मदाबाद	३
सगड़ी	१
लालगंज	१
घोसी	—
फूलपुर	२३
सदर	१
कुल---	२९

*१२२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के प्रत्येक तहसील में चालू वर्ष में मालगुजारी की वसूली के लिये कितने-कितने वारन्ट गिरफ्तारी, सम्मन एवं कुर्की के आदेश जारी किये गये ?

श्री चरणसिंह--- आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में सन् १३६४ की दोनों फसलों में मालगुजारी की वसूली के लिए निम्नांकित वारन्ट गिरफ्तारी, सम्मन एवं कुर्की के आदेश जारी किये गये :---

नाम तहसील	वारन्ट गिरफ्तारी	समन	कुर्की
मुहम्मदाबाद	२१	४९	---
सगड़ी	६६	१,०११	५३
फूलपुर	८३	..	१९
लालगंज	३०	१,५४९	२
घोसी	५१	४२७	७०
सदर	७	१२३	..
कुल	२५८	३,१५९	१४४

जिला अधिकारियों से कारों की वापसी

*१२३---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिले के सरकारी अधिकारियों में से कितनों से कारें ले ली गई हैं और कितनों के पास कारें अब भी रहेंगी ?

डाक्टर सीताराम---यह सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मैनपुरी-इटावा सड़क पर रोडवेज बस सर्विस

*१२४---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका विचार मैनपुरी से इटावा जाने वाली सड़क पर सरकारी बसें चलाने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---मैनपुरी से इटावा तक किशनी और बेवर होकर रोडवेज की बसें इस समय चल रही हैं ।

बुलन्दशहर-देहली सड़क पर रोडवेज बस सर्विस

*१२५---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह बुलन्दशहर-देहली लाइन पर सरकारी रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर सीताराम---१, दिसम्बर १९५७ से इस मार्ग पर रोडवेज की बसें एकाधिकार रूप से चल रही हैं ।

*१२६---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बुलन्दशहर-देहली लाइन पर मोटर यूनियन की कितनी बसें चलती हैं ?

डाक्टर सीताराम---इस मार्ग पर अब कोई प्राइवेट बस नहीं चलती है ।

पडरौना-तमकुही सड़क के तिवारी पट्टी क्रासिंग पर बस दुर्घटना में क्षति

*१२७--श्री उग्रसेन--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९-११-५७ को पडरौना-तमकुही रोड पर तिवारी पट्टी क्रासिंग पर रोडवेज बस एक्सीडेंट में कितने जन-धन की हानि हुई ?

डाक्टर सीताराम--२८ व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से ३ मर गये। लगभग ४०,००० रुपये की हानि हुई।

*१२८--श्री उग्रसेन--उक्त एक्सीडेंट के कारण क्या थे ?

डाक्टर सीताराम--एक्सीडेन्ट का कारण चालक की असावधानी बताई जाती है। सही कारण जिलाधीश की रिपोर्ट आने पर मालूम होंगे।

*१२९-१३०-श्री गंगाप्रसाद सिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किए गये।]

सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों द्वारा लाग बुकों को अधूरा भरने की शिकायत

*१३१--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि अधिकांश सरकारी मोटर कार, जीप आदि को इस्तेमाल करने वाले संबंधित व्यक्ति आमतौर पर "लाग बुकों" में पूरी की गयी यात्रा का पूरा विवरण नहीं देते हैं और केवल मील और "पब्लिक" लिख कर हस्ताक्षर कर देते हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, लाग बुक पूरी तरह से भरने के आदेश हैं और अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता तो उसके उच्च अधिकारियों का यह कार्य है कि वह लाग बुक का निरीक्षण कर तथा उसे ठीक प्रकार से भरवाय।

रोडवेज बसों का किराया

*१३२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में चलने वाली रोडवेज बसों का किराया प्रत्येक रूट पर भिन्न-भिन्न है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, मैदानी क्षेत्रों के रूटों का अधिक से अधिक किराया साढ़े ७ पाई प्रति यात्री प्रति मील निम्न श्रेणी के लिए तथा ९ पाई प्रति यात्री प्रति मील उच्च श्रेणी का है, तथा पर्वतीय क्षेत्रों के रूटों का अधिक से अधिक किराया १२ पाई प्रति यात्री प्रति मील निम्न श्रेणी का तथा १८ पाई प्रति यात्री प्रति मील उच्च श्रेणी का है। साथ ही साथ परिवहन आयुक्त को अधिकार दिया गया है कि वह जहां कहीं आवश्यक समझें उपरोक्त किराये की दरों में परिवर्तन कर सकते हैं। सिटी बस सर्विस का भी किराया भिन्न है।

झांसी जिले में रोडवेज बस सर्विस की मांग

*१३३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में सरकारी रोडवेज की बसें चलाने का विचार कब से है और किन-किन सड़कों पर ?

डाक्टर सीताराम--Well-equipped Workshop तथा Maintenance Depots बन जाने ही पर सरकारी बसें चलाने की व्यवस्था हो सकेगी। मार्गों का निर्धारित करना अभी असामयिक है।

बाराबंकी-बहरामघाट सड़क पर रोडवेज बस सर्विस न होना

*१३४—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या बाराबंकी से बहराम घाट (गणेशपुर) तक सरकारी बस संचालन की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर बस चलाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। फिलहाल बाराबंकी से बहरामघाट (गणेशपुर) तक सरकारी बसें चलाने का विचार नहीं है। प्राइवेट बसें चल रही हैं।

अलीगढ़ में रोडवेज स्टेशन के लिए जमीन की खरीद

*१३५—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर में जो जमीन रोडवेज स्टेशन बनाने के लिए खरीदी गयी है वह किससे और किस दर से खरीदी गयी है, कुल जमीन कितनी है और सरकार को कितना रुपया देना पड़ा है?

डाक्टर सीताराम—अलीगढ़ शहर में रोडवेज का बस स्टेशन बनाने के लिए भूमि सर्वश्री अब्दुल सलाम खां और अब्दुल जमाल खां से १८ रुपये ६ आने ७ पाई प्रति वर्ग गज की दर से हस्तगत की गयी है। जमीन का क्षेत्रफल ६,०७४ वर्ग गज है और सरकार को १,११,८३९ रुपये ४ आने लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुआविजे के रूप में देना पड़ेगा।

*१३६—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज स्टेशन में सरकार का कितना रुपया खर्च हो जावेगा और वह कब तक बन जावेगा?

डाक्टर सीताराम—उक्त बस स्टेशन के निर्माण में लगभग ९२,००० रु० खर्च होंगे। आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा।

*१३७—श्री अनन्तराम वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर में जिस जगह पर अब रोडवेज स्टेशन है क्या उसका कोई किराया देना पड़ता है? यदि हां, तो कितना?

डाक्टर सीताराम—जी हां, ५० रुपये प्रतिमास।

देवरिया जिलान्तर्गत भलुअनी विकास क्षेत्र पर व्यय

*१३८—श्री उग्रसेन—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भलुअनी ब्लाक में १ नवम्बर, १९५७ तक—

(अ) कितना रुपया व्यय हुआ?
(ब) कितने जनहित कार्य हुए?
(स) कितना ऋण दिया गया?
(द) ब्लाक आफिस का ठेकेदार कौन है?
(य) अब तक क्यों नहीं ब्लाक भवन बन के तैयार हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(अ) इस ब्लाक में १ नवम्बर, १९५७ तक कुल १,०७,९३० रुपया व्यय हुआ।

(ब) इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८८० पर।)

(स) कुल १०,००० रुपये ऋण के रूप में, ४ पम्पिंग प्लांट लगाने के लिये दिये गये।

(द) इनका नाम श्री भगवतस्वरूप है।

(य) ब्लाक भवन नवम्बर, १९५७ में बन कर तैयार हो गया है।

*१३९—श्री नेकराम शर्मा—[स्थगित किया गया।]

अधिवासियों के पास भूमि

*१४०—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो किसान अधिवासी करार दिये गये हैं उनकी संख्या कितनी है?

श्री चरणसिंह—जो किसान अधिवासी करार दिये गये उनकी संख्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २४०—क के अन्तर्गत जारी की गयी विज्ञप्तियों के पूर्व ५४,६१,४५९ थी।

*१४१—श्री अभयराम यादव—जिन किसानों की भूमि पर वह अधिवासी करार दये गये हैं उन किसानों के पास पहले कितनी भूमि थी और अब कितनी रह गयी है?

श्री चरणसिंह—जिन क्षेत्रपतियों की भूमि पर वह किसान अधिवासी करार दिये गये थे उनके पास उपर्युक्त धारा २४०—क के अन्तर्गत विज्ञप्तियां जारी होने के पूर्व १,०२,५०,७७१ एकड़ भूमि थी। अब उनके पास ८०,३८,१२९ एकड़ भूमि रह गयी है।

देहरादून में न्यू इन्डिया फार्मस्युटिकल वर्क्स को दी जाने वाली स्प्रिट के दुरुपयोग की शिकायत

*१४२—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून में न्यू इंडिया फार्मेस्युटिकल वर्क्स को दवाओं के बनाने के लिए कितने गैलन रेक्टीफाइड स्प्रिट का कोटा दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—न्यू इंडिया फार्मेस्युटिकल वर्क्स, देहरादून को दवा बनाने के हेतु इस वर्ष १०,००० एल० पी० गैलन का कोटा निश्चित किया गया है।

*१४३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या यह सत्य है कि यह स्प्रिट दवा बनाने के काम में न लाकर शराब के स्थान पर पीने के लिये उपरोक्त फर्म के द्वारा बेची जाती है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, सरकार को अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*१४४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा सप्लाई की गई स्प्रिट के लिये अनुपात में दवाओं का निर्माण एवं विक्रय १ जनवरी, १९५६ से जून, १९५७ तक हुआ?

डाक्टर सीताराम—इस बन्धित निर्माणशाला में स्वीकृत फार्मोकोपिया के फारमूला के अनुसार सब दवाइयों का निर्माण होता है। हर सुरामिश्रित दवाइयों में स्प्रिट तथा दवा को मिलाने का अनुपात अलग-अलग होता है।

१ जनवरी सन् ५६ से जून सन् ५७ तक १९,६७८ एल० पी० गैलन स्प्रिट फार्मेसी को मिली, उसमें से सुरामिश्रित दवाइयों में स्प्रिट की मात्रा १६,५७२ एल० पी० गैलन थी। इसी अवधि में १६,७१९.८ एल० पी० गैलन दवाइयों का विक्रय हुआ।

खीरी जिले में बेहजम ब्लाक के अन्तर्गत नलकूपों पर व्यय

*१४५—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी-लखीमपुर बेहजम ब्लाक ने ट्यूबवेल बनाने की जो योजना बनाई थी उसके अनुसार कितनी जगह कार्य आरम्भ हुआ और कहां-कहां? प्रत्येक ट्यूबवेल पर जो बनाया गया, कितना रुपया उसपर व्यय हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस योजना के अनुसार बेहजम, भुलनपुर और परसेहरा में एक-एक ट्यूबवेल बनाया गया और इन तीनों ट्यूबवेलों पर पर कुल १,१४,८५३ रुपया व्यय हुआ। क्योंकि तीनों ट्यूबवेलों के एस्टिमेट एक ही में बने थे, इसलिये उन पर होने वाले खर्च का अलग-अलग विवरण देना मुश्किल है।

*१४६—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेहजम ब्लाक ने ट्यूबवेल चलाने के लिए कितने इंजन खरीदे और किस वर्ष में ? प्रत्येक इंजन पर कितना रुपया व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन ट्यूबवेलों को चलाने के लिए ३ नये कूपर डीजिल आयल इंजन नवम्बर, १९५५ में ४,४५० रुपये फी इंजन की दर से खरीदे गये थे।

*१४७—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी-लखीमपुर बेहजम ब्लाक द्वारा लगाये गये ट्यूबवेल के इंजन जो इर्रीगेशन विभाग को दिये गये, उनकी मरम्मत पर इर्रीगेशन विभाग का कितना रुपया खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन तीन इंजनों की मरम्मत के संबंध में इर्रीगेशन विभाग का कुछ भी नहीं खर्च हुआ।

बाराबंकी जिले के बरौली ग्राम की कुछ जमीन का जलमग्न हो जाना

*१४८—श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामसनेही घाट तहसील (बाराबंकी) के ग्राम बरौली में विगत ५ वर्षों से वर्षा का पानी भर जाने के कारण जो लगभग ५०० (पांच सौ) बीघा जमीन बेकार हो जाती है उसको बचाने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री चरणसिंह—जिला बाराबंकी के ग्राम बरौली में अधिक वर्षा होने पर खरीफ के क्षेत्र का कुछ भाग जलमग्न अवश्य हो जाता है, परन्तु ५०० बीघा जमीन बेकार नहीं हो जाती। इस वर्ष ६४ बीघे की खरीफ की फसल प्रभावित हुई है।

इस समस्या का निराकरण उचित जल विकास प्रणाली की व्यवस्था से हो सकता है। इस संबंध में क्या संभव है उसके लिए यथासंभव शीघ्र जलमग्न होने वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जायगा।

*१४९—श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन काश्तकारों के खेत पानी भर जाने के कारण बेकार हो गये हैं उनका लगान माफ किया जायगा ?

श्री चरणसिंह—जलमग्न हो जाने के कारण जिन खेतों की फसल की हानि हुई, उनकी मालगुजारी में छूट या स्थगन जैसा भी कायदे के मुताबिक मुनासिब होगा दिया जायेगा।

मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में मालगुजारी में छूट

*१५०—श्री सुक्खन लाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में सन् १९५५-५६ और सन् १९५६-५७ में कितने ग्रामों की दोनों फसलों अथवा कितने ग्रामों में केवल खरीफ की फसल की ही मालगुजारी माफ की गई है ?

श्री चरणसिंह—मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में १९५५-५६ और १९५६-५७ ई० में क्रमशः २१२ और २२७ ग्रामों में खरीफ की मालगुजारी में छूट दी गयी तथा १९५६-५७ में १३ ग्रामों में रबी में भी छूट दी गयी, लेकिन उपर्युक्त दोनों वर्षों में ऐसे कोई भी ग्राम नहीं हैं जिनमें दोनों फसलों में मालगुजारी में छूट दी गयी हो।

बरेली जिले में फरीदपुर रायपुर सड़क पर नकटिया पुल की निर्माण योजना

*१५१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में पिछली पंचवर्षीय योजना में श्रमदान द्वारा फरीदपुर से रायपुर तक ७ मील लम्बी सड़क बनाई गई थी और उस श्रमदान में सरकार ने ९० हजार रुपया दिया था, जिसमें ४० हजार रुपया उसी सड़क पर नदी नकटिया का पुल बनाने के लिये था? यदि हां, तो क्या नदी नकटिया का पुल बन गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सड़क श्रमदान से ७ मील कच्ची बनाई गयी थी, परन्तु इसके लिये सरकार ने कोई रुपया नहीं दिया था। नकटिया पुल अभी नहीं बना है, परन्तु उसके लिये विकास आयुक्त ने २० हजार रुपये कुछ प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये थे।

*१५२—श्री नत्थूसिंह—क्या यह सच है कि प्लानिंग आफिसर, बरेली ने सरकार को लिखा था कि इस पुल को बनाने के लिये ४० हजार रुपया जिला बोर्ड बरेली को दे दिया जाय? यदि हां, तो इस संबंध में क्या आदेश हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और आदेश जारी किये जा चुके हैं।

आजमगढ़ जिले में शीरे के लाइसेन्स

*१५३—श्री इन्दुभूषण गुप्त (अनुपस्थित)—क्या पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के सगड़ी और मुहम्मदाबाद की तहसीलों के सन् १९४७ से ५२ तक किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने शीरे में व्यापार करने का लाइसेन्स और परमिट दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९४७ में मादक-कर आयुक्त द्वारा आजमगढ़ जिले के ग्राम उतरौली के निवासी श्री तामेश्वरमल को २,५०० मन शीरे का परमिट दिया गया। फरवरी, १९४८ से मई, १९५० तक इंडियन शुगर सिंडीकेट, कानपुर को शीरे का परमिट देने का अधिकार था और इंडियन शुगर सिंडीकेट के ज्वाइंट लिक्वीडेटर (Joint Liquidator) से आजमगढ़ जिले के व्यक्तियों को दिये गये परमिट के विषय में अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। नवम्बर, १९५१ से यू० पी० मोलेसेज कन्ट्रोल रूल्स, १९५१ के नियम १४ के अनुसार किसी व्यक्ति के लिये उस शीरे को जो व्यापार के लिये वैधानिक रूप से मुक्त कर दिया जाता है, बेचने या रखने के लिये लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता नहीं है।

स्लैब सिस्टम आफ एंन्टरटेनमेंट टैक्स का फिल्म इन्डस्ट्री पर प्रभाव

*१५४—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि पिछले दिनों में सरकार ने जो Slab System of Entertainment Tax लगाया है, उसके कारण Film Industry को घाटा हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—Slab System इस प्रदेश में सन् १९३७ से जारी है। उस से फिल्म व्यवसाय को घाटा नहीं हुआ।

विकास क्षेत्र छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कार्य

*१५५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद की इमारत बनना किस जगह निश्चय हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

*१५६--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में कितना रुपया खर्च किया जावेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--राष्ट्रीय प्रसार सेवा काल में इस खंड पर तीन वर्षों की अवधि में ४ लाख रुपये के खर्च का अनुमान है ।

*१५७--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, छिबरामऊ में अब तक क्या कार्य हुआ है और आगे उस क्षेत्र के किसानों की तरक्की के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो कार्य हुए हैं तथा किसानों की उन्नति के लिये जो कार्य प्रस्तावित हैं, उनके विवरण, अलग-अलग, माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत हैं ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ८८१-८८२ पर)

टेहरी गढ़वाल जिले में पटवारी तथा रेकार्ड आपरेशन का काम

*१५८--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में रेकार्ड आपरेशन (Record Operation) को शुरू हुये कितना समय हो चुका है और उस पर ब्योरेवार अब तक कितना खर्चा हो चुका है ?

श्री चरणसिंह--जिला टेहरी-गढ़वाल में रिकार्ड आपरेशन मार्च, १९५६ से शुरू हुआ । सत्सम्बन्धित अमीनी ट्रेनिंग स्कूल जनवरी, १९५६ से ही खोला गया था । अब तक कुल ७,४२,७३९ रुपया ४५ नया पैसा खर्च हो चुका है, जिसका ब्योरा यह है :

वित्तीय वर्ष	वेतन व भत्ता वगैरह		कन्टिन्जेन्सी		योग	
	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०
१९५५-५६ ..	६,९४०	८८	१८,९४२	८६	२५,८८३	७४
१९५६-५७ ..	२,८७,०९५	८७	१,१८,९६२	८९	४,०६,०५८	७६
१९५७-५८ (में अब तक) ..	२,०७,७८३	१५	१,०३,०१३	८०	३,१०,७९६	९५

*१५९--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में टेहरी राज्य काल के समय के अब तक कितने पटवारी हैं और उनका कन्फर्मेशन अब तक क्यों नहीं हुआ है ?

श्री चरणसिंह--जिला टेहरी-गढ़वाल में टेहरी राज्य काल के समय के ४२ पटवारी हैं । सन् ५६ तक टेहरी-गढ़वाल जिले के पटवारियों का स्थायी संवर्ग (काडर) नियत नहीं हुआ था । स्थायी संवर्ग (काडर) नियत हो जाने के बाद इन ४२ पटवारियों के स्थायी करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ । इनमें से १ को छोड़कर जिसने अभी हाई स्कूल पास किया है, बाकी ४१ न्यूनतम शिक्षा योग्यता नहीं रखते हैं । नियम के अनुसार इनको छूट देकर स्थायी करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

गोंडा जिला निवासी गोंडा में तैनात गजटेड अफसरों के तबादले के लिये प्रार्थना

*१६०--श्री रामअभिलाख तिवारी (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितने ऐसे गजेटेड आफिसर हैं, जो उसी जिले के रहने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--दो ।

*१६१--श्री रामअभिलाख तिवारी--क्या सरकार उनका तबादला करने की जल्द से जल्द कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न विचाराधीन है ।

इलाहाबाद मिन्टो पार्क में श्री मदनमोहन मालवीय की मूर्ति स्थापित करने की प्रार्थना

*१६२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद के नागरिकों ने इलाहाबाद के मिन्टो पार्क से जो विदेशी शासनकर्ता की मूर्ति हटाई गई है उस स्थान पर मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति रखने के लिये लिखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान पर मालवीय जी की मूर्ति स्थापित करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

आजमगढ़-दोहरीघाट सड़क पर बस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु

*१६३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २० जुलाई, सन् १९५४ की सात बजे शाम को आजमगढ़ से दोहरीघाट जाने वाली बस से छत्तरपुर एवं दाउदपुर के पास कोई व्यक्ति जबरदस्त घायल हो गया था ?

डाक्टर सीताराम--२० जुलाई, १९५४ को जिला आजमगढ़ में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, वरन् २० जुलाई, १९५५ को दुर्जनराम नामक एक व्यक्ति अवश्य दुर्घटना में घायल हो गया था ।

*१६४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि घायल व्यक्ति सदर अस्पताल, आजमगढ़ में उसी तारीख को भर्ती किया गया और २३ जुलाई, १९५४ को उसकी मृत्यु हो गई ?

डाक्टर सीताराम--व्यक्ति की मृत्यु २३ जुलाई, १९५५ को हुई ।

*१६५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घायल व्यक्ति के बेहोश हो जाने पर उसके लड़के से किसी मैजिस्ट्रेट ने बयान लिया था ? यदि हां, तो मैजिस्ट्रेट एवं सिविल सर्जन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--घायल व्यक्ति के लड़के का किसी मैजिस्ट्रेट ने बयान नहीं लिया ।

नैनीताल जिले के कानियां ग्राम की बंजर भूमि के लिये भूमिहीन शिल्पकारों की प्रार्थना

*१६६--श्री खुशीराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल, तहसील रामनगर के ग्राम कानियां में अभी कितनी खाम भूमि बन्जर पड़ी हुई है ?

श्री चरणसिंह--ग्राम कानियां में ४१ बीघा १० बिस्वा भूमि बिला काश्त पड़ी हुई है ।

*१६७--श्री खुशीराम--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानियां ग्राम की बन्जर खाम भूमि चाहने बाबत, कितने प्रार्थना-पत्र स्थानीय भूमिहीन शिल्पकारों के जिला अधिकारियों के विचाराधीन हैं और इन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाहियां की गईं ?

श्री चरणसिंह—एक शिल्पकार ने ग्राम कानियां में भूमि प्रदान करने की प्रार्थना की थी, परन्तु उसको भूमि न दी जा सकी, क्योंकि उस पर घना जंगल लगा है ।

लखनऊ जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*१६८—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष लखनऊ जिले के कौन-कौन गांव सैलाब ग्रस्त हुये और कितनी क्षति हुई ? इसमें मकानों और फसल की क्षति क्रमशः क्या है ?

श्री चरण सिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न†सूची में दिखा दी गई है ।

*१६९—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार यह बतायेगी कि सैलाब ग्रस्त गांव के निवासियों को क्या सहायता या सहूलियत दी गई और कितनी-कितनी किस-किस रूप म दी गई ?

श्री चरणसिंह—बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में जो सहायता या सहूलियतें दी गईं उनका विवरण प्रश्न १६८ के उत्तर में दी गई सूची के अंतिम खाने में दिखा दिया गया है ।

इटावा जिले में मादक वस्तुओं के ठेकेदार

*१७०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में अफीम, चरस व गांजा के कितने ठेकेदार हैं ?

डाक्टर सीताराम—अफीम और गांजा के केवल ८ ठेकेदार हैं ।

टेहरी-गढ़वाल जिले में पटवारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*१७१—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने जला टहरी-गढ़वाल के पटवारियों की ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करवा ली है ? यदि हां, तो कब ?

श्री चरणसिंह—६० पटवारियों की ग्रेडेशन लिस्ट सन् १९५२ से तैयार है तथा बाकी १४ पटवारी अभी उम्मीदवार हैं और उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने पर उनके नाम ग्रेडेशन लिस्ट में रक्खे जायेंगे ।

गोरखपुर-छपिया तथा गोरखपुर-घुघली बस सर्विस बन्द होना

*१७२—श्री अमरनाथ—क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में गोरखपुर से छपिया को जो बस ५-३० बजे जाती थी वह अब क्यों बन्द हो गई ?

डाक्टर सीताराम—इस बस पर यात्रियों की संख्या बहुत कम होती थी इसलिये उसे बन्द कर दिया गया है ।

*१७३—श्री अमरनाथ—क्या परिवहन राज्य मंत्री उपर्युक्त बस को पुनः चलाने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिये गोरखपुर से छपिया जाने वाली ५.०० वाली एक्सप्रेस बस को छपिया पर यात्री लेने के आदेश दे दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त एक बस इस मार्ग पर ६.१० बजे भी जाती है ।

---

† सूची छापी नहीं गई है ।

*१७४--श्री अमरनाथ--क्या परिवहन राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से घुघली जाने वाली बस क्यों बन्द है ?

डाक्टर सीताराम--महाराजगंज से घुघली तक सड़क की दशा इतनी खराब हो गई है कि उस पर मोटर नहीं चलाई जा सकती है। इस कारण बस बन्द कर दी गई है।

बाराबंकी जिले में माल विभाग के कर्मचारी

*१७५--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बाराबंकी में माल विभाग में ३, ४ साल से कितने कर्मचारी हैं जो एक ही जगह पर तैनात हैं ?

श्री चरण सिंह--जिला बाराबंकी के माल विभाग में ९ कर्मचारी ऐसे हैं, जो ३, ४ साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं।

परिगणित जातियों के ग्राम सेवक

*१७६--श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में बी० एल० डब्लू० में प्रतिशत के हिसाब से कितने हरिजन लिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय प्रदेश के ग्राम सेवकों में, लगभग ७ प्रतिशत के हिसाब से २३९ ग्राम सेवक परिगणित जाति के हैं।

अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिलों में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*१७७--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १२, १३, १४ सितम्बर सन् १९५७ को जो भीषण वर्षा हुई उससे जिला अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में कितनी क्षति हुई ?

श्री चरण सिंह--कथित अधिक वर्षा के कारण अल्मोड़ा जिले में केवल श्री जोगासिंह के एक मकान को क्षति पहुंची तथा उनके परिवार के ४ व्यक्ति व ८ पशुओं की जान गई। नैनीताल में तराई भावर क्षेत्र में अधिक वर्षा के फलस्वरूप कुल ४,८२५ रु० की क्षति कुछ अनाज व कृषि यंत्रों की हुई। गढ़वाल जिले में कोई हानि नहीं हुई।

*१७८--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सरकार ने क्षतिग्रस्त इलाकों को क्या-क्या सहायता दी है ?

श्री चरण सिंह--अल्मोड़ा जिले में श्री जोगा सिंह व उनके संतप्त परिवार को ढाई मन गेहूं, २२.४५ रु० नकद, कुछ कपड़े व ४ कम्बल मुफ्त दिये गये।

नैनीताल जिले १,००० रु० अहेतुक सहायता तथा ५,००० रु० तकावी वितरण हेतु स्वीकृत किया गया।

गढ़वाल में सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता।

हरदोई जिले में आग लगने से क्षति

*१७९--श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में तहसीलवार हरदोई जिले के किन-किन गांवों में आतिशजनी से कितनी-कितनी हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह--कदाचित् माननीय सदस्य का अभिप्राय आग लगने से है। अपेक्षित सूचना संलग्न † सूची में दिखा दी गई है।

---

† सूची छापी नहीं गई।

तराई भावर गवर्नमेंट एस्टेट, जिला नैनीताल में फार्मों के लिए दी गयी भूमि

*१८०--श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तराई-भावर में मेजर जनरल चिमनी, राजा भदरी, कुछ मिल मालिकों, सेठों तथा कई अन्य लोगों को भूमि दी गई है ? अगर हां, तो किस व्यक्ति को कितनी भूमि दी गई और कब ?

श्री चरण सिंह---तराई-भावर गवर्नमेंट एस्टेट, जिला नैनीताल में निम्नलिखित व्यक्तियों को बड़े-बड़े फार्मों के लिये इस प्रकार भूमि दी गई है :—

व्यक्तियों के नाम	भूमि एकड़ों में	कब दी गयी है
	एकड़	सन्
१---राजा भदरी ..	.. १००	१९५३
२---श्री दानसिंह बिष्ट ..	.. १५७	२९-५-१९५७
३---श्री खुशी राम ..	.. ४,९०५	५-८-१९२०
४---श्री श्याम स्वरूप भटनागर	. १,०३४	१-४-१९३२
५---श्री प्रयाग नारायण ..	.. ५,१९३	१-१०-१९३२
६---श्री रामेश्वर सिंह ..	.. १,१८९	१२-२-१९५१

मेजर जनरल चिमनी को तराई-भावर में कोई भूमि नहीं दी गई ।

राज्य के पूर्वी जिलों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट

*१८१---श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति की जांच के लिये नियुक्त शिवरमण टोली की अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि या संक्षिप्त विवरण सदन के सम्मुख रखेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, रिपोर्ट की एक †प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

जौनपुर जिले में चकबन्दी का कार्य

*१८२---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर के कितने गांवों में चकबन्दी कार्य सम्पूर्ण हो गया तथा कितने में अभी बाकी है ?

श्री चरण सिंह---शाहगंज तहसील में ७२ ग्रामों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो गया है और ६६३ ग्रामों में अभी बाकी है ।

*१८३---कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में कुछ गांवों में चकों के हेर-फेर के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः करनी पड़ी ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं ।

† रिपोर्ट छापी नहीं गई ।

भूतपूर्व छोटे जमींदारों को मुआवजा मिलने में कठिनाई की शिकायत

*१८४---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से भूतपूर्व छोटे-छोटे जमींदारों की शिकायतें सरकार के पास आई हैं कि उन्हें जमींदारी का मुआवजा तथा अधिवासियों का मुआवजा मिलने में बहुत ही परेशानी तथा दौड़धूप करनी पड़ती है और मुआवजा प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य हो रहा है ?

श्री चरण सिंह---ऐसी कुछ शिकायतें सरकार के पास समय-समय पर आती रहीं हैं ।

*१८५---श्री मुक्तिनाथ राय---यदि हां, तो क्या सरकार तहसील हैडक्वार्टर्स पर मुआवजा न देकर उन्हें उनके घरों पर मनीआर्डर फीस काट कर नकद मुआवजा भिजवा देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह---मनीआर्डर द्वारा रुपया भेजने की योजना पर सरकार विचार कर चुकी है और चूंकि उसमें कुछ दिक्कतें थीं, इसलिये उसे नहीं अपनाया गया । छोटे जमींदारों तथा क्षेत्रपतियों की दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार ने स्वतः संधान योजना (automatic adjustment scheme) चालू कर रखी है, जिसके द्वारा प्रतिकर की रकम सरकार को देय धनराशियों में मुजरा कर ली जाती है ।

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा जिले की प्लानिंग स्कीम में पिछड़ी व परिगणित जाति के क्लर्क

३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की प्लानिंग स्कीम में कुल कितने क्लर्क हैं ? उनमें क्रमशः कितने पिछड़े वर्ग तथा परिगणित जाति में से हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---६६ । इनमें १ पिछड़े वर्ग का तथा २ परिगणित जाति के हैं ।

आगरा जिले की तहसीलों में पिछड़ी व परिगणित जाति के क्लर्क

४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की समस्त तहसीलों में कितने क्लर्क हैं, उनमें क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चरणसिंह---आगरा जिले की समस्त तहसीलों में कुल ४० क्लर्क हैं जिनमें से २ परिगणित जाति तथा १ पिछड़े वर्ग के हैं ।

बदायूं जिले में सिंचाई के कुओं के लिये तकावी

५---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया तहसीलवार विवरण देने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में सिंचाई के कुओं को सन् १९५५-५६ में कितनी तकावी दी हुई और कितनी मंजूर हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५५-५६ में बदायूं जिले के लिये सरकार ने आरम्भ में ७५,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की। इसको जिले की भिन्न-भिन्न तहसीलों में वितरित करने का विवरण नीचे दिया है :—

तहसील का नाम	धनराशि जो निर्धारित की गयी	धनराशि जो काश्तकारों में वितरित की गयी
बदायूं	१२,५००	६,१२५
सहसवान	१२,५००	११,१७५
गुन्नौर	१२,५००	१९,४५०
बिसौली	२५,०००	६,५००
दातागंज	१२,५००	३,६००
योग ..	७५,०००	४६,८५०

वित्तीय वर्ष के अन्त में सरकार ने ७,२५० रुपये की एक अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की परन्तु उसका उपभोग न किया जा सका।

६—**श्री नत्थूसिंह**—[२७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। मेरे २१ और २२ नम्बर के प्रश्न थे जिन पर मैं एक ही पूरक प्रश्न कर सका और उसको भी आपने अस्वीकृत कर दिया। मेरे अलावा अन्य सदस्य भी इस प्रश्न में दिलचस्पी रखते हैं। परन्तु मुझे इजाजत नहीं मिली, इस पर विवाद करने के लिये आप मुझे आधा घंटा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—यह तो कोई महत्व का प्रश्न आप का नहीं होगा, इसलिये इजाजत नहीं दी होगी। जनहित में जवाब न देने के बारे में उन्होंने कहा था, तो उसके ऊपर आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। उसको वे गोपनीय रखना चाहते हैं, इसलिये उसके ऊपर विवाद नहीं हो सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—ऐसे भी कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं जो जन हित के हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—गोपनीय चीजों के ऊपर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। इस सदन में हर मेज के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने के सम्बन्ध में मैंने लिख कर भेजा था और उसका जवाब भी मुझे मिल गया है कि इसका प्रबन्ध शीघ्र किया जायेगा लेकिन .....

श्री अध्यक्ष—यह आप मेरे दफ्तर में आकर पूछ सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पहली तारीख को दिया था, लेकिन आज १३ तारीख हो गयी, उसका उत्तर आज तक नहीं दिया गया। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत प्रदान करने की कृपा करें कि इतने दिनों के अन्दर उत्तर जल्दी से जल्दी मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष—इसका गवर्नमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मुझे भी प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। मेरा प्रश्न आज १८१ नम्बर पर था परन्तु....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, मैं इन बातों में इतना समय नहीं लगा सकता क्योंकि अभी हमारे सामने कामरोको प्रस्ताव मौजूद हैं और एक विशेषाधिकार का प्रश्न भी है।

श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार का प्रश्न श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा ने भेजा है और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि वे इसको उपस्थित करें, क्योंकि कल जो माननीय गेंदा सिंह जी ने इसी सदन में ही यह कहा था कि १७ तारीख को माल विभाग में प्रश्न नहीं भेजा गया था बल्कि ११ को उनके पास मौजूद था, बार-बार वह यही कहते थे। उनको बतला दिया गया कि १७-२-५८ को प्रश्न हमारे दफ्तर से भेजे गये, लेकिन इस पर भी वह कहते रहे तो मैंने कह दिया कि आप गलत कह रहे हैं। चूंकि उन्होंने यह कहा था कि मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहें तो करें, इस पर मैंने कहा था कि यह तो कोई सदस्य प्रश्न उठाकर कर सकता है। कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है। भाषण देने में अगर कोई सदस्य यह बात कह जावें कि उनके खिलाफ कार्यवाही सम्भव हो तो की जावे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी बात को अमल में लाने के लिये इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाय और वह उठता भी नहीं है जबतक कि जानबूझ कर असत्य समझते हुए असत्य बात कही न गयी हो। वह चैलेंज दे रहे थे, मैंने स्वयं फाइल को देख लिया था और गेंदासिंह जी को भी बाद में फाइल दिखा दी गयी और १७ तारीख को ही उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं प्रश्नों को मंजूर किया था और उसके बाद वे मंत्री जी के पास गये थे और उन्हें यह भी लिखा गया था कि किस तारीख को जवाब उन्हें देना चाहिए और तदनुसार २१-२-५८ को जवाब दिया गया। यह कल की बात का स्पष्टीकरण है तो इसमें कोई सदन के अपमान का प्रश्न उठता नहीं है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको डिसप्यूट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने यह फरमाया कि आपने तहकीकात कर ली है और आपके दफ्तर से १७ तारीख को सवाल गये। इसके बाद एक बार नहीं, दोबार नहीं, बल्कि तीन बार गेंदासिंह जी ने आग्रह किया कि यह सवाल रेवेन्यू मिनिस्टर के आफिस में जा चुके हैं तो आपने जो फैसला दिया है वह बिलकुल बजा है। लेकिन क्या यह ठीक नहीं होगा कि मैं शिकायत कर सकूं कि यह मेरी नीयत पर हमला है और जो तकलीफ मुझे हुई है, उसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—आपकी नीयत का ही नहीं बल्कि मेरे दफ्तर का भी प्रश्न उसमें मिल सकता है क्योंकि मेरे दफ्तर में वे प्रश्न पड़े रहे। यह भी प्रश्न है। माननीय गेंदा सिंह जी, आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी और सदन को संतोष हो जाता यदि आप कृपा करके इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति में भेज दें। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे, जिनको मैं चाहता हूं कि खुलें, इसलिये मैंने इसका स्वागत किया।

श्री अध्यक्ष—अब भी आप चार्ज करते हैं कि यह झूठ बात है।

श्री गेंदासिंह—मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है। मैं इसको उठाने के लिये शान्तिप्रपन्न शर्मा जी को इजाजत देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, गेंदासिंह जी की पूरी बात नहीं हो पायी थी।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप उनकी वकालत नहीं कर सकते हैं। वह खुद कहें अगर वह पूरी बात कहना चाहते हों, मैं इजाजत देता हूं। नहीं कहना चाहते हैं?

श्री गेंदासिंह—मैं कहना तो जरूर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा को नियम ४४ के अनुसार इजाजत दे रहा हूं।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़े देता हूं। "श्रीमन्, आज सदन में श्री पद्माकर लाल जी द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय देते समय आपने यह कहा था कि यह प्रश्न माननीय माल मंत्री को आपके सचिवालय से २१-२-५८ के लिये निर्धारित करके १७-२-५८ को भेजे गये, जिसका उत्तर माननीय माल मन्त्री ने २१-२-५८ को ही सदन में दे दिया। और आपने कहा था कि इस प्रकार नियमों का उल्लंघन न होकर किसी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। आपके इस निर्णय के दिये जाने के बाद तथा कई बार कहने पर भी माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि उनको विश्वस्त रूप से सूचना है कि उपरोक्त प्रश्न आपके सचिवालय से ११-२-५८ को ही भेजे गये थे। आपने, इसके उपरान्त अपने कार्यालय के कागजात को देखने के पश्चात् भी श्री गेंदा सिंह जी के उक्त कथन का पुनः खंडन किया और सदन को यह बताया कि यह प्रश्न १७-२-५८ को ही माननीय मंत्री के पास भेजे गये। इस पर भी श्री गेंदा सिंह जी को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने फिर यही कहा कि उनकी यह पूर्णरूप से सूचना है कि यह प्रश्न ११-२-५८ को ही आपके विभाग से मंत्री जी के पास भेजे गये हैं। यह उनका कथन बिलकुल असत्य है। इस प्रकार माननीय गेंदा सिंह जी न सत्य को छिपाने की चेष्टा की और सदन को तथा आपको भ्रम में डालने का प्रयास किया है। यह सदन का अपमान है। अतः मैं उनके विरुद्ध सदन के अपमान करने का, प्रक्रिया नियमावली के नियत ४४ के अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं जिसकी मुझे आज्ञा दी जाय।"

श्री अध्यक्ष—मैंने तो आपको आज्ञा दे दी है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि आप फैसला दें मैं तीन मिनट के लिये कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले तो मैं उनसे ही बात करूंगा, क्योंकि मैंने उनको आज्ञा दे दी है। (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा से) आप इसकी वैधानिकता के बारे में कहना चाहें तो कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ आर्डर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रतिलिपि अध्यक्ष के पास भेजी गयी है, नियमानुसार वह सेक्रेटरी के पास भेजी जानी चाहिये थी, इसलिये अभी इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—नियम ठीक है, वह सचिव के पास भेजी गयी और उन्होंने वह मेरे पास भेज दी है। राजनारायण जी ने भी इसी तरह से किया था, लेकिन इस तरह की टेक्निकल बात पर मैंने उन्हें रोका नहीं था क्योंकि जब सचिव के पास भेज दी गयी, यद्यपि मेरे नाम से थी तो माना जायगा कि वह नियमानुकूल पहुंच गयी, इसम कोई आक्षप की बात नहीं है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, इस विशेषाधिकार के प्रश्न को उपस्थित करते हुए म कहूगा कि माननीय गेंदासिंह जी ने आज भी इस सदन के सामने बार-बार कहा है कि उनको ऐसी चीजों का पता है कि जिन का रहस्य वह बाद में खोलेंगे। यह प्रश्न ११ को ही हुआ था, लेकिन जब नेता विरोधी दल ने कहा कि कुछ भ्रम हो गया होगा तो ११ के बाद हमारी राय थी कि वापस लेलें। लेकिन अब चूंकि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा है कि वह बहुत से रहस्य खोलेंगे इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय ताकि इस मामले की जांच हो सके।

श्री त्रिलोकी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं परन्तु मुझे अफसोस है कि यह प्रिविलेज का सवाल उठाया गया और मैं इस मामले में माननीय गेंदासिंह से सहमत हूं और सदन की मर्यादा भी इसी म है कि यदि किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय और सन्देह हो तो वह सम्बन्धित सदस्य भी यही कहे कि उसे समिति के सुपुद कर दिया जाय। जहां तक कि शान्ति प्रपन्न शर्मा जी के विशेषाधिकार का प्रश्न है और उन्होंने जो तहरीर श्रीमन् के पास भेजी है उसमें कुछ टेक्निकल डिफक्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कह दूं कि मैं तो इस राय का हूं कि टेक्निकल डिफेक्ट्स की बिना पर किसी विशेषाधिकार के प्रश्न को रूल आउट नहीं होना चाहिये। जैसे उन्होंने शब्द 'अपमान' का प्रयोग किया है वह शब्द "अवमान" है। दूसरे उन्होंने कहा ह कि मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उन्हें कहना चाहिये था कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं। लेकिन मैं इन टेक्निकल डिफेक्ट्स की ओर नहीं जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि आर्टिकिल १९४ के अनुसार यह प्रिविलेज हाउस आफ कामन्स का ही ह, उनका कहना है कि कोई नया प्रिविलेज नहीं जोड़ा जा सकता। इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की .....

श्री अध्यक्ष—वह तो निश्चित ही है, आप आगे कहें।

श्री त्रिलोकी सिंह—तो अब प्रश्न यह होता है कि जिन माननीय सदस्य ने शिकायत की है वह बता देते कि किस रदीफ में यह कन्टेम्पट आती है। धोखा दना या भ्रम में डालना कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है, और अगर कोई कान्सपिरसी ह तो उन्होंन कोई इस तरह की चीज एस्टैब्लिश नहीं की, न तहरीर में न तकरीर में, और न बताया कि कोई साजिश श्री गेंदा सिंह जी ने की है। कान्सपिरेसी जो बरोज ने डिफाइन की है वह यह है कि:—

"A conspiracy exists when two or more combine to do an unlawful act or to do a lawful act by unlawful means."

तो कान्सपिरेसी के लिये कम से कम २ व्यक्ति होने चाहिये। वह हैं नहीं, तो ब्रीच आफ प्रिविलेज कैसे हो सकता है? इसलिये मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो शिकायत की गयी है, वह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस नहीं है। जहां तक श्री गेंदासिंह के कथन का सवाल है, मान्यवर को याद होगा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा था कि उन्हें इस बात पर एतराज है। यह ११ तारीख को गया था। यह उनकी इत्तला है। इसकी जांच करा ली जाये। मान्यवर ने खुद कहा है कि इसको देख लिया जाये। इसकी फिर से जांच करा ली जाये तो जो इसमें रहस्य छिपा हुआ है, वह खुल जायेगा। जो रहस्य इसमें छिपा हुआ है, उसके खुल जाने से सदन पर किसी प्रकार का लांछन नहीं आयेगा और न सदन के किसी सेवक पर ही कोई लांछन आयेगा। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रीच आफ दी प्रिविलेज नहीं हुआ है।

(श्री चरण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—इसकी वैधानिकता के बारे में आप कहें। वास्तविक किसी प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है या नहीं, इसके बारे में कुछ न कहें।

श्री चरण सिंह---मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस तो मेरे पास नहीं है। मैं तो एक आम बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी वैधानिकता पर विचार करने के लिये कल तक की मोहलत दे दी जाये।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि श्री गेंदा सिंह जी ने जो बात कही है उसमें एक जालसाजी की बात है। तो, श्रीमन्, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि शान्तिप्रपन्न जी की इस बात पर वैधानिक प्रश्न उठाया जाना चाहिये। उन्होंने यह गलत बयानी की है।

श्री राजनारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से श्री शान्तिप्रपन्न जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय माल मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको बहुत ही आवश्यक कार्य करने हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको बेकार सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये, क्योंकि मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस को पढ़ने में काफी समय नष्ट होगा। माननीय चरण सिंह जी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सदन का किसी प्रकार से अवमान नहीं किया गया है। जान बूझ कर, विल फुल्ली माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन का किसी प्रकार से अवमान नहीं किया है। अगर सदन का किसी प्रकार से अवमान हुआ है तो उसके बारे में मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में अनेक उदाहरण दिये हुए हैं। श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने जो विषय इस समय रखा है, वह कल गेंदा सिंह जी ने उठाया था कि, श्रीमन्, इसकी जांच करा ली जाये और इसमें जो रहस्य है उसका उद्घाटन हो जायेगा। माननीय सदस्य किसी बात को छिपा नहीं रहे हैं, वे तो माननीय सदन के सदस्यों को प्रकाश में लाना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह---वे तो दूसरी तरफ लिये जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---दूसरी बात आप मेरी सुन लीजिये। मेरा तर्क तो यह है कि श्री गेंदा सिंह जी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी प्रिविलेज का ब्रीच किया है। आप अपने कमरे में बुला कर समझा सकते थे। आप उनको मौका दे सकते थे। अगर किसी माननीय सदस्य को किसी बात का भ्रम है तो वह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस नहीं हुआ। श्री गेंदा सिंह जी को यह भ्रम है कि १७ तारीख को नहीं गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो भ्रम है, उसके बारे में जानकारी करा ली जाये। उनकी जानकारी के मुताबिक वह ११ तारीख को गया। तो यह इस सदन का कन्टेम्प्ट कभी नहीं हो सकता है। इस सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये और आपकी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये ही माननीय गेंदा सिंह जी ने इस प्रकार के विचारों का इजहार किया है। इसलिये मैं शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने इस विशेषाधिकार के प्रश्न को वापस ले लें। माननीय माल मंत्री जी के समय को नष्ट करने के लिये इस बात को न रखें क्योंकि इस प्रकार की फिजूल चर्चा से इस सदन का बहुत बड़ा सम्मान होने वाला नहीं है। इसलिये मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आपके द्वारा माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से सादर निवेदन करूंगा.....

श्री अध्यक्ष---आप एक ही बात को बार बार कह रहे हैं।

श्री राजनारायण---मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी वैधानिकता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष---अब यह प्रश्न कल लिया जायेगा और कल ही इस बात पर भी विचार कर लिया जायेगा कि इस पर यहां पर विवाद हो या न हो और इसकी वैधानिकता पर भी कल ही

[श्री अध्यक्ष]

विचार कर लिया जायेगा। माननीय राजस्व मंत्री और शान्तिप्रपन्न शर्मा जी आपस में मिलकर कुछ विचार कर लें और उसके बाद कल ही इस पर चर्चा होगी।

श्री गेंदासिंह---मैं केवल यह कह रहा हूं कि इससे सम्बन्धित कागजात का और फाइल का जो प्रश्न है तो उनको आप अपने कब्जे में रखें और जो फाइल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास है, जिसके विषय में यह धारणा है कि वह बात असत्य कही गयी है, उनको भी आप रख लें।

श्री अध्यक्ष---आप पहले उनको बता दें।

श्री गेंदासिंह---मैं जल्दी में इसलिये इस बात को कह रहा हूं कि अगर आप इन कागजात को अपने कब्जे में ले लेंगे तो मामले के खुलासा होने में हमको मदद मिलेगी।

तीन कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव और आये हैं; उनमें से मैं किसी को मंजूर नहीं करता। एक प्रश्न राजनारायण जी ने प्रस्तुत किया है जो कि विशेषाधिकार की अवहेलना से सम्बन्ध रखता है, लेकिन वह एक ही व्यक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न दिखायी देता है। इसमें श्री राजनारायण जी ने इस ओर संकेत किया है कि उस व्यक्ति द्वारा कुछ ज्यादतियां हुई हैं तो मैं इस प्रश्न को कामरोको प्रस्ताव की संज्ञा नहीं दे सकता।

दूसरा प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह जी का आयुर्वेदिक कालेज के सम्बन्ध में है, इस पर पहले भी बहस हो चुकी है, इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता। तीसरा प्रस्ताव श्री भुवनेश भूषण शर्मा जी का है, यह प्रश्न भी ऐसा है जिसको किसी भी प्रकार से कामरोको प्रस्ताव के योग्य प्रश्न नहीं माना जा सकता है, इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे सकता।

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ फरवरी, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ४ मार्च, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ८ मार्च, १९५८ को प्राप्त हो गयी और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का १२ वां अधिनियम बन गया।

स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम के नियम १ (क) में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित २५ स्थायी समितियों में से प्रत्येक में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कार्य करने के लिये विधान सभा के १४ सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम के नियम १ (क) में दी हुई विधि के अनुसार उक्त नियम में उल्लिखित २५ स्थायी समितियों में से प्रत्येक में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कार्य करने के लिये विधान सभा के १४ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यसूची में कटौती के प्रस्तावकों में नेता विरोधी दल का नाम सबसे ऊपर रखने के सुझाव पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—अब इससे पहले कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान हो जो प्रश्न माननीय विरोधी दल के नेता ने कुछ दिन पहले उठाया था उसके बारे में मैं अपनी राय सदन के सामने दे देना चाहता हूं। उन्होंने प्रश्न मुख्यत: यह उठाया था कि यहां की यह पद्धति रही है बजट के अनुदानों के संबंध में कि जो बजट के बाद विवाद के लिये समय निर्धारित हो और टीका-टिप्पणी हो उस टीका टिप्पणी को प्रारम्भ करने का अधिकार मुख्य विरोधी दल या उसके नेता की सलाह के अनुसार ही होना चाहिए। इस संबंध में कई प्रकार के अधिकार नेता विरोधी दल के, प्रथाओं व नियमों द्वारा यहां सदन में स्वीकृत हुए हैं। उनमें विशेषकर के यह तो मैंने पहले ही मान्य कर लिया था कि यह अधिकार उनका है कि वे निश्चित करें कि किस अनुदान के ऊपर वादविवाद होगा और किस पर नहीं होगा। उनसे पूछ लिया जाता है और यदि कोई और सदस्य किसी अनुदान पर बहस करने की अपनी इच्छा प्रकट कर देता है तो विरोधी दल के नेता से उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि अगर वे उसको एकमोडेट कर लें और उसके लिये कुछ समय दिया जा सके तो उस अनुदान के लिये भी समय दे दिया जाता है। लेकिन यह प्रथा है कि उनके ऊपर ही यह निश्चय करना निर्भर रहता है कि किस अनुदान के ऊपर समय वादविवाद के लिये दिया जाय।

दूसरे, जब यहां बजट पर सामान्य वादविवाद होता है उसमें प्रथम मौका उन्हीं को दिया जाता है कि वही विवाद प्रारम्भ करें और उनके भाषण के लिये भी समय के संबंध में यह निश्चय कर दिया गया है कि कोई समय की सीमा उनके भाषण के लिये न हो। और दलों के नेताओं के भाषण के लिये समय का कुछ न कुछ नियंत्रण रहता है लेकिन उनको भी अन्य सदस्यों से अधिक समय दिया जाता है। केवल नेता विरोधी दल के लिये कोई समय का निर्धारण नहीं किया जाता है।

नेता विरोधी दल का कहना यह भी था कि इंग्लैंड की एक प्रथा यह भी है, जहां की प्रथाओं के अनुसार हमारे यहां की प्रथायें बनती चली जा रही हैं कि कटौती के प्रस्ताव का प्रारम्भ विरोधी दल ही करता है। उनका यह कथन है कि इस सदन में भी कटौती का जब प्रस्ताव आता रहा है तो यह प्रथा अभी तक चली आ रही है, कम से कम ५–६ साल से, कि विरोधी दल के नेता के नाम से कटौती का प्रस्ताव पहले रखे जाते रहे हैं, चाहे फिर बाद में आपसी बातचीत करके किसी प्रस्ताव का प्रारम्भ किसी दूसरे सदस्य के द्वारा हो गया हो, चाहे वह मुख्य सदस्य मुख्य विरोधी दल का हो या जो दूसरे विरोधी दल हैं उनके सदस्यों में से कोई या उसके नेता उसको उपस्थित कर दें। कौन कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करेगा, यह आपसी समझौते से निश्चित होता रहा है, यह उनका कथन था।

पारसाल भी यह प्रश्न उठाया गया था और उस समय मैंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया था क्योंकि बाद में आपसी रजामन्दी से ये बातें तय हो गयी थीं। इसके बाद मैंने इस साल भी जब यह प्रश्न उठाया गया तब यह बात कही कि अगर आपसी समझौते से कोई चीज हो जाय तो बात ठीक है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह प्रथा या कन्वेन्शन कायम हो गयी है कटौती के प्रस्ताव के संबंध में कि नेता विरोधी दल को ही कार्यवाही में प्रथम स्थान दिया जाय और उनकी सलाह से ही अन्य सदस्य उसे उपस्थित कर सकें। मैंने यह भी कह दिया था कि हर एक सदस्य को कटौती का प्रस्ताव लाने का अधिकार है तो नियम के अनुसार जिसका नोटिस पहले आयेगा उसका नाम ऊपर रहेगा। लेकिन एक बात अवश्य है कि उस प्रथा को मैंने स्वीकार किया है जो कि स्पष्ट रीति से इस सदन में स्वीकार की गयी है कि विरोधी दल की तरफ से ही, यानी दलों में किसी दल की तरफ से या किसी दल

[श्री अध्यक्ष]

के व्यक्ति की तरफ से ही कटौती का प्रस्ताव पेश होगा। सरकारी दल के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से प्रथम कटौती का, प्रस्ताव उपस्थित करने का, मैं समझता हूं, ६–७ साल में कोई भी मौका नहीं दिया गया है। इसका भी मतलब यही रहा है कि यह प्रथा मान ली गयी थी कि किसी सरकारी पक्ष के सदस्य को पहले कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये मौका नहीं दिया जाना चाहिए। वे कटौती के प्रस्ताव पर, उपस्थित किये जाने पर, बोल सकते हैं। यह प्रथा मैंने स्वीकार की थी, लेकिन मुख्य विरोधी दल के नेता के नाम से ही कटौती का प्रस्ताव हो और वह जिस व्यक्ति को विरोधी दल में से कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये रजामंद हों, वह उपस्थित करें। यह इस सदन की या अन्य कहीं की भी प्रथा है या नहीं, इस संबंध में मुझे शंका रही। इसलिये मैंने विरोधी दल के जितने दल हैं उनके नेताओं से और यदि नेता उपस्थित नहीं थे तो उन्होंने जिन व्यक्तियों को मनोनीत किया, उनसे बात-चीत की और बहुत बहस की और सुनी। उन बहसों को सामने रख कर और जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पुस्तिका में ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रथा का वर्णन है और लोक सभा के रवैये और अपने देश में जो अन्य विधान सभाएं हैं, उनके रवैये के बारे में, या प्रथाओं के बारे में, जानकारी प्राप्त करने से मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऐसी प्रथा कहीं भी निश्चित नहीं है। विरोधी दल के नेता ने भी इतना कबूल किया है कि जहां तक लोक सभा की प्रथा है वह हमारे यहां की प्रथा से बिलकुल भिन्न है। उनका कहना यह है कि इंगलैंड की जो प्रथा है उसको लोक सभा ने नहीं लिया। मेरी राय में लोक सभा के नियम तथा प्रथा दूसरी किस्म की है और वहां जो कटौती के प्रस्ताव आते हैं वह एक साथ भी पेश हो जाते हैं और ६–६, ७–७, ८–८ पेश हो जाते हैं। जिस क्रम से वे आते हैं उसके अनुसार उपस्थित किये जाते हैं। वहां शायद मुख्य विरोधी दल भी कोई स्वीकार नहीं किया गया है इत्यादि, इस बात को नेता विरोधी दल स्वीकार करते हैं।

बम्बई के बारे में तो मैं यह कह सकता हूं कि वहां तो अध्यक्ष ही निर्णय कर देते हैं, यदि कई एक से कटौती के प्रस्ताव हों, कि फलां प्रस्ताव अमुक सदस्य उपस्थित करेगा। हर जगह अलग-अलग रिवाज हैं। लेकिन मैंने यह उचित समझा कि हजारों वर्षों से अनुभव की हुई जो प्रथा है और जब हम इंगलैंड की प्रथा के अनुसार ही बहुत कुछ अपने यहां का प्रोसीड्योर रखे हुए हैं और उसके लाभ भी हम जानते हैं, तो ऐसी अवस्था में जहां तक सम्भव हो इंगलैंड की प्रथा का अनुसरण हम करेंगे। द्विदल पद्धति को हम स्वीकार करें, यह सिद्धांत मैं मानता हूं, लेकिन द्विदल पद्धति धीरे-धीरे कायम करना दूसरी बात है, और उसकी कल्पना करके उसका अस्तित्व तत्काल मानकर ही चला जाय हर विधान सभा के लिये मानों दो दल कायम ही हो गये हैं और वे पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ सकते हैं, यह बात भिन्न है। मुख्य मंत्री जी के अपोजीशन की या हिज मैजेस्टी के अपोजीशन की दृष्टि से जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वे मुख्य विरोधी दल किसी विधान सभा में ओढ़ सकते हैं, यह बात तत्काल 'बाई आर्डर' या 'रूलिंग देकर' अध्यक्ष स्थापित नहीं कर सकता। दो शक्तिशाली दलों की स्थापना का सवाल है जो धीरे-धीरे ही द्विदल पद्धति को प्रोत्साहन देकर ही सफल हो सकता है। इसी प्रकार द्विदल पद्धति को लाने का प्रयत्न करना उचित होता है और उसमें जितने अन्य दल होते हैं उनके साथ वार्ता या बात-चीत करके सामञ्जस्य पैदा करना और जो विरोधी पार्टियां हैं उनका एक आर्गेनाइज्ड अपोजीशन इस किस्म का होना जिससे सदन की टीका टिप्पणी और भाषणों का व्यवस्थित ढंग हो और ऊंचा स्तर उनका किया जा सके उसका प्रयत्न करना, यह आवश्यक होता है।

मैं आपको नमूने के लिये जो लोक सभा के बारे में डब्ल्यू० एच० मारिस जोन्स ने उनकी प्रथा के बारे में 'पार्लियामेंट इन इंडिया' किताब में एक जगह कहा है, पढ़कर सुनाता हूं।

"Each cut-motion may refer to only one subject and not to the demand as a whole.

"The Chair has made appeals to members to make agreed selections of cut-motions for discussion in order to give coherence to the attack".

यानी-व्यवस्थित ढंग से टीका हो सके उसके लिये बार-बार अध्यक्ष ने भारतीय पार्लियामेंट में अपील की कि ऐग्रीड सेलेक्टेड कट--मोशन्स को सदस्यगण चुन लें और उनपर बहस हो जाय। तो वहां की प्रथा भिन्न होने पर भी उन्होंने यह अपील की जिससे आर्गेनाइज्ड अपोजीशन हो सके। तो मैं भी यही प्रयत्न इस विषय में करता हूं कि द्विदल पद्धति अपने देश में भी कायम हो तो क्रम से कायम हो, न कि तत्काल इम्पोज की जाय। इम्पोज करने का सवाल पैदा नहीं होता और उसमें खतरा भी है।

अब यह देखना है कि इंगलैंड की पद्धति क्या है, क्योंकि उसी के आधार को लेकर विरोधी दल के नेता कहते हैं कि यहां भी ऐसी प्रथा कायम हो गयी। यहां यह प्रथा कायम हो गयी है इस बारे में मैं अभी निश्चित राय नहीं दे सकता हूं और ५-६ साल में कोई रवैया अख्तियार होता है उससे प्रथा नहीं कायम होती। प्रथा कायम होने के लिये सदन को स्वीकार करना चाहिये कि फलां प्रथा कायम हुई है। प्रथा के अलावा सदस्यों के बीच एक चीज और भी हुआ करती है जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं और हर साल अंडरस्टैंडिंग होती रहती है। यानी किसी खास मौके के लिए अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझौता, हो जाता है कि हम लोग इस विषय में इस प्रकार से विवाद करें। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इस संबंध में ३ शब्दों का उपयोग किया गया है। एक तो 'कनवेंशन' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक 'अंडरस्टैंडिंग' का शब्द उसमें आया हुआ है और तीसरे 'लांग स्टैंडिंग प्रैक्टिस' शब्द हैं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पुस्तिका में सरकारी कार्य के बारे में स्पष्ट कहा है कि यद्यपि समय-निर्धारण का गवर्नमेंट को पूर्ण अधिकार उसमें हैं, लेकिन जो अमल में बात आती है, अमल के हिसाब से यह इंगलैंड में तय है जो निम्नवाक्य में पृष्ठ ३०४ पर सोलहवें एडीशन में इस प्रकार दिया है :--

"But a good deal of what is nominally Government time is devoted to proceedings of a technical character, which are designed to give opportunities for criticism, and are regulated by long standing practice and by conventions which give the initiative to the Opposition".

इसके बाद निम्नवाक्य भी हैं :--

"In what follows an attempt is made to set out not only the formal rules, based upon practice and the standing orders by which the arrangement of business is regulated, but also the understandings and conventions by which these rules are supplemented".

यानी नियम या रूल्स वगैरह तीन प्रकार से यानी लांग स्टैंडिंग प्रैक्टिस से सप्लीमेंट हो जायं, कनवेन्शन्स से हो जायं या अंडरस्टैंडिंग से हो जायं। तो मैं जहां तक समझ पाया हमारे सदन में अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर कटौती के पेश करने का क्रम तय होता रहा है कि यद्यपि कटौती का प्रस्ताव देने का सबको अधिकार था लेकिन सहूलियत के खयाल से कुछ सदस्यों के नाम से कार्यक्रम में वह दिये जाते थे और सभी पार्टियां हर साल मिल कर तय कर लेती थीं कि कौन कट मोशन को मूव करेगा। यही बात मैं समझ रहा था। लेकिन ऐसी कन्वेन्शन इंगलैंड में है इसलिये इसको यहां पर भी हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए; इस तरह से निश्चय होकर कभी स्वीकृति इस सदन के द्वारा इस प्रथा की नहीं हुई, ऐसा मेरा खयाल बराबर बना रहा।

[श्री अध्यक्ष]

इसके बाद माननीय विरोधी दल के नेता एक बात और मेरी नजर में लाये और मैंने भी उसको पहले थोड़ा सा पढ़ लिया था तो मुझे भी कुछ शक हो गया इस बारे में कि कहीं इंग्लैंड में ऐसी प्रथा तो नहीं है लेकिन 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' में कहीं भी स्पष्ट रूप से इसका खुलासा या ब्योरा नहीं दिया गया है। लेकिन यह उसी के ३१२ पेज पर दिया हुआ है :—

"In deciding to which category any class of business belongs the question to be answered is, who really initiates the subject of discussion—an individual private member, the Opposition as an organised party, or the Government."

ये उक्त वाक्य उसमें हैं कि डिस्कशन को इनिशियेट करना किस का काम है, इससे निर्धारित होता है कि किस कैटेगरी और क्लास का वह बिजनेस है और कैटेगरी और क्लास आफ बिजनेस के बारे में यह बताया हुआ है कि फाइनेंशल बिजनेस का समय अपोजीशन का ही मुख्यतः है। दोनों को एक साथ पढ़कर यह मालूम होता है कि अपोजीशन डिस्कशन को इनिशियेट करेगा। प्रश्न यह है कि हमेशा मुख्य अपोजीशन उसे प्रारम्भ करे या और जो छोटी-छोटी अपोजीशन पार्टीज हैं, वे भी इनिशियेट कर सकती हैं, यह प्रश्न फिर भी थोड़ा बहुत गोल रह जाता है। तो इस विषय में जो शंका रह गयी वह तो बाकी ही रहती है यद्यपि इस वाक्य की वजह से विरोधी दल के नेता के शब्दों में बहुत वजन बढ़ जाता है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि 'सब्जेक्ट आफ डिस्कशन' का मतलब मैं यह ले रहा था कि जो अनुदान है उसका निर्णय तो वह करते हैं कि किस अनुदान के ऊपर विवाद होना चाहिए लेकिन डिस्कशन को इनिशियेट भी वह करेंगे या नहीं इस बात के निर्णय के लिये उक्त उद्धरण में काफी वजन मालूम होता है।

अब इंगलैंड की प्रथा को समझने में क्यों इतनी गड़बड़ हो जाती है? इसका कारण यह है कि वहां पर कमेटी आफ सप्लाई और कमेटी आफ वेज ऐंड मीन्स पूरे हाउस की कमेटी हो जाती है। वहां पर जो सप्लाई की डिमांड होती है वह सदन में वैसे नहीं आ जाती है, बल्कि उस वक्त यह कहा जाता है कि स्पीकर वहां से हटा दिया जाय। वह जब हट जाता है तो चेयरमैन आफ दि वेज ऐंड मीन्स उसके चेयरमैन हो जाते हैं और फिर बहस होती है। उसमें कई प्रकार के कट-मोशन्स होते हैं। उसमें मैंने देखा है कि कई कट-मोशन्स कई विषयों पर एक ही तरह के हों तो सब एक साथ ले लिये जाते हैं। मेज पार्लियामेंटरी प्रक्टिस में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें कौन मूव करगा। उसक बाद जो उस समूचे सदन की कमेटी के प्रस्ताव होते हैं वह फिर सदन में आते हैं और वहां भी अमेंडमेंट, जिसको आप कट-मोशन कहते हैं उपस्थित होते हैं। इस प्रकार दो दफे कटौती के प्रस्ताव होते हैं। इतनी बारीकी से जहां प्रथा बनी हुई है वहां पर यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि हर एक या हर बार कट-मोशन पर डिस्कशन विरोधीदल ही इनिशियेट करता है या उनकी पार्टी ही करती है या छोटी पार्टियां या उनके सदस्य भी पेश करते हैं, यह स्पष्ट नहीं होता। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि इस साल भी जिस तरह से पारसाल मैंने कह दिया था, आपस में कोई बात समझौते से तय कर ली जावे। अब तक तीन चार दिन मुख्य विरोधी दल का असहयोग रहा वह अब खत्म होना चाहिए। मैं इस विषय में नेता विरोधीदल से अपील करूंगा कि वह आपस में फिर बातचीत कर लें और मुझे बता दें कि किस अनुदान पर कौन-कौन सदस्य कटौती के प्रस्ताव प्रारम्भ करेंगे। यदि वे यह बात मुझे बता देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां का वातावरण अच्छा हो जायगा, यह मुझे पूर्ण आशा है क्योंकि इस विषय पर-विवाद काफी हो चुका। यह बात उचित है कि विरोधी दल के नेता की बातों का जो वजन है उसका लिहाज दूसरे दल के नेता भी करेंगे और विरोधी दल के नेता भी अल्पसंख्यक दलों के नेताओं की विशेष इच्छाओं और

भावनाओं को स्थान अपने निर्णय और समझौते में देंगे। इस वर्ष इस तरीके से कार्य कर के यह चीज खत्म हो। इस बीच में मैं इंग्लैंड की प्रथा के बारे में पत्र-व्यवहार कर लूंगा और वहां की प्रथा को स्पष्टतः जानने का प्रयत्न करूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि सम्भवतः ऐसी प्रथा वहां न होगी जिसे विरोधीदल के नेता ठीक न कहते हों। यदि ऐसा होगा तो मैं इस विषय को सदन के ऊपर छोड़ दूंगा और सदन जिस प्रथा को अंगीकृत करना चाहेगा करेगा। मैं समझता हूं कि द्विदल पद्धति अच्छी है जो इस देश में चल भी सकती है। वही पद्धति हम स्वीकार करें तो बुराई नहीं होगी परन्तु आज तो सिर्फ इतना ही करना है और मैं अपील करके विरोधी दल के नेता से यह कहता हूं कि वह यहां पर विवाद में भाग लेना शुरू कर दें और किस कटमोशन पर और किस विषय पर वह बोलेंगे इस विषय में बातचीत करके मुझे बतादें तो मैं उसी तरह से उस नाम को पहले पुकारूंगा, जो कुछ आप निर्णय करेंगे वह मेरे सामने आयेगा। उस पर यदि कोई विवाद खड़ा होगा तो मैं अपना फैसला देकर उसको खत्म करने का प्रयत्न करूंगा जिससे सब का मन रह सके। किसी को यह मालूम न हो कि वह कम संख्या में होने की वजह से दबाया जा रहा है, साथ ही जो मुख्य विरोधी दल है उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान जो होना चाहिये वह भी कायम रह सके। बस यही मेरा फैसला है।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज कल्याण और श्रम दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाय। यह दोनों दिन भर चलेंगे और इसमें प्रस्तावक को २० मिनट और बाकी को १० मिनट का समय रहे।

श्री अध्यक्ष—तो यही निश्चय रहा .....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन के अनुदान में पहले भी १५ मिनट प्रस्तावक के लिये रहे हैं और १० मिनट और लोगों के के लिये। चूंकि दो दिन का अनुदान माल मंत्री जी का हो गया था इसलिये २० मिनट रखे गये थे.....

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट में तो किसी को आपत्ति नहीं है? (किसी के न बोलने पर) तो यही ठीक है। १५ मिनट प्रस्तावक को और १० मिनट और लोगों को रहेंगे।

अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४७—श्रम और अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—श्रम—लेखा शीर्षक ४७—प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १,६१,४४,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—समाज कल्याण—लेखा शीर्षक ५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत ४२,९९,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों अनुदानों के संबंध में यूं तो विभाग की तरफ से साहित्य बंट चुका है और मेरा खयाल है कि माननीय सदस्यों ने उसे गौर से पढ़ा होगा, फिर भी मैं समझता हूं कि यदि उसकी कुछ मौलिक बातों की तरफ मैं आपके जरिये से सदस्यों का ध्यान दिलाऊं तो असामयिक न होगा।

[आचार्य जुगल किशोर]

समाज कल्याण में जैसा कि आंकड़ों से मालूम होगा, इस वर्ष बजाय ७० लाख के ४३ लाख रुपये के लगभग रखा गया है। संभव है माननीय सदस्यों के मन में यह भ्रम पैदा हो कि इस कमी को करने का क्या कारण है, यह क्यों की गयी है, इसका सब से बड़ा कारण यह है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो २५ लाख रुपये की रकम ओल्ड एज पेंशन की है वह, बजाय समाज कल्याण विभाग के, श्रम विभाग में शामिल कर ली गयी है। इसके कई कारण हैं, लेकिन ज्यादातर वह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनीयेंस के कारण से ही रखी गयी है। आगे जाकर जब मैं श्रम विभाग के संबंध में कहूंगा तो उसकी रकम और समाज कल्याण की रकम मिलाने से मालूम पड़ेगा कि वह दोनों मिल कर कम नहीं हुई हैं, लेकिन समाज कल्याण विभाग से वह कम हो गयी है।

समाज कल्याण के बारे में दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। इस विभाग का कार्य-क्षेत्र ग्रामों में है जहां पर एक्सटेंशन ब्लाक्स या प्लानिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है। वहां स्त्रियों और बच्चों के लिये एक महिला मंगल योजना है जिसके अन्तर्गत ९ लाख ८८ हजार ९ सौ रुपया हमारे विभाग की तरफ से खर्च किया जायगा। इस के अलावा सोशल वेलफेयर बोर्ड, जिसका नियंत्रण केंद्रीय बोर्ड से होता है, उसको हमारे विभाग से ४ लाख ७० हजार रुपया दिया जायगा और वह भी गांवों में जहां-जहां एक्सटेंशन ब्लाक्स हैं, विशेषतया वहां पर इस तरह के केंद्र महिलाओं और बच्चों को शिक्षा देने के लिये, उन की भलाई के लिये और सेवा के लिये खोले गये हैं, उनको अनुदान दिया जाता है। यानी, हमारी सरकार की तरफ से ९ लाख ८८ हजार ९ सौ रुपया और ४ लाख ७० हजार रुपया खर्च किया जायगा। इसके अलावा हमारे प्रदेश में बहुत सी गैरसरकारी संस्थायें काम कर रही हैं। उनको अनुदान के रूप में ५ लाख ९८ हजार २ सौ रुपया हमारी सरकार की तरफ से दिया जायगा। सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से भी पिछले वर्ष १ लाख ९१ हजार रुपया मिला है। हमारी यह नीति रही है कि जहां तक हो सके हमारे प्रदेश में जो गैर सरकारी संस्थायें काम कर रही हैं, उनको समाज कल्याण विभाग द्वारा ताकत दें, उनकी सहायता करें तथा ऐसी गैर सरकारी संस्थायें खोलने के लिये हम प्रोत्साहन दें। हमारी यह पालिसी कामयाब रही है। काफी संख्या में इस तरह की संस्थायें सामने आ रही हैं जो इस तरह से काम को हाथ में ले लें। इसके अतिरिक्त जो पुरानी संस्थायें थीं, जो धनाभाव के कारण कमजोर हो गयी थीं, काफी मजबूत होती जा रही हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं।

इसके अलावा इस वर्ष हमारे विभाग के द्वारा केंद्रीय सरकार की सलाह से एक योजना सोशल एन्ड मारेल होम्स नाम से चली है जिसके अन्तर्गत हमारे प्रदेश में ५ गृह खोले जायंगे। दो स्त्रियों के लिये, जिनमें ऐसी स्त्रियां होंगी जो जेल से छूटी होंगी या ऐसे घरों से या संस्थाओं से आयी होंगी जहां उनके लिये कोई व्यवस्था न होगी, इनमें उनको काम पर लगाया जायगा।

दो गृह ऐसे होंगे जिनमें जेल से छूटे हुए पुरुष होंगे। जिनका और कोई साधन नहीं है, उनको वहां रखा जायगा। दूसरे में ऐसे व्यक्ति होंगे जो आर्फनेजेज से अथवा बेगर होम्स से आये हुए होंगे, जहां कि उनको किसी वजह से निकाल दिया जाता है। अनाश्रित ऐसे व्यक्तियों को सहारा देने के लिये, उनको शिक्षा देने के लिये वहां पर रखा जायगा।

एक होम स्त्रियों का होगा जिसमें वे बहनें रहेंगी जिनका कोई संभालने वाला नहीं है अथवा उनका कोई देखने वाला नहीं है।

इनके अलावा प्रदेश के ३० जिलों में १५ स्त्रियों के लिये और १५ पुरुषों के लिये शेल्टर्स खोले जायेंगे। ऐसे व्यक्तियों को इन होम्स में भेजा जायगा जो उनमें जाने योग्य हों, जहां से उनको उन ५ होम्स में भेज दिया जायगा। मेरा खयाल है कि इस प्रदेश में

जब यह योजना ठीक तरह से चलने लगेगी तो आज हमारे सामने जो निराश्रित बहनों और पुरुषों की समस्या है, उसको हम किसी हद तक हल कर सकेंगे।

जैसा कि मैंने कहा, हमारी कोशिश यह रही है कि जितनी भी संस्थायें गैरसरकारी ढंग से चलायी जा सकें, चलायें और जहां तक हो सके गैर सरकारी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करें। इस समय हमारे प्रदेश में सरकारी संस्थायें अपाहिजों के लिये हैं जिनमें गूंगे, बहरे और अंधे आते हैं, उन बेगर्स के लिये भी, जो अपाहिज हैं। एक ऐसी संस्था हम इलाहाबाद में भी खोलने जा रहे हैं। इनको चलाने के लिये भी हमारी कोशिश यही होगी कि जितनी भी गैर सरकारी संस्थायें हैं अथवा गैरसरकारी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका सहयोग प्राप्त करें।

अब मैं श्रम के संबंध में आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। इस वर्ष इस अनुदान में १६१ लाख, ४४ हजार १ सौ रुपया रखा गया है जब कि पिछले साल इसी अनुदान में ११० लाख रिवाइज्ड एस्टीमेट में रखा गया था। इस प्रकार से इस वर्ष ५१ लाख, ४४ हजार १ सौ रुपये की वृद्धि हुई है। इसमें से २५ लाख ओल्ड एज पेंशन के संबंध में है जो कि पिछले वर्ष समाज कल्याण विभाग में रखा गया था लेकिन इस वर्ष इसको श्रम विभाग में रख दिया गया है। इनमें सौ ७७ लाख, ४० हजार ५ सौ रुपया खासतौर से इम्पलायमेंट एक्सचेंज और क्राफ्टमैन ट्रेनिंग के लिये रखा गया है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि नवम्बर सन्, ५६ के पहले यह इम्पलायमेंट एक्सचेंज और क्रैफ्टमैन ट्रेनिंग का सिलसिला जो चल रहा था, उसका संचालन केंद्रीय सरकार द्वारा होता था। नवम्बर, सन् ५६ से उसका संचालन प्रदेश की सरकार के द्वारा हो रहा है और उसमें जो खर्चा होता है उसका ६० प्रतिशत तो केंद्रीय सरकार देती है और ४० प्रतिशत हमारी सरकार देती है। इस तरीके से हमारे प्रदेश में ये स्कीमें चल रही हैं, इनके बारे में मैं आगे चल कर बतलाऊंगा।

ओल्ड एज पेंशन के सिलसिले में भी मुझे यहां कुछ कहने का पहला मौका ही है, क्योंकि पिछली बार भी समाज कल्याण विभाग में यह अनुदान शामिल तो था लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिला था। इस साल मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस ओल्ड एज पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट को सलाह देने के लिये एक ऐडवाइजरी कमेटी बनायी गयी है जिसमें हमारे इस सदन के, खासतौर से विभिन्न पार्टियों के विरोधी दल के नेताओं को, जहां तक हो सका है शामिल किया गया है और ऐसे अन्य सज्जनों को भी जो हमारे प्रदेश में इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। इस तरीके से इस पेंशन स्कीम के द्वारा कोशिश की गयी है कि ७० वर्ष की उम्र से ज्यादा के जो व्यक्ति हों और जिनके कुटुम्ब में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो उसको सहारा दे सके और जिसको सहारा देने वाला २० वर्ष से कम उम्र का हो तो उसके लिये गवर्नमेंट १५ रुपये मासिक सहायता देगी। इसके और भी बहुत से नियम बने हैं, जिनका जिक्र करके मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय सदस्यों को जो साहित्य बंटा है उसको पढ़ने से उनको मालूम हो जायगा। लेकिन मुझे खासतौर से यह एलान करते हुए खुशी होती है कि पिछले साल एक एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति हुई थी जिसकी हाल ही में मीटिंग हुई थी और उसकी कुछ सिफारिशें हमारे सामने रखी गयीं जिनको गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है। एक सिफारिश तो यह है कि पहले मनीआर्डर कमीशन पेंशन देने वाले के रुपये में से ही काट लिया जाता था लेकिन अब उसको सरकार ही बरदाश्त करेगी। इसके अलावा जो ७० वर्ष के वृद्ध पुरुष हैं और उनकी स्त्री भी है जो ६० वर्ष के ऊपर है तो पहले नियम यही था कि उसको पेंशन नहीं मिलेगी लेकिन अब यह नियम बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ७० वर्ष की उम्र का है और उसकी स्त्री ६० वर्ष के ऊपर की है तो उसको यह पेंशन मिलेगी और ७० वर्ष के ऊपर होने पर दोनों को पेंशन मिलेगी। कमेटी ने जो सुझाव दिया था उसको हमने स्वीकार कर लिया है। इसी तरह से ऐसे

[आचार्य जुगल किशोर]

व्यक्तियों को जो कि २० वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं लेकिन असहाय हैं, कुष्ट पीड़ित हैं, या टी०बी० की बीमारी से पीड़ित हैं जिनको सहायता देने वाला कोई नहीं है और न वे किसी को सहायता दे सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के होते हुए भी उनके घर के ऐसे वृद्ध पुरुष को पेंशन दी जायगी जो कि ७० वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। मैं समझता हूं कि सारे देश भर में हमारा प्रदेश ही ऐसा है जिसने सबसे पहले इस दिशा में कदम उठाया है। यद्यपि केवल २५ लाख रुपया ही इसके लिये रखा गया है, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा धन नहीं है कि ज्यादा व्यक्तियों को दे सकें लेकिन हमारा खयाल है कि जैसे जैसे हमारी माली हालत अच्छी होती जायगी हम ज्यादा व्यक्तियों को भी मदद दे सकेंगे। लेकिन हमने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो जाय और उसके पास कोई सहारा न हो उसको सहायता देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। हमारे पास अभी धन की कमी है लेकिन इस सिद्धांत को मान कर इस तरफ कदम उठाना सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को कायम करने के लिये बहुत जरूरी था।

इसके बाद जो विशेष हमारे मुहकमें के नये काम हैं वह, जिसका कि मैंने जिक्र किया था, क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग और एम्पलायमेंट ऐक्सचेंजेज हैं। हमारे प्रदेश में पहले से एम्पलायमेंट एक्सचेंज के २४ सेंटर खुले हुए थे। इस साल हमने १२ सेंटर्स और खोले हैं तो हमारे यहां इस समय ३६ सेंटर्स हैं। इसी तरह से क्राफ्ट सेंटर्स हमारे यहां १३ हैं जहां पर नवयुवक और नवयुवतियों को शिक्षा दी जाती है जिसमें वह दस्तकारी में अपनी रोजी भी कमा सकें और इंडस्ट्री को चलाने में हमारे प्रदेश को सहायता भी दे सकें। आज हमारे प्रदेश में १,८३२ लड़के शिक्षण के लिये आये हुए हैं जिनको शिक्षा दी जाती है और इसके अलावा १,०३२ लड़के इस साल और शामिल हुए हैं। पांच नयी संस्थायें खोली गयी हैं और उनके अलावा दो संस्थायें और खोलने का विचार है। इन सबको मिलाकर हमारे प्रदेश में ५,४०० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायगा जिससे वह अपनी रोजी कमा सकें और इंडस्ट्री के विकास में मदद भी कर सकें।

अब मैं इस आदरणीय सदन के सामने एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के बारे में आंकड़े रख देना चाहता हूं जिससे जाहिर हो सके कि इनमें क्या काम हुआ है। हमारे इन एक्सचेंजों में ३,४३,६६३ आदमियों ने नौकरियों के लिये अपने नाम दर्ज कराये। इनमें से ३४,४९३ आदमियों को नौकरियां दिलायी गयी हैं और ३९,६१८ आदमियों के लिये मांग आयी थी जिनमें से हम ३४ हजार आदमियों को भेज सके। इससे जाहिर होगा, यों तो यह केवल १० प्रतिशत है लेकिन अगर सारे देश के आंकड़े लिये जायं तो इससे ज्यादा कहीं नहीं है, तो यह काफी अच्छा अनुपात है। गो संतोषजनक नहीं है, इसलिये कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो भी बेकार हो, वह हमारे एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हो और उसको एम्पलायमेंट मिलना चाहिये और जो एम्पलायर्स हैं, वह भी जो नौकर रखें तो हमारे एक्सचेंजों के मारफत ही नौकर रखें। अगर ऐसी प्रथा हो जायगी तो इसका उद्देश्य यह होगा कि हम जन-शक्ति का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। हम अच्छे व्यक्तियों का इन्टरव्यू करके एम्पलायर्स को उनकी मांग के मुताबिक अच्छे आदमी दे सकेंगे। आज हमारे एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज उपयोगी मालूम नहीं हो रहे हैं लेकिन आगे चलकर यह बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं जानता हूं कि इनके बारे में कुछ शिकायतें हैं। अगर कोई शिकायत होगी तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

इसके बाद हमारे विभाग का वेलफेयर एक्टीविटीज का खास काम है। इसमें हमारी तरफ से करीब १३ लाख रुपया खर्च किया जाता है। इसके ५४ सेंटर्स विभिन्न जगहों में, जहां पर फैक्टरीज हैं, खुले हुए हैं। वहीं पर सब मजदूर रहते हैं। इस साल हमारा तीन सेंटर्स और खोलने का इरादा है। इन सेंटर्स पर दवाओं का इंतजाम है, मजदूर परिवार की स्त्रियों और बच्चों की शिक्षा दीक्षा का इंतजाम है और दस्तकारी उन्हें सिखाई जाती है और इसके अलावा खेल कूद आदि का भी इंतजाम है। मैं समझता हूं कि जहां तक यह केंद्र

काम कर रहे हैं, वह हमारे श्रमिकों के लिये काफी उपयोगी साबित हुए हैं। यद्यपि धन न होने के कारण हम अधिक नहीं कर पाये हैं लेकिन हमारी कोशिश यह भी है कि हम लेबरर्स की शिक्षा का भी कुछ प्रबन्ध कर सकें और उनको उपयुक्त स्थान पर भेज कर क्लासेज भी होल्ड करायें जहां पर उन्हें श्रम, कानून और व्यवसाय आदि की शिक्षा मिल सके। इस तरह की हमारी लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज चल रही हैं।

हमारे यहां लेबर हाउसेज भी काफी तादाद में बने हैं, उन में से १८,६३० मकान तो सबसिडाइज्ड स्कीम के मातहत बने हैं और २,०६० और बनने वाले हैं। अगले वर्ष के लिये भी ४,९३० मकान बनने का प्रपोजल है। इस तरह से प्रदेश भर में सब मिलाकर लेबर के लिये फैक्टरीज के करीब २५,००० मकान बन जायेंगे। शुगर फैक्टरीज में भी १,५००मकान बनने का प्रोपोजल है जिन में से १,२३५ बन चुके हैं। अलावा इन कल्याण कारी एक्टिविटीज के हमारी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम भी चल रही है और हमारा इरादा है कि लेबरर्स की फेमिलीज को भी इस स्कीम से लाभ पहुंचाया जाय, यह मसला अभी विचाराधीन है और इस पर जल्द निर्णय हो जायगा।

प्राविडेंट फण्ड का भी सिलसिला है जो कि ३८ उद्योगों में लागू है और २५९ फैक्टरीज में उसका लाभ उठाया जा रहा है। यह सब आंकड़े मैंने सदन के सामने इसलिये पेश किये ताकि पता चल जाय कि श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों के कल्याण के लिये जो कुछ किया जा रहा है उसमें हमें कहां तक सफलता मिली है। अब सन् ३७ में या सन् ४९ में जिस काम के लिये इस विभाग की स्थापना हुई है वह इंडस्ट्रियल रिलेशन्स का सवाल, कि मिल मालिक और श्रमिकों के बीच में एक पारिवारिक और बन्धुत्व का संबंध रहे और एक कारडियल रिलेशन्स का वातावरण कायम रहे; इसके लिये कोशिश की जाती है कि अव्वल तो झगड़े उठें हीं नहीं और अगर उठें तो वह शांति के साथ आपस के फैसले से ही खत्म हो जायं। यही कोशिश हमारे लेबर आफिसर और कनसिलियेशन आफिसर करते हैं। लेकिन अगर कोई मामला सरकार तक आता है तो हमने उसके लिये कोर्ट्स और ट्रिबुनल कायम कर रखे हैं। वह मामले जो आपस में तय नहीं हो पाते उनको वहां भेज दिया जाता है। अव्वल तो हमारे आफिसर्स की कोशिश यह रहती है कि इस तरह के झगड़ों को उठने ही न दें। इसके अलावा हमारी यह भी कोशिश है कि ट्रिपारटाइट कमेटियां श्रमिकों, उद्योगपतियों और सरकार के नुमाइन्दों की बनायी जांय जिन में आपस में बैठकर इस तरह के झगड़े तय हो जायं। हमें खुशी है कि इस ओर कुछ काम हुआ है और पिछले साल हमने रानीखेत में एक निश्चय किया था कि इस तरह की ४ स्थायी समितियां हमारे प्रदेश में कायम हों——एक बिजली के लिये, दूसरी शुगर के लिये तीसरी कानपुर की काटन मिलों के लिये और चौथी कानपुर के बाहर की काटन मिलों के लिये। मुझे यह भी एलान करने की खुशी है कि शीघ्र ही इन कमेटियों के द्वारा ७१ लाख का बोनस लेबरर्स को समझौते से दिया जायगा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी यह बात चल रही है। कुछ समझौता हो जायेगा। कुछ बुनियादी बात तय हो जायेगी।

कानपुर टैक्सटाइल मिल की जो परिस्थिति है, उसके बारे में भी हमारी यही कोशिश है कि मिल बन्द न हो। मिल चलती रहे। इसके अलावा और जो मिलें बन्द होने वाली थीं, उनके बारे में भी यही कोशिश है कि सब मिलें चलती रहें और कोई मिल बन्द न हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——कितनी मिलें बन्द हुई हैं?

आचार्य जुगल किशोर——कोई बन्द नहीं हुई है। कानपुर काटन मिल की हालत कुछ ऐसी चल रही थी। सरकार को कोई इसके बारे में किसी प्रकार का खास अधिकार प्त नहीं है। मिल में माल काफी इकट्ठा हो गया है और धन की कमी है। इसलिये प्रमारी बराबर यह कोशिश है कि ऐसी परिस्थिति न पैदा हो जाय कि मिल बन्द हो जाय।

[आचार्य जुगल किशोर]
हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके लिये हम इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हम सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे देश की प्रगति हो और वह प्रगति इस बात पर निर्भर है कि हमारे श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच में अच्छा संबंध कायम रहे, जिससे उत्पादन अधिक हो और देश को लाभ हो। मुझे यही शब्द कहने थे।

श्री अध्यक्ष---(श्री नारायण दत्त तिवारी से) आप बाद को भाषण दीजियेगा। अब हम उठते हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री नारायण दत्त तिवारी**---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८---श्रम---लेखा शीर्षक ४७-प्रकीर्ण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती कर दी जाय।

श्रीमन, मैं पुनः आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१---समाज कल्याण-लेखा शीर्षक ५७---प्रकीर्ण के सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती कर दी जाय।

श्रीमन्, समय की कमी के कारण मैं समाज कल्याण के अनुदान के सम्बन्ध में केवल सारांशरूप में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी की उस दिक्कत को महसूस करता हूं जोकि समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में है, जिसको सरकार ने अभी हाल ही में स्थापित किया है। उसका उद्देश्य एक महान् उद्देश्य होते हुए भी, जो साधन उस को दिये गये हैं, वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं और इसको शायद माननीय मंत्री जी भी मुक्त कंठ से स्वीकार करेंगे कि हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वह अपने प्रदेश में अपने ही ढंग से चल रहा है और शायद किसी भी राज्य में या देश में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, जिसको प्लानिंग कमीशन ने कोई एलोकेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐज सच आल इन्डिया प्लानिंग के रूप में स्वीकार न किया हो। इसी वजह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस सम्बन्ध में रुपये पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

मैं पहले तो माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो चेरिटेबिल ट्रस्ट्स या एन्डाउमेंट ऐक्ट इसी सदन से तीन साल पहले पब्लिक ओपीनियन के लिये रखा गया था, उसका क्या हुआ। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने इस के सम्बन्ध में भी अपनी नीति को बदल दिया है। मैं इसी सम्बन्ध में बद्रीनाथ मंदिर की कमेटी के सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं कि वहां पर जो गोलमाल हुआ है और जो लाखों रुपये के गबन की शिकायत हुई है, और इसी तरह के दसियों उदाहरण इस मन्दिर के बारे में ऐसे हैं, जो कि इस कमेटी के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखते हैं और जो इसी सदन के अधिनियम द्वारा मर्यादित एक कमेटी के नियंत्रण में कार्य करती है, वहां किस प्रकार से पूजा के धन को भी हड़पने की चेष्टा की गयी है, उस धन को मनमाने ढंग से इस्तेमाल में लाया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा कि जहां पर हमारी सरकार का प्रबन्ध है एक अधिनियम के अनुसार और वहां पर भी गोलमाल हुआ है, उस के सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही सरकार की तरफ से हुई है, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाय।

दूसरी बात मैं इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में जिक्र करूंगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम अनेकों संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। एक सेन्ट्रल बेसिस पर चल रहा है जो मिसेज चिन्तामणि देशमुख की देखरेख में वीमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है; और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी इसी तरह की प्रदेशीय स्तर पर भी हैं और उनसे सम्बन्धित जितनी भी स्कीम हैं उनके लिये काफी रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि उस रुपये का सदुपयोग हो न कि उसका दुरुपयोग। इसी तरह से अन्य भिन्न-भिन्न प्रशासन के कार्य हैं जिनमें रुपये का सदुपयोग नहीं होता है इसलिये मैं यह चाहूंगा कि यह सब योजनायें एक मुख्य योजना के अन्तर्गत ली जायं।

जहां तक श्रम विभाग का सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है और सरकार को यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि जो आज श्रम विभाग की नीति है, उससे काम चलने वाला नहीं है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की समस्त देश में नीति चल रही है उसमें इन्डस्ट्रीज की पालिसी में और लेबर की पालिसी में कोई तारतम्य नहीं है। अगर आप की इन्डस्ट्रीज की पालिसी यह है कि तमाम इन्डस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलायी जायं और वे पब्लिक सेक्टर को न दी जायं और उससे लेबर को फायदा हो सकता है, और इसमें माननीय मंत्री जी यह समझें कि वे अपने घोड़े को समाजवाद की राह पर लिये जा रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि वे समाजवाद की राह पर नहीं चल रहे हैं। इसलिये कि यह इतना बड़ा विभाग है, अच्छे प्रकार के उसमें आफिसर हैं और अच्छे अच्छे उस में कर्मचारी भी हैं लेकिन इन सब के होते हुए कि आफिसर योग्य हैं, उनकी दिशा शून्य की ही ओर है। किस दिशा की ओर जा रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। इसलिये जहां सरकारी नीति के फलस्वरूप कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा है, पिछले एक साल में कानपुर शहर में साढ़े ५ प्रतिशत कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स बढ़ा है, वहां दूसरी ओर हमारे प्रदेश में जो अलग-अलग श्रेणी के मजदूर हैं उनकी औसत आमदनी घटी है। मैं इस सम्बन्ध में दो चार विभागों के आंकड़े देना चाहूंगा। जहां टैक्सटाइल के मजदूरों की ५० में १,१०० रुपये इनकम आन एवरेज थी वह ५६ में १,००८ हो गयी। इसी तरह प्रिंटिंग के मजदूरों की ५० में औसत आमदनी ९०७ रुपये थी वह ५६ में घट कर ९०३ रुपये हो गयी। ट्रान्सपोर्ट के एम्पलाइज की औसत आमदनी ५० में ८८६ रुपये थी वह सन् ५६ में घट कर ७४९ हो गयी। चमड़े के मजदूरों की औसत आमदनी ५० में ८४८ रुपये थी वह सन् ५६ में घट कर ५९४ रुपये रह गयी। सरकारी कारखानों की तरफ अगर दृष्टि डाली जाय तो उनमें भी जहां ५० में औसत आमदनी ९७२ रुपये थी वह ५६ में घट कर ९६० रुपये रह गयी। यह है सरकार की श्रम नीति जिसको माननीय मंत्री जी बहुत सफल बताते हैं।

दूसरी ओर सरकार की श्रम नीति प्राइवेट सेक्टर के लिये कुछ है और स्टेट सेक्टर के लिये कुछ है। प्राइवेट सेक्टर में जहां मजदूरों के लिये कंसिलियेशन डिपार्टमेंट है वहां स्टेट सेक्टर में एक महीने का नोटिस है। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को ले लीजिये, केसा को ले लीजिये, चुर्क सीमेंट फैक्टरी को ले लीजिये या रोडवेज को ले लीजिये सब में १ महीने का नोटिस है। अगर प्राइवेट फैक्टरी में यह एक महीने की नोटिस की बात रखी जाय तो क्या हम इसे बरदाश्त करने को तैयार होंगे? गवर्नमेंट रोड़वेज, रुड़की, में जो हड़ताल चल रही है वह केवल इसलिये कि एक समझौता लिखा हुआ है, एग्रीमेंट हो गया, वर्क्स मैनेजर ने ऐग्रीमेंट कर लिया लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता। समझौते की कोई सैंकटिटी नहीं। जब सरकार की लेबर पालिसी यह हो कि प्राइवेट सेक्टर के लिये कुछ और स्टेट सेक्टर के लिये कुछ तो कैसे यह माना जा सकता है कि समाजवादी और प्रगतिशील नीति है?

श्रम नीति के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ट्रेड यूनियन्स और कंसिलियेशन बोर्ड के स्थापित होने से मजदूरों के झगड़े को सुलझाने के लिये एक अनोखा प्रयोग किया है। मैं तो समझता हूं कि प्रयोग प्रतिगामी हुआ है। पहले मजदूरों को प्रोटेक्शन मिलता था। पेंडेंसी आफ डिस्प्यूट्स की बिना पर पहले मजदूर को हटाया नहीं जा सकता था। लेकिन ५६ में तथाकथित क्रान्तिकारी विधेयक बना। हुआ क्या? एक नयी चीज पैदा कर दी गयी। जो ट्रेड यनियन्स के अधिकारी हों और जो झगड़े से सम्बन्धित मजदूर हों उनको नहीं निकाला जा सकता, बाकी को निकाला जा सकता है; लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। सन् ५७ में ११४ वर्कमैन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रोटेक्टेड माने गये; यू० पी० में ८८४ ट्रेड यूनियन्स रजिस्टर्ड हैं। दूसरी ओर ११४ की संख्या लीजिये। अगर एक ट्रेड यूनियन के आफिस बियरर्स ५ भी मान लिये जायं तो इस प्रकार ४,४२०---अगर ४२० बुरा मालूम होता हो तो ४२२--वर्कमेन को राइट आफ प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। लेकिन सारी यू० पी० में ११४ वर्कमैन प्रोटेक्टेड हैं। यह सरकार का प्रगतिशील विभाग है। दूसरी ओर, श्रीमन्, आप यह देखें कि ट्रेड यूनियन्स के रजिस्ट्रेशन में कमी हुई है। वह क्यों हुई? उसका भी कारण सरकार की जो नयी नीति रजिस्ट्रेशन की है, वह है। पहले जब ट्रेड यूनियन ५५-५६ में रजिस्टर्ड हुईं वह ९९ थीं और ५६-५७ में ८३ रह गयीं। उसका जो तरीका है उसमें भी बदलाव हो गया और पीछे की तरफ हम हटे हैं। वह जो फैक्टरी ऐक्ट हैं इन सब में इंस्पेक्शन की तादाद घटी है। फैक्टरी इंस्पेक्टोरेट में कुल २२ आदमी हैं और उनको ४ ऐक्ट्स का इम्पलीमेंटेशन करना होता है---पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, मैटरनिटी ऐक्ट, चाइल्ड वेलफेयर ऐक्ट, और गार्डेन लेबर ऐक्ट, इन चारों का इम्पलीमेंटेशन ये प्रदेश भर में देखते हैं और उस इंस्पेक्शन में भी कमी आयी है। पहले इंस्पेक्शन की तादाद ८,७५६ थी, वह घट कर साढ़े सात हजार रह गयी। इसी प्रकार कामर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, ब्वायलर ऐक्ट में ५ इंस्पेक्शन हुए और जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट है उसमें लेबर का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ। खेतिहर मजदूर, जो सब से दबा हुआ अंग है हमारे प्रदेश में मजदूरों का, उसके लिये एक भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है और एक आदमी को सजा नहीं दी गयी---यह प्रगतिशील सरकार का एक नमूना है कि कहीं पर भी उस को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। एक पी० एल० जी० है गोरखपुर में जिसे सरकार नियुक्त करती है, उसके लिये सरकार एक रुपया कुल देती है। यह रिपोर्ट में है कि प्राविंशियल लेबर ग्रुप के लिये एक रुपया देती है।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---और खाना और कपड़ा...

श्री नारायणदत्त तिवारी---खाना कैसा मिलता है, वह भी देखा है। तो यह केवल कागज में ही सीमित है कि ११ जिलों में इसका इनफोर्समेंट कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है।

इसी प्रकार एक पूल स्कीम बनायी गयी है, वूलेन मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स में ५५-५६ में १४,९७० को एम्पलायमेंट दिया गया और ५७-५८ में ८,८८७ को ही दिया गया। इससे भी इस विभाग में कमी ही दिखाई देती है। इसी प्रकार एम्पलायमेंट एक्सचेंज की बात माननीय मंत्री जी ने कही। दोनों रिपोर्टें मौजूद हैं। उनसे सिद्ध होता है कि बेकारी की समस्या हल होने के बजाय बढ़ रही है और जो ग्राफ बना हुआ है उसको देखकर मालूम होता है कि जब सन् ५१ में जिन उम्मीदवारों को नौकरी दिलायी गयी एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा उनकी संख्या १२,८०० थी, १९५६-५७ में वह घट कर २,४४९ रह गयी, यानी ६ गुना कम हो गयी---प्लेसमेंट आफ कैंडीडेट्स के मातहत। तो यह हाल है एम्पलायमेंट एक्सचेंज का, जब कि नोटिस निकाला जाता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट को एम्पलायमेंट एक्सचेंज के द्वारा कर्मचारी लेने होंगे। क्या यही एम्पलायमेंट पालिसी है? जब कि बेकारी इतनी बढ़ रही है नौकरी दिलाने में यह विभाग असफल रहा, यह उनकी असफलता का प्रमाण है।

श्री उपाध्यक्ष---आपके तेरह मिनट हो गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---५-७ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा १५ मिनट के बाद ५ मिनट और दे दिये जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कानपुर इंश्योरेंस स्कीम जो कानपुर में लागू की गयी है इसके मातहत पहले तो २,४६,४८७ का रजिस्ट्रेशन किया गया लेकिन इसमें से १,५२,००० को बीमा योजना से अलग कर दिया गया। तो बीमा योजना जिसका इतना बड़ा ढोंग

सब जगह है इसमें लोग निकाले जा रहे हैं और उनमें रिऐडमिशन की पासिबिलिटी १९,००० की है। जो सर्टिफिकेट मिला करते थे बीमा योजना में उनमें भी कमी हुई है। ५३–५४ में जब कि १४,८०० दिन की छुट्टी दी गयी सार्टिफिकेट के अनुसार, ५७ में केवल १३,७८७ दिन की दी गयी। इससे इंश्योरेंस योजना की असफलता सिद्ध होती है।

अब हम देखें कि सरकार की जो औद्योगिक विभागों के सम्बन्ध में नीति है, मुझे दुख होता है कहते हुए कि सरकार की नीति एडजुडिकेशन के बारे में स्पष्ट नहीं है। हम यह देखें कि इस साल सन् ५७ में कुल ६८७ मामले एडजुडिकेशन में भेजे गये जब कि वह मामले जिनको भेजना चाहिये था वह ३,५५३ थे लेकिन भेजे गये कुल ६८७। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो २,८६६ मामले बचे उनमें क्या होगा। उनमें क्या मजदूर हड़ताल करेगा? अगर वह हड़ताल करेगा तो सरकार कहेगी कि हड़ताल करते हैं। सरकार आज तक इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रही है कि ऐसे मामलों का क्या होगा।

अब जरा कंसिलियेशन बोर्ड की असफलता के बारे में देखें। सन् ५३ में ३४८ केसेज़ एरियर्स में थे लेकिन सन् ५७ में ६९७ थे। इसी प्रकार समझौते का परसेन्टेज भी कम हुआ। सन् ५४ में समझौते का परसेंटेज २८ था लेकिन सन् ५७ में वह सिर्फ १९.३ रह गया। इसकी अधिकतर जिम्मेदारी एम्प्लायर्स पर है, यह रिपोर्ट से साबित होता है। एक बात जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। इस रिपोर्ट में ये आंकड़े कहीं नहीं मिलते कि कितने डिस्प्यूट्स हड़ताल के कारण हुए और कितने तालाबन्दी के कारण हुए। इसमें दोनों के मिले हुए आंकड़े दिये हुए हैं। इसी तरह से प्ले आफ और छटनी में भी वृद्धि हुई है। सन् ५६ में ८८० कर्मचारी प्ले आफ के शिकार हुए और १,४६९ रिट्रेन्च किये गये जब कि सन् १९५७ में १,११३ कर्मचारी प्ले आफ के शिकार हुए और २,५९९ रिट्रेन्च हुए। माननीय मंत्री जी खुद अपनी रिपोर्ट में मानते हैं कि इंडस्ट्रियल स्लम्प हो रहा है और जो सरमायेदार हैं वे ओवर प्रोडक्शन के नाम पर कारखानों को बन्द करना चाहते हैं। तो उस समय क्या हमारी श्रम नीति ऐसी होनी चाहिये कि अगर मजदूरों की शिकायतों का निपटारा न हो सके तो हम उन्हें ऐडजुडिकेशन के लिये न भेजें? क्या हमारी श्रम नीति यह होनी चाहिये कि ऐडजुडिकेशन के नाम पर हम उनका हड़ताल करने का अधिकार भी छीनें? क्या हमारी श्रम नीति ऐसी होनी चाहिये कि जिन मजदूरों को पुराने विधानों के अनुसार प्रोटेक्टेड वर्कमेन के अधिकार प्राप्त थे उनकी संख्या कम कर के कुल ११४ मजदूर यू० पी० में प्रोटेक्टेड वर्कमेन मानें? क्या हमारी श्रम नीति ऐसी होनी चाहिये कि प्राइवेट सेक्टर के लिये इतने लिबरल हों और जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, जैसे चुर्क सीमेंट फ़ैक्टरी वहां एक महीने की नोटिस दे कर निकाल दें? क्या समाजवाद का ध्येय इस सरकार और उस की पार्टी के प्रस्तावों तक ही सीमित है या कथनी और करनी में कुछ एकता भी है? अगर एकता है तो क्या, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह आशा करूं कि मंत्री जी अब भी समय की पुकार को समझेंगे? हम भले ही यह समझें कि आज वातावरण शांत है, आज हड़तालों की संख्या घट गयी है लेकिन जो ज्वालामुखी आज लोगों के हृदय में दबा हुआ है वह प्रस्फुटित भी हो सकता है। माननीय बहुगुणा जी गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों की स्थिति को जानते हैं। वे कहते हैं कि बहुगुणा जी जब आज हमारे बीच में नहीं हैं तो हम क्या करें, वे पहले कुछ करा भी लेते थे लेकिन अब तो उससे भी वंचित हो गये। मैं चाहूंगा कि माननीय बहुगुणा जी इसका उत्तर देंगे। इस प्रस्तावना के साथ मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने श्रम विभाग की असफलता को मुक्त हृदय से स्वीकार करेंगे और १ रुपये की कटौती को स्वीकार करेंगे।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन श्रम विभाग के बजट पर बहस कर रहा है। आज नारायणदत्त जी ने इस विभाग की एक्टीविटीज की एक तस्वीर पेश की। उसमें वाकयात को ठीक तौर पर पेश नहीं किया गया। अगर इन वाकयात को भी माना जाय तो इसके दूसरे मायने लगाये जा सकते हैं। मुझे एक चीज से इत्तफाक है और वह यह कि श्रम विभाग और इंडस्ट्री विभाग इकट्ठा होना चाहिये।

[डाक्टर जयगोपाल]

इनके अलग-अलग होने से दोनों की नीति में फर्क पड़ता है और काम में उलझाव भी पैदा होता है। दूसरी बात जो आमदनी के घटने की तिवारी जी ने कही उसमें ऐसा है कि अगर ५५-५६ के फिगर्स को देखा जाय तो आमदनी बढ़ी है। यह बात जरूर है कि ५३-५४ के मुकाबले में आमदनी जरूर घटी है। यह बहुत पुरानी बात है जिसको दूसरी शक्ल में पेश कर दिया गया है। जहां तक पिछले सालों से श्रम का ताल्लुक है उसके अन्दर आमदनी के ऊपर वह असर नहीं पड़ा है जैसा कि उन्होंने यहां पर पेश किया है।

दूसरी बात उन्होंने खेतिहर मजदूरों के बारे में कही कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट उन मजदूरों पर नहीं लगा हुआ है जो यह फार्मों में काम करने वाले मजदूर पर है। इस सम्बन्ध में मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर सख्ती के साथ यह ऐक्ट उन खेतिहर मजदूरों पर लगा दिया जाय तो क्या ऐसी हालतें हैं कि यह ऐक्ट उनके हित में होगा? मैं समझता हूं कि इसका जवाब ही उनकी बात का जवाब होगा।

इसके अलावा प्रोटेक्टेड वर्कमेन भी सिर्फ ११४ हैं। प्रोटेक्टेड वर्कमेन के लिये उस ऐक्ट में एक धारा प्रोवाइडेड है। उस प्रोटेक्टेड वर्कमेन के लिये लेबर कमिश्नर के यहां से एक आदेश जारी हुआ जो उस धारा के अन्तर्गत था कि जिन यूनियन के यहां प्रोटेक्टेड वर्कमेन हों वह यूनियन अपने को रजिस्टर्ड करा लें। इसमें बहुत सी यूनियन को सूचना भी नहीं गयी तो भी वह अपने को रजिस्टर्ड नहीं करा सकी। इससे कुछ गलतफहमी जरूर हुई है। उम्मीद यह की जाती थी कि वह अपने को रजिस्टर्ड करा लेंगी लेकिन प्रोटेक्टेड वर्कमेन के लिये जो धारा ऐक्ट में थी उसके मुताबिक लोगों ने अपने को रजिस्टर्ड नहीं कराया जो कि उनको कराना चाहिये था। ट्रेड यूनियन का काम सरकार कैसे कर सकती है?।

मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि अगर आप लेबर के नुक्तेनजर से पिछले साल को देखें तो यह साल बहुत गैर मामूली साल गुजरा है। इस साल को हमने स्वदेशी काटन मिल के लाक आउट से शुरू किया और फिर कानपुर से तालाबन्दी, हड़ताल और दूसरे कई तरह के झगड़े की खबर बराबर आती रही। अगर आप इसमें यह देखें कि कितने मजदूरों पर इन मामलों का असर हुआ तो वह भी इस साल ज्यादा रहे। पिछले साल के मुकाबले में सन् १९५६ के अन्दर २२,६२१ आदमी एफेक्टेड थे लेकिन ५७ के अन्दर ३२,२९३ आदमी एफेक्टेड हुये। इसके अलावा और भी जितनी दिक्कतें इस साल हो सकती थीं वह सब दिक्कतें आयीं। इसके बाद उम्मीद यह की जाती थी कि सब लोग गवर्नमेंट को इसमें मदद देंगे कि वह इन दिक्कतों से पार निकल सके। जहां तक मैनेजमेन्ट का ताल्लुक है, उन्होंने बजाय इसके कि किसी को मदद करते सब से पहला काम यह किया कि journalists, wage बोर्ड की बात नहीं मानी; मजदूरों को दंड दिया और उनका कोई भी अत्याचार बाकी नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि कंसिलियेशन में भी रुख सख्त अख्तयार किया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि २८.७ जहां कामयाबी पहले हुयी वहां वह १९.३ ही रह गयी। इसके अलावा उन्होंने २६ रिट हाई कोर्ट में पेश कीं। उनमें उनके फेवर में ३ हुईं और बाकी २३ उनके हक में नहीं हुईं। एवार्ड के इम्प्लीमेंट को रोकने के लिये कोशिश की और हाई कोर्ट में जाना उन्होंने पसन्द किया।

तिवारी जी ने अभी जो फिगर्स पेश किये वह यह बतलाते हैं कि रिट्रेन्चमेंट बहुत हुआ। वह भी नानकोआपरेशन की पालिसी की स्पिरिट को जाहिर करता है। तो इन सब हालात में, जिसमें कि इस तरह का वातावरण बन गया हो लेबर ने बहुत मुस्तकिल मिजाजी और मुस्तैदी और कोआपरेशन के साथ काम किया जिसको कि आप इस तरह से देख सकते हैं, किसन् ५६ में ६,९०५ केसेज कंसीलियेशन में गये जबकि ५७ में ५,०६८ गये। सन् ५६ में २,३५३ आदमियों की बरखास्तगी के मामले पेश किये गये जबकि ५७ में १,८३७ मामले बरखास्तगी के हुए। लेबर के लिविंग वेजेज १९५५-५६ में १३३ थे जो १९५६-५७ में ११७ हो गये। इसके

बावजूद १९५६ में ९४ स्ट्राइक्स हुए जबकि ५७ में कुल ६९ हुए। ये फिगर्स मैंने इसलिये पेश कीं कि यह मालूम हो सके कि लेबर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह सरकार के साथ चले और ऐसा करने में जो जिम्मेदारी उसके ऊपर है उसको वह पूरी करे। सरकार ने भी हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और सूझ के साथ काम लिया और इस सिलसिले में सरकार जो काम कर सकी उनको मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो सके कि बावजूद इतनी खराब हालत के वह मजबूती के साथ अपनी पालिसी को आगे चला सकी।

एक स्टैंडिंग कमेटी बनी बिजली वालों के लिये, जिसने बोनस का जो झगड़ा जो तीन, चार साल से चलता आ रहा था, तय कराया। शुगर वालों के पास, अगर्चे स्टाक जमा था, उसके बावजूद भी, सरकार ७१ लाख ५० हजार रुपया उनको बोनस के लिये दिला सकी। इसके अलावा ७३ परसेंट वह एवार्ड्स हैं कि जिनका इम्पलीमेंटेशन सरकार करा सकी और जो केसेज एडजुडिकेशन में गये, कंसीलियेशन में गये उनमें से ६५ फीसदी केसेज कामयाब हो सके। इसके अलावा ८० लाख रुपया डेवलपमेंट कामों के अन्दर खर्च हुआ। दो हजार लड़कों को ट्रेनिंग दी जा सकी और १,२३५ के करीब मकान इस साल बनाये जा सके। यह डेवलपमेंट की कार्यवाहियां हैं जो इस बीच में हो सकीं और इंडस्ट्रियल लेबर भी इस बीच में करीब ३० हजार के बढ़ी। तो बावजूद इन गन्दे हालात के यह चीजें इस बीच में हो सकीं।

श्रीमन्, इसके अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो है, वह आपने बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं उसमें ऐसी चीजें आयी हैं कि ५६ का हाल मौजूद है, ५७ का नहीं है या ५७ का है तो उसमें लिखा है कि तस्दीकशुदा नहीं है। यह चीज दूर होनी चाहिये।

इसके अलावा जो केसेज हैं उनके मुताल्लिक यह अर्ज करूंगा कि अब चूंकि डिसेन्ट्रलाइजेशन हो रहा है और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होगा इसलिये वह केसेज सीधे उसी के मार्फत रेफर होने चाहिये। इससे टाइम बच जायगा और काम जल्दी होगा।

इसके अलावा फैक्टरियों में जो लेबर वेलफेयर आफिसर्स रहते हैं, मेरा उनके लिये सुझाव है कि सरकार एक कारपोरेशन बनाकर उनको अपने चार्ज में ले लें ताकि उनके जरिये से मजदूरों को और सुविधायें दी जा सकें और उनके जरिये से क्रेडिट सोसाइटी और कंज्यूमर्स स्टोर चल सकें।

प्राविडेंट फंड से मजदूरों को उनकी अपनी जरूरत पर कर्ज मिलने की व्यवस्था होय चाहिये। जैसे मकान बनाने के लिये, लड़की की शादी के लिये, या ऐसे ही कामों के लि. इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। E. S. I. स्कीम्स के लिये मालूम हुआ है कि अगर १३ लाख रुपया गवर्नमेंट और खर्च करने के लिये तैयार हो जाय तो जितनी मजदूर फैमिलीज हैं उनके लिये यह लागू हो जायगी और इसके लिये सेंट्रल कारपोरेशन ने अपनी मंजूरी दे दी है और सरकार के ऊपर से यह बोझ भी कम हो गया है। ५२ में सरकार का कंट्रीब्यूशन (contri bution) इसमें १/३ था, जो अब घट कर १/८ रह गया है। तो इतना रुपया दिया जाना सरकार की तरफ से बहुत मुश्किल नहीं है और यह आसानी से बचाया जा सकता है। लेबर विभाग की दूसरी इन्सपेक्टोरेट क्या करती हैं, इस पर नुक्ताचीनी न करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां चिट्ठियों के उत्तर भी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो कम से कम जवाब तो जल्दी दे दें। हमारे यहां सहारनपुर में टैक्सटाइल मिल में ४, ४ महीने तक कन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है और लेबर से कह दिया जाता है कि तुम्हारा टिकट नहीं है इत्यादि और वे परेशान होते हैं। शाप्स एंड कामर्शल ऐक्ट में भी संशोधन का वादा था, वह जल्दी होना चाहिये ताकि मजदूरों को और वहां काम करने वालों को राहत मिले। ट्रेड यूनियन बिल के संबंध में मसविदा आ गया है, उसे जल्द पास करना चाहिये, क्योंकि उसके अमल में आने में भी कम से कम २ वर्ष लगेंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य की श्रम नीति उसकी प्रगतिशीलता और प्रतिक्रियावादिता की कसौटी होती है। जब हम इस कसौटी पर इस सरकार की श्रम नीति को कसते हैं तो मालूम होता है कि कागज पर भले ही कुछ प्रगतिशीलता प्रतीत हो मगर मौके पर जाकर देखने से मालूम होता है, कि प्रगतिशील नाम की किसी भी चीज को अमली जामा पहनाने की नौबत नहीं आती है, इससे प्रतिक्रियावादिता की हद होती जा रही है। इसमें शक नहीं कि अंग्रेजी जमाने के मुकाबले में तोला जाय तो लेबर लैजिस्लेशन को जरूर प्रगतिशील कहा जायगा। लेकिन जब अपने देश की अन्य सरकारों से तुलना करते हैं तो पीछे जा रहे मालूम पड़ते हैं; गत वर्षों में लेबर लेजिस्लेशन में संशोधन हुआ था कि जो मजदूर अपने मामले को पेश करना चाहें उसके लिये जरूरी है कि वह २ साल पहले से जो यूनियन रजिस्र्ड हो उसकी मार्फत अपने मामले की पैरवी करा सकता है। मैं नहीं समझता कि यह प्रतिबन्ध लगाकर मजदूरों के साथ कौन सी भलाई की गई है? मैं तजुर्बे से बतला रहा हूं कि यह सरकार पक्षपातपूर्ण नीति बरत रही है। आई० एन० टी० यू० सी० का निर्माण चाहे जिस दृष्टि से हुआ हो लेकिन चूंकि पिछले १० साल से कांग्रेस की ही सरकार रही है, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस शासन में इसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जो किसी भी सरकार के लिये कलंक की बात हो सकती है।

चीनी मजदूरों के मामलों में मुझे याद है कि इतनी हड़तालें और आन्दोलन हुये। और तो और, सन् ५० में एक बहुत बड़ी मतगणना भी हुई थी जिसकी मंशा थी कि जो संघ अधिक से अधिक राय पावेगा उसे मान्यता दी जावेगी लेकिन ७१ परसेंट यूनाइटेड फेडरेशन को मत मिलेतो भी २९ परसेन्ट आई० एन० टी० यू० सी० वाले श्री काशीनाथ पांडेय को किसी सम्मेलन में, चाहे त्रिदलीय हो या और कोई हो, यह सरकार रिकग्नाइज करती है और यूनाइटेड फेडरेशन की अवहेलना करती है। श्रम विभाग द्वारा जो रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है उससे भी यही जाहिर होता है। परतापपुर शुगर फैक्ट्री के लेबर यूनियन की दरख्वास्त आई थी। उस के बाद आई० एन० टी० यू० सी० के पदाधिकारियों ने गेट मीटिंग में कहा कि लेबर कमिश्नर से हमने बात कर ली है और दूसरे यूनियन का रजिस्ट्रेशन जल्दी नहीं हो पावेगा। इस तरह से मजदूरों को आतंकित किया जा रहा है। हमारे राज्यपाल, श्री गिरी, का भी यही कथन है कि एक व्यवसाय में मजदूरों की एक ही संस्था हो जिसे सरकार, मजदूर और मिल वाले सभी मान्यता दें और उसके आधार पर सभी चीजें तय हों। लेकिन यह नहीं किया जा रहा है और आई० एन० टी० यू० सी० के फर्जी यूनियनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी को पीछे ढकेला जा रहा है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वह अपनी श्रम नीति को ठीक करे।

लाखों रुपया निम्बकर कमेटी पर सरकार का खर्च हुआ है और बड़ी खोज के बाद निम्बकर जैसे महान श्रम जानकार ने सर्व सम्मति से कुछ निर्णय दिये। उनमें से बहुत सी बातें दूसरे उद्योगों पर तो लागू की गईं लेकिन पता नहीं चीनी मिल मजदूरों ने कौन सा पाप किया था कि सरकार ने उनके लिये उन्हें लागू नहीं किया। चीनी के मजदूरों को ५५ रुपये वेतन देकर यह सरकार कहती है कि बहुत बड़ा उपकार किया। सन् ४८ में जब यह ५५ रुपये तय हुआ तब से मंहगाई के आंकड़े ३७८ से ५७ में ४२४ प्वाइंट हो गये हैं। इसलिये इस मंहगाई से ही निम्बकर कमेटी के अनुसार उनकी तनख्वाह आज ६२ रुपया होती है। बोनस, रिटेनिंग वगैरह के बहुत से मामले हैं। आई० एन० टी० यू० सी० के द्वारा अन्दर ही अन्दर मामले तय कराने की कोशिश की जाती है और अदालतों से हटवा लिये जाते हैं। बोनस के लिये हमारे पूर्व वक्ता ने जोरों से कहा कि अभी ७१ लाख रुपया दिलाया है। उत्पादन के हिसाब से जो बोनस होता है उसके १,१९,४६,६८४ रुपये की बजाय ७१,६८,०१० रुपया दिलाया गया। इसे बहुत बोस्ट किया जा रहा है कि मजदूरों के हित में सरकार ने यह काम किया है। उत्पाद के आधार पर बोनस की प्रथा को क्यों वापस लिया गया और क्यों आई० एन० टी० यू० सी० के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरीज की मार्फत मामले अन्दर ही अन्दर तय कराये जाते हैं?

इसी तरह से पक्षपात की नीति का एक उदाहरण सहजनवां जूट मिल है जहां सन् ५० से आज तक १,००० मजदूरों को बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मगर सरकार कान में तेल डाले है। इसलिये हम श्रम विभाग को प्रगतिशील नहीं कह सकते।

बीड़ी मजदूरों की बात यहां कई बार लाने का प्रयत्न किया गया और प्रश्नों के द्वारा मैंने जानना चाहा कि उनकी स्थिति क्या है, अभी हाल में श्रम मंत्री ने उत्तर दिया था कि ७२ लाख रुपये की पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ३७ हजार आदमी इसमें लगे हैं, पता नहीं किस जरिये से उन्होंने गणना कराई है। मेरा खयाल है कि लगभग ५० हजार व्यक्ति उसमें लगे होंगे। उनकी वर्किन्ग कंडीशन्स को सुधार कर सरकार बहुत बड़ा उपकार कर सकती है और इससे बेरोजगारी का मसला भी हल होगा।

श्रम नीति की सफलता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हड़तालें कम हुईं। लेकिन जिस सरकार के समय में ८० दिन की कानपुर की ऐतिहासिक हड़ताल रही है वह अपनी श्रम नीति पर गर्व नहीं कर सकती। आज हड़तालें इसलिये कम नहीं हैं कि मजदूर सन्तुष्ट हैं बल्कि वे लाठी और गोली के डर से चुप हैं। क्या यही आधार है जिस पर यह सरकार सोशलिस्टिक और न जाने क्या क्या पैटर्न के समाज की स्थापना करना चाती है? मजदूरों के गले को काट कर पूंजीपतियों की पाकेट मत भरिये।

खानों में काम करने के लिये गोरखपुर, देवरिया इत्यादि जिलों से लाखों मजदूर बाहर जाते हैं। अभी हाल में १८६ मजदूरों की मृत्यु हुई जिसमें से ६४ केवल गोरखपुर के थे। इस प्रश्न को यहां लाने का राजनारायण जी ने प्रयत्न किया था लेकिन सरकार को जितना ध्यान इस पर देना चाहिये था उतना नहीं दिया। इस प्रकार इस प्रदेश के निवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं यह सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही करती है जिससे उनके परिवार वालों को पूरा मुआवजा मिले और जल्द मिले? १००-१०० रुपये या कुछ ऐसे ही मिलने की बात मुख्य मंत्री जी ने बताई थी लेकिन यह काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनके परिवार वालों के लिये पूरा प्रबन्ध किया जाय। श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में बार-बार इस सदन में प्रश्न किये गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसी कांग्रेसी सरकार के अन्य विभागों में ढाई-ढाई रुपये के लिये किसानों को बांध दिया जाता है, उनको पेशाब तक करने नहीं दिया जाता। फिर क्या कारण है कि श्रम जीवी पत्रकारों के मालिकों से उनका रुपया दिलाने में सरकार नरमी बरतती है? क्या सरकार के पास इसका कोई जबाव है?

वृद्धावस्था की पेंशन का भी जिक्र हुआ। कहा गया है कि गणना करायी गयी है और उनकी संख्या ५० हजार है लेकिन जो आवेदन-पत्र आये हैं, उनकी संख्या ५० हजार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे बूढ़ों और पीड़ितों से, जो चल भी नहीं सकते हैं, यह आशा करती है कि वे पूरा पैराफर्नेलिया तहसीलों में जाकर पूरा कर सकेंगे। इसलिये मेरा उनसे अनुरोध है कि वे शुद्ध गणना करायें और जो वृद्ध और असहाय हैं, उनको पेंशन उनके घर भेजने की व्यवस्था करें और ऐसा न करें कि वे सिफारिश कराते फिरें और इस तरह से इंसाफ प्राप्त करने की असफल चेष्टा करें।

खानों के संबंध में जिक्र हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि इस सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि लेबर कमिश्नर धनबाद में खानों की कमेटी में है। मैं मांग करता हूं कि लेबर कमिश्नर के बजाय उस कमेटी में विधान सभा का कोई सदस्य हो जो विधान सभा की ओर से उस कमेटी में जाकर मजदूरों के हितों की रक्षा करें।

मैं अंतिम बात बदरी नारायण मंदिर के संबंध में कहूंगा, जिसका जिक्र माननीय तिवारी जी ने किया। इसके बारे में अभी अखबारों में बहुत सी बातें प्रकाशित हुई हैं, लाखों के गोलमाल की खबरें हैं। पहले उस पर किसी एक सज्जन का अधिकार था, उनके बाद किसी

[श्री मदन पांडेय]

दूसरे कांग्रेसी सज्जन को उसका अधिकारी बनाया गया। कांग्रेसी कहने से मेरा मतलब कांग्रेसी भाइयों को रुष्ट करने से नहीं है लेकिन इसके द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष केवल ऐसे स्थानों पर अपने पक्ष वालों को ही तरजीह देते हैं और उसके बाद ८-८, १०-१० वर्ष तक हिसाब की जांच भी नहीं होती है जिसके कारण इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन मिलता है। ३ लाख का एक मुकुट मद्रास में बनवाया गया। उसको देखने के लिये लोग हवाई जहाज से गये लेकिन जब उसको लेने के लिये गये तो उसको थर्ड क्लास में सफर करते हुये लाया गया। इसके संबंध में माननीय तिवारी जी ने जो मांग की है उचित है। इसके संबंध में जो भी रिपोर्ट हों, कागजात हों, या आडिट रिपोर्ट हो, उसको सदन के सामने रखा जाय। इन शब्दों के साथ सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने रखा है उसको सरकार स्वीकार कर ले और अगर उसको ज्यादा आवश्यकता हो तो बाहर से चंदा मांग कर उसको पूरा कर ले।

श्री उमाशंकर (जिला कानपुर)—मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय को इस प्रस्तुत अनुदान के लिये बधाई देता हूं क्योंकि इस साल के बजट में उन्होंने एक प्रगतिशील कार्य किया है वह यह है कि इस प्रदेश में जो सरकारी कारखाने हैं, उनके लिये भी उन्होंने नेगोशियेटिंग (negotiating) मशीनरी की व्यवस्था की है।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो श्रम संबंधी साहित्य यहां वितरित किया गया है, अगर वह एक सप्ताह पहले वितरित कर दिया जाय तो शायद सदस्यों को अधिक सुविधा होगी और वे उसको पढ़ कर अपनी राय दे सकेंगे।

मंत्री जी से एक यह भी निवेदन है कि श्रम जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिये मैंने गत वर्ष भी यह निवेदन किया था कि सरकार पर जोर डालें कि उसे मिसलेनिअस से मुक्त करें और इसका सेपरेट हेड बनावे।

इसके साथ ही साथ मुझे प्रोविडेंट फंड स्कीम के सम्बन्ध में एक सुझाव देना है और वह यह है कि शुरू में जब यह स्कीम लागू हुई थी तो मजदूरों को इस फंड से लोन मिलने की सहूलियत थी, किन्तु इधर केन्द्रीय सरकार के बन्धन के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से मजदूरों को उस फंड से लोन नहीं मिल रहा है, चाहे जितनी जरूरत उनकी हो। तो ऐसी हालत में सरकार से हमारा यह निवेदन है कि वह केन्द्रीय सरकार पर जोर डाले कि वह पुनः लोन देने की व्यवस्था को चालू करे। इसके अलावा मुझे एक निवेदन और करना है और वह है श्रमिकों के आवास की व्यवस्था के सिलसिले में। सरकार ने मजदूरों के लिये जो आवास की व्यवस्था की है, उसमें जो नीति बरती गई है, मुझे वह कुछ दोषपूर्ण मालूम होती है। मेरा सुझाव यह है कि ये मकान मजदूरों को हायर पर्चेजिंग सिस्टम पर दिये जायं। एक कमरे वाले मकान को बनाने में सरकार ३,५०० रुपये खर्च करती है और दो कमरे वाले मकान बनाने में सरकार ४,२०० रुपये खर्च करती है। उसका भाड़ा सरकार को दस रुपया महीना मिलता है। इसका इन्तजाम करने के लिये सरकार को जो आफिस, आफिसर, एलाटमेंट आफिसर आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका खर्चा बचेगा और इसके अलावा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि में जो खर्चा होता है, वह भी बचेगा। ऐसी हालत में हम देखते हैं कि सरकार कहती है कि मकान की उम्र ३० वर्ष है, अगर यह मान लिया जाय कि मकान की उम्र ३० वर्ष है और १० रुपये महीना के हिसाब से उसका भाड़ा वसूल किया जाता है तो कुल रुपया जो वसूल होगा वह ३,६०० हुआ और सरकार का खर्च ७२ रुपया साल पड़ता है। तो ऐसी हालत में अगर टोटल देखा जाय तो सरकार को इसमें से कुल १,४०० रुपये की बचत ३० साल में होती है। ऐसी हालत में हमारा विश्वास है कि अगर इस मकान के खर्च पर ४ आने सैकड़े के हिसाब से सूद भी लगा लिया जाय तो ३,५०० रुपये का सूद ९ रुपये महीना पड़ता और १० रुपये महीना सरकार को भाड़ा मिलता है। इसमें मजदूर समझता

है कि सरकार ज्यादा भाड़ा लेती है और सरकार समझती है कि मजदूर लोन भी नहीं देता है। तो ऐसी हालत में मेरा निवेदन यह है कि ये मकान मजदूरों को हायर पर्चेजिंग सिस्टम पर दे दिये जायं।

फैक्ट्स ऐण्ड फीगर्स की तो मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं किन्तु समय की कमी है, इसलिये मैं सरकार का ध्यान कानपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। कानपुर की उलझी हुई समस्याओं की ओर सरकार का जो कुछ रुख है, मुझे दुख के साथ उसकी आलोचना करनी पड़ रही है। अगर मैं यह देखूं कि कानपुर के आज जो मजदूर हैं, सरकार की तरफ से अभी-अभी जवाब दिया गया है कि मिलें बन्द नहीं हैं, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि कानपुर काटन मिल ४ महीने से बन्द है और प्ले आफ की हालत में कुछ मजदूरों को आधा पैसा दिया जाता है। उस कारखाने में लगभग ४ हजार मजदूर काम करते हैं जिनमें से ३ हजार मजदूरों को आधा पैसा दिया जाता है और १ हजार मजदूरों को कुछ नहीं दिया जाता है। यह कहा जाता है कि ये टेम्पोरेरी थे या सब्स्टीट्यूट (Substitute) थे। उसकी हालत क्या है ? अभी तक तो उनको पैसा मिलता है लेकिन एक नया खतरा उपस्थित होने वाला है और वह यह है कि कुछ दिनों के बाद यह बहुत मुमकिन है कि मालिक कह दें कि हम इस कारखाने को बन्द करते हैं और उस हालत में मजदूरों को जो कम्पेन्सेशन मिलेगा, उस कम्पेन्सेशन में से प्लेआफ के दिनों का पैसा काटा जायगा और तब मजदूर वहां जायगा तो शुद्ध रूप से प्रोलिटेरियट होकर जायगा। इसके अलावा मुझे यह कहना है कि जो मजदूर चार महीने से आधा वेतन पा रहे हैं, उनकी हालत यह है कि वह घर के कपड़े-लत्ते तथा बर्तन और चारपाई आदि सब बेचकर खा गये हैं। आज उनकी बीबी तथा बच्चों को तन ढकने के लिये कपड़े तक मयस्सर नहीं हैं। अब मैं सरकार की इस नीति को क्या कहूं ? शायद यह हमारी सरकार की सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की नीति हो।

एक बात मुझे और कहनी है कि मिल मालिक कहते हैं कि हम मिल क्यों बन्द कर रहे हैं, तो वह उसका कारण बतलाते हैं कि उनके पास स्टाक बहुत जमा हो गया है। इसकी वजह यह नहीं है कि माल बिकता नहीं है बल्कि वह ज्यादा मुनाफे पर माल बेचना चाहते हैं और जिस चीज की मांग है उसको पैदा नहीं करते हैं। जिस पर ज्यादा मुनाफा मिलता है उसको पैदा करते हैं। अक्सर मालिक कहता है कि घाटा है। घाटा कैसा होता है ? मान लीजिये कि इस साल ५० लाख रुपया मुनाफा होता है अगर अगले साल ४० लाख मुनाफा हुआ तो वह उसको घाटा कहते हैं। मुझे यह कहना है कि मालिक पहले रिजर्व फंड, मशीनरी पर्चेज फंड, वीयर और टीयर आदि सब के लिये पहले रुपया अलग रख लेता है फिर भी कहता है कि घाटा पहुंच रहा है। उनके यह नारे इसलिये होते हैं ताकि मजदूर बोनस न मांग सकें।

दूसरी बात यह है कि मालिक रेशनेलाइजेशन करना चाहता है। मालिक काम तो दुगुना लेना चाहता है लेकिन मजदूर बढ़ाना नहीं चाहता है और न मजदूरों को ज्यादा पैसा देना चाहता है। यह सब नारे इसलिये लगाये जा रहे हैं कि घाटा है, घाटा है कि इस घाटे के नाम पर वह प्ले आफ कर देते हैं ताकि मजदूर बेचारे भूखे रहकर भाग जायं। मेरा एक मिल के बारे में अनुभव है, लेकिन मैं उसका नाम न लूं तो ज्यादा अच्छा है। १९४७ में एक मिल में नौ हजार मजदूर काम करते थे और उसका उत्पादन १०० मान लिया जाय और वेतन सौ मान लिया जाय तब उस मिल में ४ आना रुपया बोनस मिलता है। तो १९५८ में इस मिल में केवल चार हजार मजदूर काम करते हैं और उत्पादन भी ड्योढ़ा हो गया है, यानी १०० प्रतिशत से १५० प्रतिशत हो गया और मजदूरों की संख्या आधी हो गई। वेतन ६५ प्रतिशत है और बोनस गायब। फिर भी कहा जाता है कि घाटा है। क्या बात है ? इन मिल मालिकों की बैलेंस शीट को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है जब तक कि कानून न बदले जायं।

[श्री उमा शंकर]

कानपुर में एक म्योर मिल है और अब तक उसका कारोबार एक दूसरे मिल मालिक के हाथ में था। उसने हमारी सरकार के कानूनों को बालाए ताक रखकर प्रावीडेंट फंड और इंश्योरेंस आदि का रुपया जो कि मजदूरों से काट लिया, जमा नहीं किया। मजदूरों का बकाया वेतन नहीं दिया। प्ले आफ के दिनों का पैसा नहीं दिया। इस तरह से उसने मजदूरों की सारी रकम हड़प ली। मैं किसी अधिकारी के बारे में नहीं कहता हूं बल्कि मैं तो इस मिनिस्ट्री के लिये कहता हूं कि इसकी ढिलाई की नीति के कारण मिल मालिक मजदूरों का सारा रुपया हजम किये बैठे हैं और दूसरा मिल चला रहे हैं और अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं और हमारी सरकार उनका कुछ नहीं कर रही है। अब दूसरे मिल मालिक आये हैं, वह मजदूरों का प्लेआफ कर पा रहे हैं। यह कायदा है कि अगर प्ले आफ ४५ दिन पूरा होने के बाद एक हफ्ते से ज्यादा हो तो मजदूरों को आधे दिन का पैसा मिलेगा। इसलिये मिल मालिक हफ्ते में एक दिन मजदूरों को काम दे देते हैं और पांच दिन बन्द रखते हैं यानी इसके माने यह हैं कि एक महीने में केवल चार दिन मजदूरों को काम मिलता है, २२ दिन बराबर उसको मिल में हाजरी देना होती है। यह हालत इस सरकार के राज्य में मजदूरों की हो रही है। मुझे केवल इतनी बात कहनी है कि सरकार पर मजदूर नीति का सारा पाप हो गया है, मिल मालिक दिन दहाड़े मजदूरों को लूट रहे हैं और यह सरकार खड़े-खड़े तमाशा देख रही है। ऐसी हालत में अगर यह सरकार हम से यह आशा करती है कि मैं उनकी इस श्रम नीति का समर्थन करूं तो यह गलत है। यह तो घोर आलोचना की बात है और वह हमें करनी चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में ही एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ५ मिनट अधिक समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---हर पार्टी के लोगों को जो ५ मिनट अधिक दिये हैं वह मैं आप को भी दे दूंगा।

श्री उग्रसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी यह बदकिस्मती रही है कि माननीय श्रम मन्त्री जी ने जो अपना भाषण दिया उससे मैं अधिक प्रभावित न हो सका। क्योंकि हमारे नुक्तेनजर से, हमारी पार्टी के दृष्टिकोण से देखने पर माननीय मन्त्री जी के भाषण में कोई खास बात नहीं दिखाई पड़ी। अभी-अभी माननीय उमाशंकर जी कह रहे थे कि पूंजी पति लूट रहे हैं और मजदूर लूटे जा रहे हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि लुटवा कौन रहा है ? उमा शंकर जी के पार्टी के लोग ही तो लुटवा रहे हैं। उमाशंकर जी अगर दर्द रखते हैं तो वह कानपुर में सत्याग्रह करें और इस सरकार की नीति का खंडन करें कि वह क्यों जनता के वोट से आने के बाद अब बागला, सिंघानिया, बिरला आदि पूंजीपतियों की चेरी बन गई है। मेरा भी मजदूर आन्दोलन से १०, १५ साल का सम्बन्ध रहा है। मैं कह सकता हूं कि इस सरकार की मजदूरों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं है और उसकी नीति अगर कोई है तो इतनी ही है कि वह बागला, सिंघानिया, नारंग की चेरी बन गई है। उसकी जो पालिसी है उस के बारे में यही कहा जा सकता है। तिवारी जी ने काफी विस्तार के साथ बताया है कि टेक्सटाइल का क्या मसला है ? ३,३०० आदमियों का अभी तिवारी जी ने बताया, कानपुर काटन मिल्स में मसला नये ब्रान्ड का है, कुछ दिनों काम दिया फिर बिठा दिया, फिर काम दिया। म्योर मिल में ९०० की तादाद थी। एक बात मैं प्ले आफ के अलावा और कहूंगा कि वहां क्या हो रहा है। जिन सांचों पर मजदूर सन् १९५० से काम करते थे, अगर वह मर गया या काम छोड़ दिया तो वह सांचा खाली पड़ा है और रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। हमारे हिसाब से ७,००० मजदूर केवल इसलिये बेकार हैं कि वहां पर खाली सांचों पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया गया। टेक्सटाइल में जो संख्या ६५,००० की थी वह अब घट कर ४२,००० रह गई। कानपुर के मिल मालिकों ने मजदूरों पर जो डंडे चलाने शुरू किये हैं उसकी मिसाल

न शोलापुर में, न ग्वालियर में, न अहमदाबाद, बम्बई में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगी, कोई उदाहरण नहीं है। उनकी नई-नई नीति, पुराने मजदूरों को न रखना, छटनी कर देना, प्ले आफ करते रहना जारी है। टेक्सटाइल का मजदूर दुनिया में सब से ज्यादा क्रान्तिकारी रहा है, रूस में, फ्रान्स में, अमेरिका में सब जगह काटन टेक्सटाइल का मजदूर सब से अधिक क्रान्तिकारी रहा है। यह सरकार तो पूंजीपतियों से राय लेती होगी लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि अगर काटन टेक्सटाइल के मजदूरों को दबाया गया तो केवल वही नहीं बल्कि जो उनका खयाल है कि उनको नहीं उभरने देंगे वह उभरेंगे और उनके साथ शुगर और जूट, टेक्सटाइल सब के मजदूर उभरेंगे। कानपुर में स्वयं गया था, वहां पर बड़ी भारी मीटिंग हुई, डाक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषण हुआ, वहां मैंने बातचीत की और स्वयं भी देखा, हालत यह है कि कानपुर के हातों में मजदूरों के रहने के काबिल स्थान नहीं रहे।

मन्त्री जी ने कहा कि कानपुर के मिल इसलिये बन्द हैं क्योंकि वहां पर कपड़े के स्टाक जमा हो गये हैं परन्तु जो स्थिति है वह इसके विपरीत है। कानपुर की मिलें क्यों बन्द हुईं इसके विषय में मैं २–३ बातें कहूंगा। एक खास बात जो लेबर विभाग करता है जिसकी वजह से मजदूरों को खास दिक्कत है और मजदूरों को कोई राहत नहीं मिलती। उसका कारण यह है कि जो अवार्ड्स इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स निकालते हैं उनका ठीक से इम्पलीमेंटेशन नहीं होता। तो इसके बारे में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। म्योर मिल का जहां तक संबंध है तो वहां पर जो काम के बारे में निर्णय किया गया था, वह लागू किया गया है। श्रीमन्, म्योर मिल में एक बहुत बड़ा स्केन्डल है। माननीय मुख्य मन्त्री जी उस बीच में पड़े थे, उन्होंने कुछ समझौता भी कराया था। वहां पर दूसरे साहब आये थे। मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उन का पेमेन्ट हुआ या नहीं? समझौते में बागला साहब से जो रुपया अन्डर वेजेज फंड का तय हुआ था वह अभी तक मैनेजमेन्ट ने नहीं दिया। मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि प्राविडेन्ट फंड का रुपया अभी तक कमिश्नर के पास नहीं पहुंचा है। बागला साहब ने मुख्य मन्त्री जी को पंच माना था। हमारे मजदूरों ने भी मुख्य मन्त्री जी को पंच माना था। बदकिस्मती से इस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं, इसलिये मैं माननीय श्रम मन्त्री जी से ही यह चाहूंगा कि वे इस मामले पर गौर करें। जहां तक मैनेजिंग डाइरेक्टर का सम्बन्ध है वह नया आया है और उसने पुराने माल को बेच दिया है, लेकिन जो मजदूरों के प्राविडेन्ट फंड का रुपया है, वह अभी तक नहीं भेजा गया है। वहां पर जो पुराना कपड़ा था वह बेच दिया गया है, लेकिन मजदूरों को पैसे देने का सवाल कहीं पर नहीं आया है। श्रीमन, इस में बहुत बड़ा स्केन्डल है। इस में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने समझौता किया था। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये था, क्योंकि इस की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी। ८, ८ मास तक एवार्ड सरकार के दफ्तर में पड़े रहे हैं। मगर कूपर एलन का एवार्ड ११२/१९५६, मार्च, ५६ में सरकार को भेजा गया। २२ नवबम्र, सन् ५६ तक सरकार ने लागू नहीं किया। माननीय श्रम मन्त्री जी इसके बारे में बतलायेंगे कि विमको के प्रोडक्शन बोनस का एवार्ड अभी तक सरकार ने क्यों नहीं छापा। लेबर डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े आफिसर हैं जो सन् १९५० में तो बहुत ही छोटे आफिसर थे, लेकिन अब तो वे बहुत ही बड़े आफिसर हो गये हैं। उन्होंने वहां पर क्या किया है, यह तो माननीय मन्त्री जी जानते ही हैं। उदाहरण के लिये मैं माननीय मन्त्री जी के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि जिसका रेफरेन्स श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ अगर श्री काशीनाथ पांडेय ने किया होता तो हो जाता। श्रीमन्, माननीय श्रम मन्त्री जी ने त्रिदलीय कानफ्रेन्स को भी स्वीकार किया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि बिन्दवासिनी कमेटी की जब रिपोर्ट आ जायेगी तो उस पर वर्क किया जायगा। लेकिन मैं देखता हूं कि वह रिपोर्ट आ भी गई लेकिन उस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ। बिन्दवासिनी कमेटी की रिपोर्ट बजट के बराबर लम्बी-चौड़ी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उस पर कोई वर्क नहीं हुआ है। मजदूरों के प्रतिनिधियों की ओर से यह सहमति थी कि इस कमेटी की रिपोर्ट

[श्री उग्रसेन]

पर गौर किया जाय लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई ध्यान दिया ? कोई ध्यान इस कमेटी की रिपोर्ट पर नहीं दिया गया, जिस पर कि सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है और जिसमें मजदूरों को सबसे ज्यादा भ्रम में रखा गया। उनकी आशायें लगी हुई थीं बिन्ध्यवासिनी कमेटी की रिपोर्ट पर लेकिन उनको निराश होना पड़ा। कानपुर में मजदूरों को मार डाला गया, वहां पर ६, ६ महीने हड़तालें हुईं और हड़ताल होने के बाद कमेटी के रेफरेन्स के लिये कहा गया, लेकिन फिर भी उसका रेफरेन्स नहीं किया गया। मजदूरों को एवार्ड्स होते हैं लेकिन उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं किया गया। कानपुर में प्ले आफ होता है। मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं कि २६ तारीख को वहां पर बेकारों का प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया, उनका मेरे पास तार मौजूद है, जिसको उन्होंने राजनारायण जी के नाम भेजा कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन उनको कहा जाय कि तुम प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनकी बेकारी खत्म नहीं की जायगी। जगह-जगह पर एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज हैं, जिनको मैं तो अनएम्पलायमेंट एक्सचेन्ज ही कहूंगा, लेकिन उनके लिये कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन बेकारी का प्रदर्शन होना था मिल मजदूरों की ओर से तो सड़कों पर दोनों तरफ से पुलिस के सिपाही और दरोगा लगा दिये गये। चारों तरफ पुलिस ऐसी छाई हुई थी कि मानो शहर में डी० आई० जी० या आई० जी० आये हुए हैं। श्रीमन्, मैंने मजदूरों का आन्दोलन सन् १९४७ में बम्बई में देखा है, जिसमें कोई बलवा नहीं हुआ है और बड़े शान्तिपूर्ण ढंग से वह हुआ है। लेकिन यहां पर भी प्रदर्शन हो कर रहेगा और लगातार होता रहेगा चाहे मन्त्री जी डंडे बरसायें, गोली चलायें या जेलों में बन्द कर दें लेकिन हमारा प्रदर्शन रुकेगा नहीं। आप बाहर के मुल्कों को देखें, अमेरिका में बेकारों को पेन्शन मिलती है और वहां के प्रेसीडेंट जब चुनाव लड़ने के लिये आते हैं तो वह इन बेकारों को हाथ जोड़ते हैं कि हम बेकारी का भत्ता बढ़ा देंगे, हमारी मदद करो। बेकारों की मदद इंगलैंड में होती है, हालैंड में और दूसरे मुल्कों में होती है। लेकिन यहां के बेकारों के लिये यह है कि वे प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जलूस नहीं निकाल सकते हैं। हमारे कान्सटीट्यूशन में फन्डामेंटल राइट्स हमको दिये गये हैं कि हम अपना कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, जलूस निकाल सकते हैं, लेकिन उनका भी हनन किया जाता है।

श्रीमन्, मैं अपनी बात को पूरी नहीं करूंगा यदि मैं 'केसा' की बात नहीं कहूंगा और वह इसलिये कि वहां पर एक अजीब हालत है, पहले के एडमिनिस्ट्रेशन में और अब में। इसके मेरे पास दो, तीन आंकड़े हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ३२, १६ लाख मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती थी वह २४.७१ लाख कर दी गयी। आफिसरों की तनख्वाह ऐडमिनिस्ट्रेशन के पहले ४.३६ लाख थी और अब गवर्नमेंट में आ कर ८.९९ लाख हो गयी, मंहगाई भत्ता पहले १८.४४ लाख थी और अब ८.९९ लाख है। केसा की आमदनी पहले ९७ .३७ लाख की थी जो कि अब १७४.११ हो गयी। मजदूरों की तनख्वाह घट गयी और मंहगाई घट गयी। जो इन मजदूरों के वेतन में कमी हो रही है तो क्या श्रम मंत्री जी कोई वेतन बोर्ड बैठायेंगे जो कि इस बात की जांच करे, या क्या सहूलियत सरकार उनको देने जा रही है। केसा का अब क्षेत्र बढ़ गया है जिससे कि वहां के मजदूरों के ऊपर वर्क लोड तो अधिक हो गया है लेकिन वह पैसा कम पाते हैं। सरकार की बात को मैं क्या कहूं, उसके लिये तो माननीय मंत्री जी बहुत काफी कह गये। भटनी शुगर मिल है जब मैं वहां गया था तो देखा कि ६७८ मजदूरों को काम पर नहीं लिया गया था। उस झगड़े में सोशलिस्ट पार्टी के ६४ लोग जेल में बन्द हैं और पुराने मजदूर जो २० साल से काम कर रहे हैं उनका केस नहीं बनता। केस रेफर तक नहीं हुआ। इसी तरह से रामकोला का केस है। सक्सेना जी जब वहां गये तो मिल मालिकों ने आई० एन० टी० यू० सी० की साजिश से उनको डंडों से पीटने की कोशिश की। १९४८ में दिल्ली में एक कान्फ्रेन्स हुई। आई० एन० टी० यू० सी० का जहर देश भर में फैलाया गया। उससे देश भर का मजदूर मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो मजदूर

मारा जा रहा है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेबर डिपार्टमेंट की है। श्रीमन्, ४-५ आफिसर्स का क्लोज रिजर्व कानपुर के लेबर विभाग में हो गया है। कहीं भी कलेक्टर हो कर जाते हैं लेकिन लौट-फिर कर वहां लेबर विभाग में आ जाते हैं। ३ वर्ष के बाद दूसरा लेबर कमिश्नर बन कर क्यों नहीं जाता ? वे सिंहानिया और पदमपत के दोस्त बने हुए हैं। वे लोग मौज उड़ा रहे हैं और मजदूर बेचारा पिस रहा है। 'ह्वेन रोम वाज वर्निंग नीरो वाज फिडलिंग'।

समाज कल्याण उप मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर जो समाज कल्याण का अनुदान उपस्थित है उसके विषय में मैं चन्द शब्द माननीय सदस्यों की सेवा में उपस्थित करना चाहती हूं। माननीय नारायणदत्त जी ने एक बात कही, उसका मैं समाधान करना चाहती हूं। वह यह कि हमारे राज्य के अन्दर कई संस्थाओं के द्वारा जो समाज कल्याण का कार्य हो रहा है अगर उन सबके कार्य का एकीकरण कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। आज से दो वर्ष पूर्व मैं भी इस मत की थी कि अगर सारी योजनाओं का एकीकरण किया जाय तो अति उत्तम होगा, लेकिन अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अगर अलग-अलग जरियों से काम होता है तो वह ज्यादा काम हो पाता है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार की जो योजना है वह केन्द्रीय वेलफेयर बोर्ड के अन्तर्गत सारे देश भर में एक ही हिसाब से चल रही है। अन्य प्रदेशों में भी वह योजना चालू है। अगर उस योजना के साथ हम अपनी योजना मिला देंगे तो न वह योजना सफल हो सकेगी और न महिला मंगल योजना सफल हो सकेगी। केन्द्रीय सरकार की एक योजना है, अगर उस योजना को हम अपने प्रदेश में उसके हिसाब से नहीं चलाते तो केन्द्रीय सरकार से उस योजना के अन्तर्गत जो धन हमारे प्रदेश के अन्दर खर्च होना है उससे हमारा प्रदेश वंचित रह जायगा। इसलिये मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के मन में जो शंका है उसका समाधान करना चाहती हूं कि केन्द्रीय बोर्ड के अन्तर्गत जो योजना है उसके अनुसार अगर हम काम चालू रखेंगे तभी केन्द्रीय सरकार उस मद का रुपया हमारी राज्य सरकार को देने के लिये तैयार है। लेकिन जब हम उनकी योजना के अनुसार काम चालू नहीं रखेंगे तो वह धन जो ५० फीसदी केन्द्रीय बोर्ड और केन्द्रीय सरकार से आता है उससे हमारा प्रदेश वंचित रह सकता है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप लोगों के सामने रखा, आज प्रदेश के अन्दर ५ भिन्न-भिन्न प्रकार के होम्स खोले गये हैं। उन होम्स में से ३ स्त्रियों के लिए हैं। एक मेरठ के अन्दर, एक देहरादून के अन्दर तथा एक इलाहाबाद के अन्दर। यह योजना भी केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा हमारे प्रदेश में चालू होने जा रही है। इसके अन्तर्गत हम उन बहिनों की बहुत सी भलाई कर सकेंगे जिनका अपने घरों में स्थान नहीं है, उनकी सहायता कर पायेंगे जो बहिनें गुमराह होकर गलत रास्ते पर आज चल रही हैं या चलने के लिए उत्सुक हो रही हैं और उन बहिनों की भी सहायता कर सकेंगे जो आज निराश्रित हैं, जिनके परिवारों ने उनको छोड़ दिया है या जिनका कोई सहारा नहीं है। इसके अन्तर्गत हम उन बच्चों को भी बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकेंगे जो आज यतीम के नाम पर, अनाथ के नाम पर हमारे प्रदेश के अन्दर भटकते फिर रहे हैं या दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। प्रश्न यह है कि प्रदेश के अन्दर योजनाएं तो बहुत सुन्दर-सुन्दर चालू हैं, जैसे मेरे भाई नारायण दत्त जी ने कहा कि समाज-कल्याण एक नया विभाग है, जिसको किसी दूसरे प्रदेशों से भी कुछ रास्ता नहीं मिल सकता। नया तजुर्बा, नयी लाइन है समाज कल्याण करने की, यह बिलकुल सही है, लेकिन इसमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम समाज-कल्याण के नाम पर अपने मत-भेदों को छोड़ कर, अपनी पार्टियों को छोड़ कर, समाज के हित के लिए, उसके कल्याण के लिये, सरकार के द्वारा जो योजनाएं प्रदेश के अन्दर चालू हैं मेरे माननीय सदस्य भाई और बहिनें उसमें सहयोग देंगे। इसके लिये दृढ़ संकल्प और दृढ़

[श्रीमती प्रकाशवती सूद]

विचार की आवश्यकता है । राज्य सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन रहने के नाते मैंने प्रदेश के हर जिले के अन्दर यह देखा कि कोई भाई, कोई बहिन चाहे वह किसी पार्टी की क्यों न हो, चाहे वह कुछ भी मत क्यों न रखते हों, लेकिन इस योजना के अन्तर्गत सब पार्टियों ने मिलकर इस योजना को सफल बनाने के लिये पूरी तरह से सहयोग दिया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण की दूसरी योजनाओं के लिये भी मुझे ऐसी ही आशा है । मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा आपकी राज्य सरकार दोनों के सहयोग के साथ काम हमारे प्रदेश में चल रहा है । मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जिस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर बोर्ड का काम शुरू हुआ था उस समय हमारे प्रदेश का नम्बर भारतवर्ष में तीसरा था, लेकिन आज केन्द्रीय बोर्ड के अन्तर्गत जितने प्रदेशों के अन्दर यह योजना चालू है उनमें हमारा प्रदेश गरीब होते हुए भी, पिछड़ा होते हुये भी, और इतना बड़ा होते हुये भी दूसरे नम्बर पर है । आज केन्द्रीय बोर्ड के अन्तर्गत मद्रास को छोड़कर दूसरे नम्बर पर हमारा प्रदेश है । माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में अपने सुझाव और सहायता दे कर सरकार का हाथ बटायें, तभी इन योजनाओं को सफल बनाने में सरकार कामयाब हो सकती है, क्योंकि समाज कल्याण का काम वह काम है जिसके लिये हर भाई और बहन की आवश्यकता है । आज जब मैं इस प्रदेश के आंकड़े देखती हूं तो हमारे गोरखपुर में वेश्यावृत्ति करने वाली बहिनों की संख्या बहुत अधिक दिखायी देती है । इसी तरह से हमारे दूसरे और कई जिले हैं जिनमें इन चीजों को देख कर हमारी आंखें अफसोस और शर्म से नीची हो जाती हैं । अगर हम इन तमाम बुराइयों से अपनी बहिनों को बचाना चाहते हैं और अपने समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो माननीय सदस्य कन्धे से कन्धा मिला कर सरकार की इस योजना को सफल बनाने में पूरी तरह से सहयोग दें । इस अनुदान के अन्दर जो कटौती का प्रस्ताव मेरे भाई तिवारी जी ने रखा है अगर उनका प्रस्ताव यह होता कि इस अनुदान के धन की राशि बढ़नी चाहिये तो मैं उनको धन्यवाद देती । मैं आशा करूंगी कि माननीय तिवारी जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और यह सदन इस अनुदान को सर्वसम्मति से पास करेगा जिसके लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब सदस्यों को धन्यवाद देती हूं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर जो माननीय नारायण दत्त तिवारी नें कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज इस कल्याणकारी राज्य कहे जाने वाले राज्य में मजदूर कितना दुखी और परेशान है उसको तो सभी लोग जानते हैं और सदन में इस विषय में काफी चर्चा भी हो चुकी है । मान्यवर, एक पत्र मोहकमपुर टी एस्टेट वर्कर्स यूनियन का हमारी पार्टी के नेता माननीय राजा साहब के पास आया है । उसमें लिखा है कि वहां के मालिक ने करीब ६ मास से मजदूरों को वेतन नहीं दिया । श्रीमन्, ६ माह हो गये परन्तु अभी तक वेतन नहीं मिला, मजदूर दुखी और परेशान हैं । मजदूरों ने बहुत कोशिश की और हर तरह से प्रार्थनायें कीं परन्तु उन्हें अभी तक वेतन नहीं दिया गया । उसी पत्र में उस मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी ने यह भी लिखा है कि १ मजदूर और ५ बच्चे की मौत भूख के कारण हो गयी । आज इस युग में जब कि सरकार कल्याणकारी राज्य का, समाजवादी राज्य का नारा लगाये और आपके राज्य में आज मजदूर जो कि दिन रात मेहनत करता है वह भूखा मरे, यह शर्म की बात है । मान्यवर, आज बड़े-बड़े आदमी जो अच्छा वेतन पाते हैं उनको भी यदि एक या दो माह तक वेतन न मिले तो उनकी भी परिस्थिति बड़ी कठिन हो जाती है । परन्तु यदि मजदूर जिसकी आमदनी

१ १/२ या २ रुपया प्रतिदिन की है, ऐसे मजदूर को यदि ६ माह तक वेतन न मिले तो फिर विचार करने की बात है कि किस प्रकार वह अपने बच्चों का गुजारा कर सकता है। मजदूर के पास कोई भी साधन नहीं होता। उसके पास कोई और जरिया नहीं होता जिसके जरिये से वह अपना काम चलाये। उसके पास बर्तन तक नहीं होते जिनको बेचकर वह अपने बच्चों का २ दिन भी गुजारा कर सके। ऐसे मजदूरों को यदि ६ माह तक वेतन नहीं मिले और उसके लिये जब मांग की जाय तो मालिकों के अत्याचार और बढ़ने लगें और कोई सुनवाई न हो तो यह अन्याय है। जब मजदूरों ने बहुत मांग की तो टी कम्पनी के मालिकों ने देखा कि मजदूर बहुत ज्यादा परेशान हैं तो उन्होंने इतना ज्यादा अत्याचार किया कि मजदूरों को मारना शुरू कर दिया। उसकी यूनियन के प्रेसीडेंट को पीटा और औरतों को घसीटा। मजदूरों ने वहां मजबूर होकर स्ट्राइक शुरू की। जब स्ट्राइक हुई तो जैसा कि इस पत्र में लिखा है टी कम्पनी के मालिक ने जिस कुयें से मजदूर पानी लेते थे उसमें ताला डाल दिया। आज मजदूर भूख से तो मरता ही था अब वह प्यासा भी मरने लगा। इस प्रकार से इन अत्याचारों के बढ़ने से वहां मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी ने मजदूरों को ले जाकर जिलाधीश के पास प्रार्थना-पत्र दिया है। परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

दूसरी बात यह है कि लखनऊ में राजकीय प्रेस की मजदूर यूनियन ने कितनी ही बार माननीय मंत्री जी, जो पहले उसके मंत्री थे, उनसे भी बहुत प्रयास किया और उन्होंने वेतन कमेटी बिठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने समय-समय पर आश्वासन दिये। जब मजदूरों का रोष उग्र हुआ और सरकार को अधिक दबाया गया तो सरकार ने आश्वासन दे दिया, परन्तु उस आश्वासन की कोई आज तक पूर्ति नहीं हुई। ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे उन मजदूरों की समस्या सुलझ सके। ५, ५ साल काम करते हो गये हैं, अभी तक उनको मुस्तकिल नहीं किया गया है। उनके वेतन को ठीक नहीं किया गया और हमारी सरकार यह नारा लगाती है कि हम अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं मरने देंगे और कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिसको हम सुलझा न सकें, लेकिन रोज सत्याग्रह होता है और रोज हड़ताल होती है और रोज जलूस निकलते हैं। मजदूर चिल्लाते हैं और परेशान होते हैं। माननीय श्रम मंत्री के दरवाजे पर बैठते हैं परन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज मजदूर बेचारा दुखी है।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज के दफ्तर को देखिये। बेकारों की भीड़ लगी रहती है। बेकारी इतनी बढ़ गयी है कि अगर इसका सही रूप देखना है तो एम्पलायमेंट एक्सचेंज के दफ्तर में जाकर देखना चाहिये जहां पर ऐसी भीड़ लगी रहती है, ऐसी लाइन लगी रहती है जैसे कोई बड़ा भारी नेता आ रहा हो और वह भाषण देगा। वह भीड़ किस लिये लगी रहती है? दुखी, परेशान बेरोजगारों को वहां भी शरण नहीं मिलती है। वह बेकार आदमी, वह बेकार नवयुवक ट्रेन के नीचे या मोटर के नीचे लेटकर या पुल से कूदकर अपनी हत्या कर लेता है। ऐसे दृश्य नित्य देखने को मिलते हैं। सरकार उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं कर पाती है। कहते हैं कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज खोल दिया, वहां से नौकरी मिलेगी। सरकार के कागज के फिगर देखे जायं तो मालूम होगा कि इतने हजार लोगों को नौकरी दे दी। उनके भी नाम उसमें रहते हैं जिनको ४ दिन के लिये नौकरी दी, जिनको १० दिन के लिये नौकरी दी। ऐसे लोगों के नाम भी उसमें रहते हैं और कह दिया जाता है कि इतने लोगों को नौकरी दी गई। वहां पर ऊंचे वेतन भोक्ताओं को बैठा दिया गया है। इन लोगों की बेकारी तो जरूर दूर हो गई। उनको अच्छा वेतन मिलने लगा, लेकिन उससे सही मानों में बेकारी दूर हुई हो ऐसी बात नहीं है।

केसा के बारे में काफी कहा जा चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। केसा के मजदूर ने अपना ग्रेड और बोनस बढ़ाने के लिये सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखीं। जिस वक्त यह प्राइवेट

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

कंपनी थी, मजदूर यह सोचते थे कि सरकार के हाथ में इसके पहुंच जाने से हमारा भला होगा। एक दिन वह आया कि जब वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की और कहा कि हम मजदूरों के हित का खयाल रखेंगे। किन्तु कैसा कम्पनी की आमदनी बढ़ती जाती है और मजदूरों का वेतन कम होता जा रहा है, उनका बोनस कम होता जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—इसको संक्षेप में ही कहिये। इस विषय पर बहुत कहा जा चुका है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—ऐसा भी नहीं है कि वह कम्पनी घाटे में जा रही हो। पहले से कई गुना मुनाफे में जा रही है। उसमें बिजली की ताकत भी बढ़ गयी है और उपभोक्ताओं की संख्या तिगुनी हो गयी है। श्रीमन्, आमदनी तिगुनी, चौगुनी है, लेकिन मजदूर को बोनस और वेतन कम दिया जाता है। बहुत कोशिश की कि सरकार इस पर विचार करे, लेकिन सरकार न कुछ सुनने और न सोचने को तैयार है। मिल मालिकों से तो हमारी सरकार टैक्स लेती है और पार्टी के लिये उनसे चन्दा भी लिया जाता है। वह अगर मजदूरों को दबाते हैं तो एक बात भी है। लेकिन हमारी सरकार, जो मजदूरों का भला करना चाहती है, रुपया मिलने के बाद भी मजदूरों को नहीं देना चाहती, यह क्या बात है? मिलों ने अपने यहां ताला डाल दिया, मजदूर बेकार कर दिये, लेकिन इस सब से इनका कोई नुकसान नहीं होता। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना रही है कि कोई भी मिल मालिक जिसने नफा कमाया है, ताला नहीं डाल सकता। वह मजदूरों को निकाल नहीं सकता। सरकार की ओर से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं कि जो एक तरफ मजदूरों को निकालती हैं यह कह कर कि हमारे यहां स्टाक बहुत ज्यादा है, हमारा सेल नहीं है और दूसरी तरफ सरकार से मांग करती है कि बाजार में हमारा सेल अधिक है, हम अपनी कम्पनी को बढ़ाना चाहते हैं इसलिये हमको रुपया कर्ज दिया जाय। एक मिसाल अलीगढ़ की इंप्लीमेंट्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी की ही है। उसने २०० मजदूरों को बिना सूचना के ही निकाल दिया और उसके बाद सरकार से मांग की कि हमको रुपया दिया जाय ताकि हम अपनी कम्पनी को बढ़ा सकें। इधर तीन तीन दिन का मजदूरों का वेतन और बोनस कांग्रेस के चन्दे में दिया गया। उसके लिये वहां के मजदूरों ने माननीय मंत्री जी को आवेदन पत्र दिया, कोशिश की, मिल मालिकों से लड़ाई लड़ी, बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक तीन दिन का वेतन उनको नहीं मिला और अब तक उनका कोई विचार नहीं हुआ। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल कागजी आंकड़े सदन में पेश करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें चाहिए कि प्रेक्टिकली भी कुछ करें। मजदूरों को भूखा मरने से रोकें और जिन प्राइवेट कम्पनियों से उनको वेतन नहीं मिला है वह उनको दिलायें।

श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत आभारी हूं कि समय कम होते हुए भी आपने मुझे बोलने के लिये थोड़ा समय दे दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये हुए अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। इस समाज कल्याण योजना में मंत्री जी ने जो ४२,९९,८०० रुपये की मांग की है, मेरी राय में इसके विस्तृत कार्यक्रम के लिये वह बहुत ही थोड़ा है। हमारा देश और समाज सदियों से गुलामी में जकड़ा हुआ पड़ा रहा और अब आजाद होने के बाद उसमें बहुत कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। इतने थोड़े से धन से इतना बड़ा काम कैसे पूरा हो सकेगा, इसमें मुझे संदेह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया बहिन जी ने अभी बोल कर मेरी बड़ी भारी समस्या को हल कर दिया। जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा, मैं भी इस उलझन में थी कि क्यों न इन सब योजनाओं को एक में कर दिया जाय, उससे खर्चे में भी कमी होगी और काम भी ज्यादा होगा। लेकिन बहिन जी ने उसको साफ कर दिया कि वे अलग

अलग योजनायें हैं और उनके लिये अलग-अलग रुपया मिलता है। तब भी मेरा कहना यह है कि जहां तक समाज कल्याण की योजनाओं का ताल्लुक है एक ही जिले में कई-कई केन्द्र खुले हुए हैं, लेकिन बाकी तहसील और जिले उनसे वंचित हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि जहां वे समाज कल्याण के प्रोजक्ट खोलें वहां महिला मंगल योजना के प्रोजेक्ट न खोलें, उनको वे दूसरी तहसीलों में खोलें। इस प्रकार करने से सब जिलों और तहसीलों का लाभ हो सकेगा।

इसके अलावा इस विषय में बहुत कुछ हमारे मंत्री जी ने किया है, उसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं। जैसे कि अंधे, बहरे और गूंगों के स्कूलों की जो योजनाएं बनी हैं, वे बहुत अच्छी हैं और गरीबों का उपकार करने वाली हैं। रेसक्यू होम्स खोले गये हैं और परित्यक्ता बहनों की सुरक्षा की बात की गयी है। उसके लिये मैं उनको बधाई देती हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे यह कहना है कि इन चन्द रेसक्यू होम्स से हमारी बहनों का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वे काफी तादाद में हैं। आज भी बहुत सी बहनें घृणायुक्त काम करके जीवन यापन कर रही हैं। माननीय मंत्री जी को इसके लिये कोई न कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना ही होगा। १० वर्ष के बाद हमारे बीच से यह चीज उठ ही जानी चाहिये। एक बार पहले भी मैं कह चुकी हूं और आज भी अनुरोध करना चाहती हूं कि जैसा क्रान्तिकारी कदम इस विषय में चीन और दूसरे देशों में उठाया गया है, वैसा ही हमारे प्रदेश में और देश में उठाया जाना चाहिये और इस चीज को समाज में से हटाना चाहिये।

इसके अलावा मैं एक और समाज की कमी की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं, वह कमी सदियों से हमारे देश में चलती चली आ रही है, वह दहेज प्रथा है। मैं बहुत देर से सोच रही थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज को मैं किस अनुदान में रखूं और किस जगह इस चीज का जिक्र करूं और आज उसको मैंने समाज कल्याण के अनुदान में रखना ही उचित समझा। मैं माननीय मंत्री जी और बहन जी से अनुरोध करती हूं कि इस विषय में जो कुछ भी हो सके वह किया जाय। यह हमारे देश में एक ऐसी कमी है कि "मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की"। ज्यों-ज्यों समाज एजूकेटेड होता जा रहा है, त्यों त्यों यह मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण से हमारे गांवों की हजारों बहनें और लड़कियां क्वारी ही जीवन व्यतीत करती हैं और बहुत सी आत्महत्या कर लेती हैं। मैं चुनाव के समय का एक किस्सा आपको बताती हूं। मैं कन्वेंसिंग करने के लिये एक घर में गयी थी कि एक वृद्ध महाशय ने हाथ फैला कर घर का दरवाजा रोक लिया और मुझको अन्दर जाने से मना कर दिया। मैंने कहा, कि भाई अतिथि का ऐसे ही सत्कार करोगे, हम लोग तो बाहर से आये हुए हैं, हम आपके घर में जाना चाहते हैं। उन वृद्ध पुरुष ने कहा कि अन्दर जाने के पहले आप वादा कर लें कि दहेज प्रथा को दूर करेंगी, तब मैं अपने घर के अन्दर आप लोगों को घुसने दूंगा। यह उन्होंने वादा करा लिया तब घर के अन्दर घुसने दिया? मैं बहुत दिनों से सोच रही थी किस अनुदान में इस प्रश्न को उठाऊं, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था...

श्री उपाध्यक्ष—आपके इस वादे के बाद तो सरकार को इस प्रश्न पर जरूर ही विचार करना चाहिये।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी—तब मैंने सोचा कि इसी समाज कल्याण के अनुदान में ही अपनी इस इच्छा को प्रकट करूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं और अपने भाइयों से भी जो यहां बैठे हुए हैं, अनुरोध करती हूं कि इस कमी को समाज से निकालिये। जब तक समाज से इस अभिशाप को दूर नहीं करेंगे तब-तक हम लोग उन्नति नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में आज भी किसी घर में कोई लड़की पैदा होती है तो अफसोस मनाया जाता है, हम लोग उसका स्वागत उस तरह से नहीं करते हैं, जैसा कि एक लड़के के पैदा

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

होने पर उसका स्वागत करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कानूनन या किसी तरह से, जिस तरह से भी चाहें, इस प्रथा को मिटाने का प्रयत्न करें। मैं अपने सब भाइयों से प्रार्थना करती हूं कि इस दहेज प्रथा को अपने देश से दूर करें इसमें कोई शक नहीं कि आज महिलाओं को बराबरी का हक मिला है और हम लोगों की बहुतेरी उन्नति हुई है। १०, २० वर्ष के अन्दर हम लोगों ने काफी ऊंचा दर्जा प्राप्त किया है, लेकिन इस दहेज प्रथा के कारण हम आज उसी नीची निगाह से देखी जाती हैं जैसी आज से ५० वर्ष पहले देखी जाती थीं। तो आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस विषय में ध्यान दें और हमें कृतार्थ करें।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैंने आज की अनुदान के सम्बन्ध में जो कुछ सुना तो थोड़ी देर मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे मैं अपने प्रदेश में नहीं हूं, किसी दूसरी जगह चला गया हूं और कुछ ऐसे लोगों की बातें सुन रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुरानी जानी पहचानी आवाजें, इसलिये फिर खयाल हुआ कि नहीं उत्तर प्रदेश में ही हूं या तो यहां के मित्र भूल गये ... (व्यवधान) कोई जल्दी की बात ऐसी नहीं है, अभी तो सवाल का जवाब करना है, धीरे-धीरे होगा।

मान्यवर, मुझे दो बातें कहने में कोई गुरेज नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस सरकार की तरफ से यह दावा कभी नहीं किया गया कि हमने समाजवाद की स्थापना कर ली है और दूसरी बात यह है कि हमने यह कभी नहीं कहा कि बेकारी को हमने निर्मूल कर लिया। ये दोनों बातें न यहां से कही गयी हैं, न इसका दावा किया गया है। मुझे हैरत है कि यह क्यों कहा जा रहा है कि इस तरह का दावा किया गया था। क्योंकि अगर यह दावा हमारा होता तो इतनी सारी योजना की बातें, हिन्दुस्तान की किस्मत को बनाने के ड्रामे का जिक्र जो पंडित जी ने पार्लियामेंट में किया और बजट भाषण के सिलसिले में हिन्दुस्तान की किस्मत को बनाने का तजकिरा जो किया गया और यहां भी जो तजकिरा किया गया वह क्यों होता? हमारा कारवां जा रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैसा हमारे माननीय मदन पांडेय जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ४५–४६ की अपेक्षाकृत हमारे प्रदेश के मजदूरों, हमारे प्रदेश के श्रमिकों, हमारे प्रदेश के रहने वाले गरीबों का कदम आगे की ओर बढ़ा है, हम मंजिल की ओर जा रहे हैं। हमारी प्रगति किसी की निगाह में कम, किसी की निगाह में ज्यादा हो सकती है। जहां तक सम्भव है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई सरकार अलग चीज बनाकर उसका श्रेय लेना नहीं चाहती है और न यह सरकार के लिये श्रेयस्कर ही होगा क्योंकि यह तो इस प्रदेश की रहने वाली सारी जनता का श्रेय है और जिसने अपना नेतृत्व हमें दिया है। हम और आप सब आज मिल कर काम कर रहे हैं। इससे हमारे प्रदेश का कल्याण होगा। मैं अपने मित्रों के आंकड़ों में जहां तक सम्भव हो सकेगा जाने का प्रयास अवश्य करूंगा। लेकिन मैं एक चीज पहले से कह देना चाहता हूं कि जो हमारा उसूल हो उसको हमें एक दफा स्थापित कर लेना चाहिये।

बार-बार यहां पर गिरि जी का नाम बहस के सिलसिले में लिया गया है। राज्यपाल महोदय की चर्चा आम तौर पर सिवाय उनके सम्बोधन के और नहीं होनी चाहिये, लेकिन फिर भी आप मुझे क्षमा करेंगे। वह यहां के राज्यपाल ही नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़े श्रम नेता भी रहे हैं मैं इतना इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक तो आप उनकी बात को कोट करें और दूसरी तरफ ऐडजूडिकेशन की मशीनरी की भी चर्चा करें। यह दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर यह होता कि ऐडजूडिकेशन की मशीनरी को स्क्रैप कर दिया जाय तब तो मैं मान लेता कि जो हमारे मित्र इधर से बोल रहे थे और उधर से बोल रहे थे तो हमारे गिरि जी ने जिस पृष्ठभूमि को खड़ा करना चाहा है उसको वे भी मान्यता देते हैं। लेकिन यहां तो एक अजीब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात है कि आप रोटी खाना भी चाहते हैं और हाथ में भी रखना चाहते हैं। अंग्रेजी में भी एक कहावत इस प्रकार है कि:—

"You can not take it in hand and eat it too".

यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर गिरि जी की बात मानते हैं तब तो हमें इस एडजुडिकेशन की मशीनरी को स्क्रेप करने की बात सोचनी चाहिये तब तो इस पर विचार होता है, होता रहेगा और हो सकता है। लेकिन जो भाई दोनों को साथ-साथ कहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि लाजिक बड़ी स्लिपरी होती है।

दूसरी बात आम कही गई, जनरल कही गई, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे प्रदेश के मजदूर सारे देश के मजदूरों से पिछड़े हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं और यह फिगर्स स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है। "सम पेपर्स आन वेज पालिसी" (Some papers on wage policy) यह किताब केन्द्रीय सरकार की ओर से निकली है और पब्लिकेशन ब्यूरो से मिल सकती है। इसको अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि चीनी उद्योग में, जिसके सम्बन्ध में माननीय मदन पांडेय जी को बड़ी भारी शिकायत है कि लूट मची हुई है, वहां वह देखेंगे कि हिन्दुस्तान के सारे मजदूरों से हमारे यहां के चीनी मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलती है। इसी तरह से कपड़े के मिल के मजदूर हैं। उनकी औसत मजदूरी को लिया जाय। एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि "lies damn lies end Statistics" यह बात कि स्टेटिस्टिक्स बनाने में भूल हुई हो तो बात दूसरी है। हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वह जिस तरह से आंकड़े बनाते हैं वह आपको पसन्द नहीं तब तो दूसरी बात है, लेकिन अर्थ शास्त्रियों की राय को आप मानते हैं तो मुझे यह कहते हुये गर्व होता है कि चीनी मजदूरों की औसत आमदनी सारे देश में चीनी उद्योग के मजदूरों से ज्यादा है।

जहां तक कपड़े मिल के मजदूरों का ताल्लुक है हमारे मजदूरों की औसत आमदनी देश भर में तीसरे नम्बर पर है। हमारे यहां से अधिक बम्बई और अहमदाबाद में है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि वह किस तरह का कपड़ा बनाते हैं और कितना कपड़ा बाहर जाता है। मैं इस खतरनाक दलील को यहां देकर मिल मालिकों के सामने अपनी बात दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आप से कहता हूं और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है कि कपड़ा मिल के मजदूरों को जो मजदूरी मिलनी चाहिये उसमें जिस दिन सरकार की ओर से कोताही होगी तो उसी दिन मैं आपके साथ सहमत होऊंगा कि सरकार का समाजवादी का ढकोसला गलत निकला। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे सूबे के रहने वालों की आर्थिक स्थिति इन सारी फैक्टरियों की काम करने की शक्ति से सम्बन्धित है। गन्ना मिल का एक सवाल ही नहीं है, गन्ना मिलों की हमारी रिकवरी और वहां के मजदूरों की हालत इतनी खतरनाक है कि दक्षिण के मुकाबले में हम एक बड़े बेतरतीब और बड़े बेमानी कम्पेटीशन में पड़ गये हैं और उससे हमें आगाह रहना है। सरकार की गलत नीति पर गाली देना हर जगह जरूरी नहीं है। कहीं ऐसी बात हो तो दी जा सकती है लेकिन गाली देने के लिये ही गाली देना उचित नहीं है।

तीसरी एक बात यह भी कही गई कि हमारे यहां इस प्रदेश में बेकारी बहुत फैल रही है। अब अगर कुंये में रहकर कोई बड़ा मेंढक सोचे कि हम बहुत बड़े हैं तो उसे समुद्र में फेंक देना चाहिये तब उसकी समझ में आ जायगा कि समुद्र में कितने बड़े-बड़े मेंढक होते हैं। हमारे यहां के जो उद्योग हैं उनको अगर सारे उद्योगरूपी समुद्र में डाल दिया जाय और तब देखा जाय कि कितना बड़ा उद्योग है तब सही हालत का पता चलेगा। अभी ५-६ रोज पहले इसी उत्तर प्रदेश के अखबारों में, 'पायनियर' और दूसरे अखबारों में छपा था कि देश में कितनी कपड़े की मिलें इस वर्ष में बन्द हुई हैं। उसके औसत में आप देखें कि हमारे यहां कितनी बन्द हुई हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले ६५ हजार मजदूर काम करते थे और अब केवल ४० या ४२ हजार ही रह गये हैं। पता नहीं कि वह क्या ढांचा बनाते हैं और कैसे नतीजा

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

निकालते हैं। सारे देश में ५० हजार कपड़े के कारखानों के मजदूर १ साल में बेकार हुये हैं जब कि उसमें से हमारे यहां एक मजदूर भी बेकार नहीं हुआ है। यद्यपि मैं उस लांछन को स्वीकार करता हूं मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश में पिछले एक वर्ष में एक भी कपड़े के मिल मजदूर का रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ है, काम से कोई नहीं निकाला गया है सिवाय इसके कि किसी का डिसमिसल मिसकन्डक्ट के लिये हुआ हो। हां प्ले-आफ हुआ है और मजदूरों को उससे परेशानी है। उसके लिये हमें भी दुख है। मैं माननीय उग्रसेन जी का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी नियत कोई वितंडावाद की नहीं है। तो अगर आप उस नियत से देखें तो हमारे सूबे में मजदूरों को बेकारी पिछले एक साल में नहीं हुई है। कुछ लोगों ने ऐसा लांछन लगाया जिससे मालूम होता था कि हमारी श्रम नीति की वजह से ही सारी कठिनाई हो रही है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं टेक्सटाइल की जो इन्टरनेशनल स्थिति है उसकी बात नहीं कहता, जापान के मार्केट की बात भी नहीं कहता, आज अमरीका और लकांशयर के टेक्सटाइल उद्योग की क्या हालत है उसकी बात भी मैं नहीं करता या जो अन्य पूंजीपति देशों में कपड़े की हालत है उसकी बात भी मैं नहीं करता, परन्तु हमारे देश में ही जो मिलों की हालत है और कपड़े की हालत है, हैंडलूम के कपड़े को जो प्रोत्साहन है उसका जो प्रभाव है, हमारे यहां जो बम्बई आदि प्रदेशों के मुकाबले में काम करने के दिनों में अन्तर है यह जो कानपुर की मिलें हैं यहां पर बम्बई की मिलों से अधिक काम होता है, हमारे यहां पर कुछ बिजली भी महंगी है। तो यह सब दिक्कतें हैं। इन सब दिक्कतों की वजह से हमारे प्रदेश का जो कपड़ा उद्योग है, उसको कुछ धक्का लगा है। मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जो धक्का लगा है उसको हमें सहना होगा। हममें इतनी शक्ति होनी चाहिये कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें। सरकार से जो समझौता हुआ है उसको सरकार सुचारु रूप से पूरा करेगी।

माननीय उग्रसेन जी व मदन पान्डे जी ने जो कहा है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रजातंत्रवाद है, यहां का हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर आप अपने यहां के संविधान को देखें तो मालूम होगा कि हमारे राज्य में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अपने संविधान के अनुकूल हम किसी को कारखाने खोलने या बन्द करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं। शोलापुर टेक्सटाइल सेन्टर को भारतीय सरकार ने चलाया और भारतीय सरकार ने ४२ लाख रुपया दिया। प्रदेश की सरकार ने भी मिलों के लिये काफी कार्य किया है। हमारे सामने कुछ कानूनी अड़चनें हैं। हमारी जो परम्परायें हैं, उनको सदन में कायम रखना है। जो हमारे रूल्स हैं उनको तो हमें मानना ही पड़ेगा। हमारे मित्र जिन बातों की चर्चा करते हैं, उनमें से कुछ को तो मैं मानता हूं, लेकिन हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं जिनके कारण हम मजबूर हैं।

अब मैं कुछ बातें प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी, जो यहां पर कही गयी हैं, कहना चाहता हूं। यहां पर जब इन्डस्ट्रीज पर और पावर पर बहस होगी तो उस वक्त मैं उन बातों को कहूंगा और मैं समझता हूं कि वह समय भी ठीक होगा।

एक बात यहां पर श्रम विभाग की तनख्वाहों और वेतन के बारे में कही गयी है। सारे विभाग के काम के लिये एक मशीनरी बनायी गयी है। इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के अनुसार बनायी गयी थी, उस पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ होने वाला है। हमारे सामने जो दिक्कतें आती हैं, उन पर हम को गौर करना होगा। इन सारे कामों को करने के लिये यह मशीनरी है, जिस के बारे में माननीय श्रम मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था। एक बात यहां पर यह भी कही गयी कि ट्रेड यूनियन की तादाद कम कर दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—आप के लिये पांच मिनट और हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—लाचारी है। माननीय तिवारी जी ने ट्रेड यूनियन के बारे में कहा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है, हम उसी के अनुसार कार्य

करते हैं। पहले ८८४ यूनियनें थीं और अब ८२३ रह गयी हैं। जिन यूनियन ने अपना हिसाब किताब ठीक से नहीं दिया, उनके नाम काट दिये गये हैं। ३१ मार्च, सन् १९५७ तक ८२३ यूनियनें थीं। जैसे जैसे हमारा प्रदेश सैचुरेट होगा, उनकी तादाद कम होती जायेगी। सन् १९४५ और ४६ में जब हम यहां पर आये थे तो क्या हालत थी? मजदूरों का अन्दोलन केवल बड़े बड़े सेंटरों में ही था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह लहर चारों तरफ फैल गयी और काफी युनियनें पैदा हो गयीं। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और लोगों को काफी जानकारी भी हो गयी है। स्ट्राइक ऐंड लाकअप (Strike and lock up) के लिये भी कहा गया है। बहुत सी ऐसी स्ट्राइक हुई हैं जो लीगल नहीं थी। तो वह फिगर्स इंटरलिंक्ड होती हैं, लेकिन फिर भी आप देखिये कि इस पीरियड में हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में स्ट्राइक और लाक आउट पहले के मुकाबिले में बहुत कम हुई हैं। जो उसमें आदमियों की संख्या थी ३२,२९३ थे जिसमें कि ५६ के मुकाबिले में कर्मचारी अधिक थे, लेकिन जो टोटल अगर लिया जाय तो पहले से हमारे यहां इसमें जरूर कमी रही है, बहुत ज्यादा कमी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन पहले से ज्यादा भी मैं नहीं कह सकता। श्रीमन्, मुझे केवल पांच मिनट और दे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—आप केवल दो मिनट और ले लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—यहां पर निम्बकर कमेटी की चर्चा बहुत की गयी है। हम जानते हैं कि उसने अच्छी अच्छी बातें रखी थीं, लेकिन प्रैक्टिकेबली उसमें कुछ दिक्कतें हैं जिनको पूरा किये बिना उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो सकता। यहां पर कहा गया है कि मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाय तो इसके पहले ही वेतन सरकार ने उनका ज्यादा किया है और अगर फिर भी बढ़ाया जाय तो फिर कितनी वृद्धि हो जायेगी!

इसके अतिरिक्त रेशनालाइजेशन कमेटी और बिन्दवासिनी कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिये कहा गया है और मैं समझता हूं कि उनकी जो उसमें रायें हैं वे अच्छी हैं और उनको माना जाना चाहिये। लेकिन इसी बीच में सेंट्रल वेज बोर्ड की रिपोर्ट आ गयी है और उसी बीच में टेक्सटाइल सेटअप होने वाला था जिसको तय करना था। इसलिये इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम उसको न कर सके कि जब तक आल इंडिया पिक्चर में हमारा प्रदेश अच्छा न हो जाय, कारोबार न बढ़ जाय तब तक जो बातें हमारे सामने रखी गयी हैं उनको इम्पलीमेंट करने में काफी दिक्कतें हैं। यहां पर काफी आंकड़े इस बात के दिये गये हैं कि क्या क्या बातें यहां पर इम्पलीमेंट नहीं हो रही हैं, क्यों ऐवार्ड्स को इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ मामले हाई कोर्ट में थे और जब तक वह हाईकोर्ट में हैं तब तक हम उनके लिये कुछ नहीं कर सकते हैं। बरेली की जो फिगर है वह बहुत पुरानी है। इसलिये जैसे जैसे कोर्ट से ऐवार्ड होते आते हैं वैसे वैसे उनका इम्पलीमेंटेशन कर दिया जाता है। इसलिये इस प्रदेश में कोई ऐसा ऐवार्ड नहीं है जिसका इम्पलीमेंटेशन न हुआ हो। हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में आगे हैं। बाज बाज स्टेट तो ऐसी हैं कि जहां यह अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हो पायी है.....

श्री उपाध्यक्ष—आपके भाषण का समय समाप्त हो गया है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि १५ मिनट का समय बहुत ही कम है, अगर समय बढ़ा दिया जाय तो अधिक सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—आज अनुदानों के बाद आध घंटे का प्रश्नोत्तर पर वाद विवाद भी है। अतः समय बढ़ाने के प्रस्ताव को मैं नहीं लूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से माननीय बहुगुणा जी का भाषण सुना। उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि हमारे प्रदेश में मजदूरों के लिये और औद्योगिक क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है, वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में आगे है, प्रगतिशील है। मैं इस तुलना की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रदेशीय सरकार और भारत के अन्दर जो दूसरी प्रदेशीय सरकारें हैं वह इस नीति को अपना रहे हैं जो कि पूंजीपतियों से मिली हुई नीति है और मजदूरों के हितों के खिलाफ है। फिर ऐसी दशा में और राज्यों की तुलना करना जब कि दोनों का एक ही रास्ता है, जब दोनों मजदूरों के खिलाफ कानून बनाते हैं और मिल-मालिकों के हितों में कानून बनाते हैं, तब अगर ऐसा न हो तो आश्चर्य की बात नहीं है।

मजदूरों की इस समय मुख्य रूप से तीन मांगें हैं जिसमें पहली तो यह है कि उनको वेतन उचित और ठीक समय से मिले और दूसरी यह कि उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान सरकार रखती है या नहीं, उस कानून का इसके द्वारा संरक्षण होता है या नहीं, और तीसरी मजदूरों की ट्रेड यूनियन्स के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण कितनी दूर तक होता है। इन तीन कसौटियों पर हम अपने प्रदेश के बनाये हुए कानून को कसें। पिछले दिनों जो सरकार की नीति रही है अगर उसका अवलोकन करें तो इतना स्पष्ट हो जाता है कि पिछले दिनों में इन तीन बातों में विशेष उन्नति नहीं हुयी है। मजदूरों को उचित मजदूरी आज भी नहीं मिल रही है और न वह समय से ही मिल रही है। इसका प्रमाण कानपुर के टेक्सटाइल मिल के मजदूर हैं और जिस प्रकार माननीय श्रम मंत्री ने पूंजीपतियों की वकालत की उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का रुख आज मजदूरों के प्रति क्या है? सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े पूंजीपति बिरला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया। इसी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर देश का नम्बर १ पूंजीपति किसी कमेटी का अध्यक्ष होगा तो उसके सुझावों पर मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश के अन्दर मजदूरों के हितों को जानने वाले बड़े-बड़े उच्चकोटि के मजदूर नेता थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण हो सकता था, लेकिन सरकार की नजर पड़ी तो बिरला जी पर ही पड़ी।

पिछले दिनों प्रदेश के कानून में जो परिवर्तन हुये हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की सरकार मजदूरों के हक को काटना चाहती है। जिस प्रकार से उसने मजदूरों की हड़तालों पर रोक लगाई है, जिस प्रकार उनकी यूनियनों पर उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाये हैं उसी में सिद्ध हो सकता है कि सरकार उनके हितों की रक्षा कहां तक करना चाहती है।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

अभी माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि हमारी एक डेमोक्रेटिक सरकार है। मिल-मालिक को हम मजदूरों के हित की रक्षा कराने के लिये जबरदस्ती नहीं कर सकते, न उसे मिल खोलने के लिये मजबूर कर सकते हैं। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अमेरिका जो एक कैपिटलिस्ट मुल्क है जब स्टील के कारखाने बन्द होने लगे थे तो उस समय के राष्ट्रपति ट्रूमेन ने उसमें हस्तक्षेप किया। अगर कैपिटलिस्ट कंट्री में मजदूरों के हित के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है तो ऐसी सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार होने का दावा करती है उसके लिये ऐसा कहना कि वह ऐसा नहीं कर सकती कहां तक उचित है? इसी से इस सरकार की नीति और मंशा का पता चलता है।

समाजवादी व्यवस्था के अन्दर, श्रीमन्, मजदूर का केवल यही काम नहीं है कि मिल के अन्दर जो उत्पादन होता है उसका वह एक निष्क्रिय यंत्र भर रहे। आज समाजवाद इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि मैनेजमेंट के अन्दर मजदूरों का हाथ होना चाहिये।

सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाया है कि मजदूरों का मैनेजमेंट में हाथ हो, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ? अगर मजदूरों का हाथ प्रबन्ध के अन्दर होता तो प्रदेश में जो हड़तालें हो रही हैं, मजदूरों पर जो हमले हो रहे हैं उनमें निश्चित रूप से गति मन्द होती ।

अभी चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के अन्दर मजदूरों ने जो मांग पेश की है और जिस प्रकार से उनके अधिकारों पर हमला किया गया है उसी से यह सिद्ध होता है कि सरकार पब्लिक सेक्टर में मजदूरों के हकों को नहीं दे रही है । कहा गया कि आवास-गृह मजदूरों के लिये बनाये जा रहे हैं, लेकिन जो मकान मजदूरों को मिले हैं उनका किराया इतना अधिक है कि उनके बस और बूते के बाहर की बात है कि उन मकानों में वे रह सकें । तो किस बात की सुविधा सरकार ने उनको दी ?

मुख्तसर में मैं कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं । सरकार जल्दी से जल्दी वेज बोर्ड और पे कमीशन की नियुक्ति करे, जो हर तबके में मजदूरों की मांग है, और आज की हालत में जिसका बनना नितान्त आवश्यक है । दूसरे, मजदूरों के वेतन में २५ प्रतिशत अविलम्ब बढ़ोत्तरी की जाय ताकि सरकार जो उनको फेयर वेज दिलाने की बात कहती है उसकी गारंटी हो सके । तीसरे, आज मजदूरों को जितना मंहगाई भत्ता मिलता है उसको अविलम्ब बेसिक पे में मिला दिया जाय । चौथे, जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं मजदूरों के उनका रिवीजन किया जाय ताकि उनके हक व हित निश्चित रूप से सुरक्षित हो सकें । पांचवें, जो छोटे गृह उद्योग हैं उनका ह्रास होता जा रहा है और उनके मजदूरों की सुरक्षा की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जैसे बनारस में भदोही के कालीन मजदूर पिछले हफ्ते से हड़ताल कर रहे हैं, और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा——हड़ताल के पहले खबर भेजी थी या बाद में ?

श्री चन्द्रजीत यादव——पहले भी मजदूरों का प्रतिनिधि-मंडल मिलता रहा है और बाद में भी खबर दी गयी, लेकिन भदोही के कालीन मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और छठवीं मांग यह है कि जो फेस्टिवल हालिडेज हैं वे पेड हालिडेज होनी चाहिए ।

अब मैं थोड़ा सा समाज कल्याण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । पिछले दो वर्षों से सरकार ने इसके सम्बन्ध में काफी लम्बी चौड़ी बातें कहीं हैं । कहा गया कि इस सम्बन्ध में प्रदेश में काफी प्रगति हो रही है । इस सदन में बार-बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया और यह प्रश्न उठाया गया कि हमारे प्रदेश के अन्दर वेश्याओं की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है । सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम वेश्याओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिये नहीं उठाया और वेश्याएं किस तरह से बढ़ती हैं उसके सम्बन्ध में कानपुर के अन्दर लखनऊ विश्वविद्यालय के एक रिसर्च स्कालर ने छान-बीन की है । उसकी रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि वेश्याएं जितनी हैं, उनमें ६ प्रतिशत ऐसी हैं जिनके मां-बाप मजबूर होकर के अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए अपनी बेटियों को वेश्यावृत्ति करने के लिये बेच देते हैं । यह किसी भी समाजवादी सरकार के लिए कलंक की बात है कि जिसके राज में मां-बाप अपनी जवान बेटियों को पैसे के लिए और अपने पेट पालने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उनको बेच दें और उनसे वेश्यावृत्ति कराएं । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इसके लिए क्या किया है ? कहा जायगा कि यह चीज कानून से दूर नहीं होगी, लेकिन चीन की जनवादी सरकार ने, पीपुल्स गवर्नमेंट ने ज्यों ही उसके हाथ में शासनसूत्र आया उसने देखते देखते कानून बना करके, वहां के नौजवानों और जनता के अन्दर उत्साह पैदा करके, जनता में प्रेरणा पैदा करके इस काले धब्बे को अपने मुल्क से मिटा दिया । मैं नहीं समझता कि अगर हमारी सरकार प्रयत्न करे तो हमारे प्रदेश की जनता उसको सहयोग देने में पीछे रहेगी ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं श्री बदरीनाथ के मंदिर में जो गबन और घुटाला हुआ है उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन, श्री बद्रीनाथ का मंदिर हमारा प्रदेश क्या, सारे देश के बड़े मंदिरों में से एक है। वहां जो कुछ हुआ है और सरकारी लोगों की देख-रेख में जो कुछ हुआ है उससे साफ जाहिर है कि प्रदेश की जनता की आत्मा और विश्वास के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। श्री बदरीनाथ का जो मामला है, वहां के चन्द पुजारियों और छोटे कर्मचारियों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि प्रदेश के एक भूतपूर्व राज्यपाल का नाम भी इससे सम्बन्धित है। प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों का नाम भी उस मंदिर के गबन के सम्बन्ध में आता है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि अगर निष्पक्ष जांच करानी है, वास्तविकता का सही पता लगाना है तो प्रदेश की खुफिया पुलिस पर तो प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं है, केन्द्र के खुफिया विभाग के उच्च अधिकारियों को यह मामला दिया जाय या प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करायी जाय, ताकि वह जांच करे और मामला सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन---श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय, मैंने गेंदासिंह जी से बात कर ली है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मुझे सूचना मिली है कि आधा घंटे का डिस्कशन इसके बाद एक प्रश्न पर और होने वाला है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध तो नहीं करना चाहता था पर मजबूरी है।

श्री उग्रसेन---मैंने माननीय गेंदा सिंह जी से पूछ लिया है कि इसे आज के बजाय कल रख लिया जाय और आधा घंटा इसके लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी कल नहीं रहेंगे, इसलिए आज ही डिस्कशन होगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन, मैं आपके द्वारा उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। साथ ही साथ माननीय उमाशंकर जी और माननीय जयगोपाल जी जैसे अन्य अपने सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी आत्मा के शब्दों को साकार रूप दे कर यहां व्यक्त करने की चेष्टा की। साथ ही बहुगुणा जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे कृतार्थ किया कि एक ट्रेड यूनियन वाली फिगर्स को लेकर और किसी बात का उत्तर देने की उन्होंने कृपा नहीं की, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं।

जहां तक ट्रेड यूनियन की फिगर्स का सम्बन्ध है, माननीय बहुगुणा जी को शिकायत हुई, उन्होंने एक कोटेशन पढ़ दिया कि आंकड़े असत्य-वाचन करते हैं। अगर आंकड़े असत्य बोलते हैं तो वह तो सरकार के ही आंकड़े हैं। तो अगर सरकारी आंकड़े असत्य बतलाते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है।

जहां तक ट्रेड यूनियनों के आंकड़ों का सम्बन्ध है मैं माननीय बहुगुणा जी का ध्यान पेज ४४ पर जो ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन की फीगर्स दी गयी हैं उनकी ओर दिलाऊंगा। उसमें साफ-साफ '८८४' लिखा हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---कमेन्ट पढ़िये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---कमेन्ट में तो उनका नाम दिया हुआ है जो कैन्सिल हो रही हैं। इसलिये मैंने कमेन्ट नहीं पढ़ा नहीं तो आप कहते कि कमेन्ट पढ़ रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा माननीय बहुगुणा जी ने यह कहा कि इस साल सूती मिलों में कोई छटनी नहीं हुई। इसमें पृष्ठ २८६ पर लिखा है कि १,२७५ मजदूरों की छटनी हुई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—लखनऊ, सहारनपुर और रजा टेक्सटाइल में।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब आप उसका संशोधन कर लें, लेकिन इसमें सब लिखा है।

इसके बाद माननीय यादव जी ने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वेज बोर्ड की स्थापना और २५ परसेंट वेज इन्क्रीज की जो मांग की है मैं उसका समर्थन करता हूं। २५ परसेंट वेज इन्क्रीज की मांग तो देश में चारों तरफ से की गयी है।

ओल्ड एज पेन्शन के बारे में जो माननीय पांडेय जी ने सुझाव रखा उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। वह यह कि ओल्ड एज पेन्शन का बजट लेबर डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिये, इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में होना चाहिये, जैसा पहले था।

दूसरी बात यह कि लेबर कमिश्नर के आफिस में जो इन्फार्मेशन आफिस है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेबर बुलेटिन वगैरह इन्फार्मेशन डाइरेक्टोरेट के मातहत छपाये जा सकते हैं। कोई छोटा मोटा काम हो तो लेबर कमिश्नर साहब उसको छपवा सकते हैं, लेकिन वैसे इन्फार्मेशन आफिस की वहां कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिये दो नये मासिक पत्र निकलेंगे, एक 'लेबर ट्रायल्स' और दूसरा 'लेबर डिसोजन्स'। तो इन दोनों में अदालतों के फैसलें छपेंगे। यह खर्चा निरर्थक होगा जब कि एक ओर इकोनामीक ड्राइव हो रहा है।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये वे अत्यन्त उपयुक्त हैं। मैं उस में दो बातें और जोड़ना चाहता हूं। इसी रिपोर्ट में उन ६ अखबारों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने यह निर्णय किया है कि वे वेज बोर्ड के निर्णयों को लागू करेंगे। अगर इन नामों को मैं पढ़ूं तो इससे यह पता होगा कि ये बिल्कुल इनसिगनिफ़िकेन्ट हैं। वे अखबार ये हैं:—'हमारी जबान' उर्दू साप्ताहिक, अलीगढ़, 'दैनिक टेलीग्राफ', कानपुर, 'अरुण', मुरादाबाद, 'दैनिक जागरण', झांसी, 'आज दैनिक' वाराणसी, 'बनारस दैनिक' वाराणसी। आज 'दैनिक' ने आंशिक विवरण दिया है, 'बनारस दैनिक' का विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ और 'हमारी जबान' का विवरण प्राप्त हुआ है लेकिन जांच की जा रही है। इस प्रकार केवल तीन अखबार रह जाते हैं जिन्होंने वेज बोर्ड के निर्णयों को लागू किया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—'सैनिक' आगरा ने भी वादा किया था, लेकिन वह इसमें छपा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय नारायणदत्त जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब सरकारी रिपोर्ट में, श्रीमन्, यह कहा गया है कि दिक्कत यह है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिये हमारे पास ऐक्ट में कोई ऐसी धारा नहीं है जिससे हम इसको एन्फ़ोर्स कर सकें। तो इस सरकार को ऐसा विधेयक लाने में क्या आपत्ति है? कांस्टीट्यूशन में यह कान्करेंट सब्जेक्ट है, अगर केन्द्रीय सरकार इस विषय में मदद नहीं करती तो प्रदेशीय सरकार अपनी ओर से ऐसा लेजिस्लेशन लाये। साथ ही साथ मैं यह मांग भी करूंगा कि मजदूरों का जो प्राविडेंट फंड का एरियर साढ़े १६ लाख रुपया है जो कानपुर के मिलमालिकों के ऊपर बाकी है उसको वसूल किया जाय। सरकार की यह ताकत है कि वह उस एरियर को लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल करे। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि वह साढ़े १६ लाख रुपया प्राविडेंट फंड का एरियर यह सरकार क्यों नहीं वसूल कर रही है?

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मुझे आशा है माननीय मंत्री जी अपनी असफलताओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे। आखिर असफलता को गान्धी जी भी स्वीकार करते थे जो कह देते थे कि हिमालय के बराबर उनसे भूल हो गयी। जब रोज बरोज सरकार से भूल हुआ करती है तो सरकार को एक दो भूल स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी इन भूलों को स्वीकार करके अपनी उदारचित्तता का परिचय देंगे। मेरा जो यह कटौती का प्रस्ताव है उस को वह स्वीकार करने की कृपा करेंगे तो हम यह समझेंगे कि उन्होंने उदारभाव से अपनी गलती को स्वीकार किया है।

आचार्य जुगल किशोर---माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी बातों का जवाब, जिनका यहां पर जिक्र किया गया है, हमारे मित्र बहुगुणा जी और प्रकाशवती जी ने दे दिया है। मैं कुछ मौलिक बातों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की क्या नीति है मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को यह स्वीकार हो या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की यह नीति है इसको माननीय सदस्यों को समझ लेना है।

माननीय नारायणदत्त जी ने यहां पर जो श्री बदरीनाथ मन्दिर के सिलसिले में जिक्र किया पहले मैं उस विषय में कहना चाहता हूं। नीति के बारे में बाद को कहूंगा। तिवारी जी मठ और मन्दिरों के सम्बन्ध में जो बिल यहां पर आया था उसके विषय में जानना चाहते थे। जहां तक उस बिल का सम्बन्ध है वह बिल अभी विचाराधीन है। उसके बारे में माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछली असेम्बली में उस को यहां लाया गया था और फिर वह जनमत के लिये भेज दिया गया था। उस पर जनमत इकट्ठा हो गया है और अब उसके मुताबिक उसमें संशोधन किये जा रहे हैं। जहां तक बदरीनाथ मन्दिर की शिकायतों की बात है उसके ऊपर जांच की गयी है। जो मुझे खबर है उसके मुताबिक उसमें कोई ग़बन नहीं हुआ है। उस में इस तरह के काम जरूर हुये हैं जिनको नियमों के खिलाफ अनियमतिता जरूर कहा जा सकता है। उस पर जांच की जा रही है और जो उचित कार्यवाही होगी वह भी की जायगी। मैं यह भी बताऊं कि उस कमेटी की मांग पर हमने एक असिस्टेन्ट सेक्रेटरी भी नियुक्त कर दिया है और इस समय वह काम कर रहा है। जो वहां पर ट्रेजरी का काम है वह सब इस समय उस आफिसर के हाथ में है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--(श्री उग्रसेन से) मैं आप को सावधान करता हूं कि यह उचित नहीं मालूम होता है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उनको बराबर डिस्टर्ब किया जाय।

आचार्य जुगल किशोर---अब मैं लेबर पालिसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को अभी तक यह मालूम हो गया होगा कि गवर्नमेंट आज जिन परिस्थितियों में काम कर रही है और जो उस के मुताबिक पालिसी अख्तयार की है वह सब से ज्यादा उपयुक्त है। देश में आज उत्पादन ज्यादा बढ़ सके हम इस कोशिश में लगे हुये हैं, इसलिये हमारी कोशिश यह है कि जो श्रमिकों के अधिकार हैं, जो उनकी कम से कम आवश्यकतायें हैं, उनके लिये हम कोशिश कर के उनको दिलवायें। उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए जहां तक हो सके झगड़ कम होने दें। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट के हाथ में ऐसे अधिकार नहीं हैं कि अगर कोई मिल मालिक अपनी मिल बन्द करना चाहता है तो उसको हम रोक सकें। मैं समझता हूं कि प्रादेशिक सरकार के हाथ में भी ऐसे अधिकार नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार के हाथ में अधिकार हैं कि अगर मिल की वर्किंग इनएफीशियेंट है तो वह उसे अपने हाथ में ले ले, लेकिन उसके लिये उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा और इसलिये यह मुनासिब नहीं होगा उसके लिये कि वह ऐसी फैक्ट्री को अपने हाथ में ले कि जो निकम्मी हो। तो हमारे यहां जो इकोनामी चल रही है और जो अधिकार हम सब के हैं, उन सब के होते हुए हम वही कर सकते हैं कि जो कानून के अन्दर संभव हो। इस ख्याल से मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे विभाग की यह कोशिश रही है

कि श्रमिकों को जो अधिकार कानून के अन्दर मिलने चाहिये, वह उनको मिलें और उनको दिलवाने की हम कोशिश करते हैं। इस खयाल से गवर्नमेंट की नीति एक व्यावहारिक नीति है जो वास्तविकता को देखते हुए बनायी गयी है। वह कोई आइडियालोजी नहीं है वरन् व्यावहारिकता को देखते हुये उसी व्यावहारिक रूप में रखी गयी है। आज हमको सरकार भी चलाना है और देश के उत्पादन को भी बढ़ाना है, इसको देखते हुए हमको वही नीति अख्तियार करनी पड़ती है कि हम दोनों की पूर्ति कर सकें। इसलिये किसी को सरकार की नीति के बारे में संदेह नहीं होना चाहिये और ऐसा खयाल नहीं होना चाहिये कि सरकार इस बात के लिये इच्छुक नहीं है कि लेबर अपने अधिकार प्राप्त न कर सके और वह उनके अधिकार नहीं दिलवाना चाहती है। अगर इस प्रकार का भ्रम किसी के दिल में रह गया हो तो उसको हटा देना चाहिये।

दूसरी बात पब्लिक सेक्टर के बारे में सरकार की नीति को लेकर कही गयी। माननीय बहुगुणा जी और डाक्टर जयगोपाल जी ने उसके बारे में जिक्र किया। सरकार ने यह निश्चय किया है कि पब्लिक सेक्टर में जो श्रमिक काम करते हैं वे या तो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं और उसके बाद उन पर वही नियम लागू होते हैं जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर लागू होते हैं। छुट्टियों, पेंशन और प्राविडेंट फंड आदि के बारे में या फिर श्रमिक की हैसियत से उनके साथ व्यवहार किया जाय। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। पब्लिक सेक्टर में जो श्रमिक हैं उनको उनके पूरे अधिकार देने की कोशिश की जाती है और यदि कोई झगड़ा आदि होता है, तो उसको तय करने के लिये एक ऐसी मशीनरी हमने सेटअप की है कि जिससे उस फैक्ट्री के आधार पर वहां के श्रमिक और मैनेजमेंट मिल कर उसको तय कर लें और अगर वह तय नहीं कर पाते हैं तो स्टेट के लेविल पर एक बोर्ड बना दिया है जिसके चेयरमैन श्री एम० सी० पंत हैं। उनका काम यह है कि दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुला कर समझौता कराने की कोशिश करें और अगर वह समझौता नहीं करा पाते हैं तो मामला सरकार के पास भेज दिया जाता है और उसमें सरकार जो उचित समझती है, करती है। अभी तक यह मशीनरी पूरे तौर से काम में नहीं आयी है, परन्तु आशा है कि शीघ्र ही वह काम में आयेगी और इस तरह के झगड़े उस मशीनरी के सामने आयेंगे। यह मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर में सरकार की नीति क्या है?

जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की बात है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेबर डिपार्टमेंट के हाथ में यह बात नहीं है कि वह किसी को एम्प्लायमेंट दिला सके। हमारे हाथ में यह है कि जो आदमी एम्पलायड हो फैक्ट्री में, उसके जो अधिकार हों, जो रिलेशन्स होते हैं एक दूसरे के प्रति, वह हम कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे कायम हों और उनके अधिकार उनको मिलें। लेबर डिपार्टमेंट का यह काम नहीं है कि वह नया एम्प्लायमेंट पैदा करे। एम्पलायमेंट एक्सचेंज का काम तो केवल इतना ही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी धंधों में लगा सके। बेकार चाहता है कि उसको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाय और एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज उसको उचित धंधे पर लगाने का प्रयत्न करता है। इसलिये यह जो खयाल है कि एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज खुल गये हैं इसलिये बेकारी दूर हो जायगी, वह ग़लत है। उसका यह उद्देश्य नहीं है। बेकारी दूर करने की बहुत सी संस्थायें हैं जैसे—इंडस्ट्री विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है तथा पंचवर्षीय योजना है, जिसके द्वारा यह कोशिश की जाती है कि बेकारी दूर हो। लेकिन यह आशा एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के जरिये से करना एक व्यर्थ आशा है।

हमारे जो कंसीलियेशन आफिसर्स तथा लेबर कमिश्नर वगैरह हैं तथा और भी जो कंसीलियेशन मेशीनरी हैं, वह सब भरसक अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करती हैं। जो कोई भी मामले उनके सामने आते हैं वे निष्पक्ष रूप से उनका निपटारा करने का यत्न करते हैं, लेकिन उन पर जो पक्षपात का चार्ज लगाया गया है, वह ठीक नहीं है और जहां तक हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से सभी के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न किया जाता है और श्रमिकों के स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए यह कहना कि गवर्नमेंट की पालिसी

[आचार्य जुगल किशोर]

कैपेटिलिस्टस् का साथ देने की है, यह गलत है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का यह भ्रम दूर हो जायगा और माननीय नारायणदत्त तिवारी जी अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे । सदन से भी मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको वह स्वीकार कर ले ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--श्रम--लेखा शीर्षक ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में — ४६,
विपक्ष में — ७९ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--श्रम--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १,६१,४४,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८--५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--समाज कल्याण --लेखा शीर्षक: ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--समाज कल्याण--लेखा शीर्षक: ५७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत ४२,९९,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८--५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

लगान व मालगुजारी की छूट से संबंधित १३ फरवरी, १९५८ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न ४ व ५ के विषय पर विवाद

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को उठाने के लिये आधा घंटा का समय आज नियत किया गया । माननीय माल मंत्री ने १३ फरवरी को माननीय गेंदासिंह द्वारा पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर में यह कहा था 'पहले आश्वासन के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कल आदेश जारी हो चुका है अर्थात् जहां खरीफ १३६५ फसली में ८ आने से अधिक क्षति हुई ह वहां मालगुजारी एक फसल आगे के लिये फिर स्थगित कर दी जाय और जहां ६ आन से ८ आने के बीच में हुई है वहां स्थगित (postponed) मालगुजारी का आधा हिस्सा वसूल किया जाय ।"

इस उत्तर का एक अंग है जिसकी ओर विशेषतौर पर, मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि गत ४ वर्ष से पूर्वी जिलों की फसल अन्न की खराब होती रही है और इस आदरणीय सदन को कई बार करोड़ों रुपये सालाना छूट के रूप में वहां देने की स्वीकृति देनी पड़ी है । इस वर्ष १३६५ खरीफ के जो राज्य सरकार के आंकड़े थे प्लानिंग कमीशन की तरफ से जो एक टीम आयी हुई थी स्टडी करने के लिये उसे दिये गये । उनसे, मान्यवर, १५ जिलों में इसमें टोटल नार्मल प्रोडक्शन जिसकी आशा थी वह १८.४१ लाख टन होगा, लेकिन १०.८० लाख टन पैदा हुआ । यानी लगभग साढ़े नौ आने, पौने दस आने की फसल की पैदावार में कमी हुई । यह प्रादेशिक सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम आयी थी, उसको आंकड़े दिये थे ।

इससे निर्विवाद हो जाता है कि नुकसान फसलों में साढ़े ९ आने तथा पौने १० आने था। मैं, मान्यवर, का ध्यान मैनुअल आफ आर्डर्स, जो माल विभाग की ओर से जारी किये गये हैं मालगुजारी वगैरह के बारे में, उसके नियम १६७ (डी) की ओर दिलाना चाहता हूं। वह इस तरह से है कि:—

"When the crops of the harvest to which the suspended rent and revenue have been carried forward are themselves below normal, remission of the suspended amount may be recommended in whole or in part".

इसका मतलब यह है कि अगर पहले कोई लगान या मालगुजारी मुल्तवी कर दी गई हो और उसकी वसूलयाबी अगली फसल में होनी है। अगर उसकी पैदावार साधारण पैदावार है जिसे अंग्रेजी में नार्मल कहा जाता है और रेवेन्यू मैनुअल के हिसाब से १२–१३ आने से कम नहीं होनी चाहिये तो स्थगित मालगुजारी वसूल नहीं होगी और इसके साथ यह भी सिफारिश की जायगी कि कुल या उसका कुछ हिस्सा माफ किया जाय। यह १६७ (डी) में प्रत्यक्ष मिलता है। लेकिन जो उन्होंने उत्तर दिया है उसमें कहा है कि जहां ८ आने से ज्यादा क्षति हुई है, वहां मालगुजारी एक फसल के लिये स्थगित की जाय। नियम है कि नार्मल से कम होगी, तो वसूल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है बल्कि यह है कि पूरी या उसका कुछ हिस्सा माफ किया जाय।

मान्यवर, मंत्री महोदय ने जहां ८ आने से ज्यादा क्षति हुई है वहां माफी का कोई प्रश्न नहीं उठाया बल्कि यह किया कि अगली फसल के लिये मुल्तवी कर दी जाय। एक बार का वह चोट खाया हुआ १३६४ की रबी का, दुबारा १३६५ की खरीफ का चोट खाया हुआ है। अब उसे मालगुजारी देनी पड़ेगी तो उधर की भी देनी पड़ेगी यानी २ साल से ज्यादा की देनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां ६ आने और ८ आने के बीच का नुकसान है वहां आधी मालगुजारी पोस्टपोन होगी और आधी वसूल की जायगी। यह नियम के विरुद्ध कार्य हुआ है जब कि १६७ (ए) है उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि :—

"Suspended rent and revenue should be recovered as soon as the circumstances of the people and the outturn of the harvest permit."

मुल्तवीशुदा मालगुजारी तब वसूल की जायगी जबकि देने वाले की हालत ऐसी हो और फसल अच्छी हुई हो और अदा करनेवाला दे सके। यहां यह निर्विवाद है कि फसल की हालत औसत से ही कम नहीं बल्कि ८ आने से भी कम हुई है और कुछ स्थानों में ८ आने और ६ आने के बीच में भी हानि हुई। अगर मैं माननीय मंत्री जी के आंकड़ों पर ही सहारा करूं और उन्हीं पर मैं सहारा कर रहा हूं, तो यहां पर रेमीशन होना चाहिये। यह नहीं हुआ।

मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि लाखों किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है जबकि नियम ५०–१०० वर्षों से चला आ रहा है। तो कोई कारण नहीं मालूम होता है कि जब लोगों की इतनी हालत खराब है तो उनसे मालगुजारी वसूल की जाय। अपने इस विवाद को उपस्थित करने में मैंने जिस टीम का हवाला दिया उसकी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यहां के लोगों की हालत इतनी खराब है कि इसका असर केवल इस साल में ही नहीं पड़ेगा बल्कि अगले साल भी पड़ेगा और जब तक कोई विशेष उपाय नहीं होता यहां के लोगों की दशा सुधारने में दिक्कत होगी। इन शब्दों के साथ जिस प्रश्न को उपस्थित करने की आप ने इजाजत दी है उसको मैं पेश करता हूं।

*माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मेरी बदकिस्मती यह है कि यह माल का विषय कुछ टेक्निकल है। मैं यह नहीं कहता कि इसको सिवा मेरे कोई नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हममें से बहुत कम इसको समझते हैं। (व्यवधान) यह भी जाहिर हो जायगा कि कौन कितना समझता है, 'नाई नाई कितने बाल, सामने आये जाते हैं...'

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह—उस्तरा तो आप के ही हाथ में है।

श्री चरणसिंह—मैंने पहले भी एक बार सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट और रेमिशन का अन्तर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज फिर मुझे वह समझाना होगा। मेरी ही नाकाबिलियत है कि मैं उस रोज अच्छी तरह से नहीं समझा पाया, अगर समझा पाता तो शायद आज जरूरत न होती। जो सवाल का जवाब है वह मैं आपकी इजाजत से पढ़े देता हूं कि "राष्ट्रपति जी के गोरखपुर आगमन के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से केवल २ आश्वासन दिये गये थे। नं० १ स्थगित (पोस्टपोन) मालगुजारी की वसूली की जाय या न की जाय। इस पर सरकार विचार करेगी"। दूसरा आश्वासन में छोड़े देता हूं। पहले आश्वासन के विषय में सरकार की ओर से ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं कि जहां १३६५ फसली की खरीफ में ८ आने से अधिक क्षति हुई हो वहां मालगुजारी एक फसल के आगे के लिये स्थगित कर दी जाय और जहां क्षति ६ आने और ८ आने के बीच में हुई हो वहां पोस्टपोन्ड मालगुजारी का आधा भाग वसूल किया जाय। दोनों जगह शब्द "पोस्टपोन्ड" है। अब श्री त्रिलोकीसिंह जी ने जो १६७ (डी) का हवाला दिया है उसमें शब्द "सस्पेंडेड" ही प्रयोग किया गया है कि :—

"The following principles should guide the Collector in deciding whether a suspended amount of rent and revenue falling due for collection should be collected or not".

और उसमें जो १६७ (डी) है वह यह है कि:—

"When the crops of the harvest to which the suspended rent and revenue have been carried forward are themselves below normal, remission of the suspended amount may be recommended in whole or in part".

अगर फसल नार्मल से कम है तो गत फसल में जो मालगुजारी सस्पेंड की गई हो उसको कलेक्टर हालत देखकर चाहे तो सारी के रेमिशन की सिफारिश करे या जुज के रेमिशन की सिफारिश करे।

सस्पेंडेड मालगुजारी और पोस्टपोन्ड मालगुजारी में फर्क है। मान लीजिये कि एक जिले में एक कलेक्टर ने १५ लाख रुपये मालगुजारी का सस्पेंशन किया। ३ लाख रुपये का प्रिलिमिनरी सस्पेंशन हुआ। उसके बाद उसको बोर्ड आफ रेवेन्यू एग्जामिन करता है और उसके ऊपर अपने सुझाव देता है। उसकी इन्क्वायरी वह खुद करता है, तब फाइनल फैसला भेजा जाता है। इस फाइनल फैसले की केवल तीन किस्में होती हैं। एक तो वह जो ३ लाख का भेजा गया था, उसके ऊपर सुझाव दिये गये। ढाई लाख रुपये का रेमिशन कर दिया गया, ४० हजार का सस्पेन्शन कर दिया गया, बाकी १० हजार रुपया वसूल करते हैं। इस पर हमें गौर करना है। यह हो सकता है कि जिस वक्त फाइनल स्टेज आये तो १० या ५ परसेन्ट का फर्क हो सकता है। कहीं-कहीं पर ऐसा भी होता है कि इस तरह के केसेज बहुत ही कम होते हैं। कलेक्टर को अधिकार है कि अगर वह यह देखता है कि नार्मल तरीके से फैसला हो सकता है, तो कर देता है। १६७ (डी) कहता है कि जो सस्पेन्डेड एमाउन्ट है, उसको इसमें स्वीकार नहीं किया है। सस्पेन्शन और रेमिशन के बाद जो नेट रकम आती है, वह वसूल होनी चाहिये। अगर कोई जुज वसूल नहीं होता है, तो मिसाल के तौर पर कहता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उसको स्वीकार करते हैं।

श्री चरणसिंह—एक्जीक्यूटिव आर्डर से उसको स्वीकार करते हैं। बदकिस्मती से मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूं, मेरा हुक्म चलता है और चलेगा, जब तक मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूं। जो मेरा हुक्म है वह तो चलेगा ही इस पर क्यों बहस करते हैं। रेवेन्यू मैनुअल के यह एक्जीक्यूटिव आर्डर हैं।

श्री गेंदासिंह--वह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ होगा।

श्री अधिष्ठाता--(माल मंत्री से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री चरणसिंह--यह तो 'खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे' की तरह से बातें हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि पोस्टपोनमेन्ट का जो एरियर होता है वह इस तरह से हो जाता है। मान लीजिये कि कहीं पर ओले पड़ गये हैं और उससे रबी की फसल खराब हो गयी, तो उस वक्त की जो मालगुजारी है वह खरीफ के वक्त वसूल की जाती है। चूंकि वह फसल खराब हो गयी थी इसलिए खरीफ की फसल से वह वसूल किया जाता है। ऐसे ही बाढ़ आ गयी अगस्त-सितम्बर में और उस वक्त रबी की फसल की वसूली की जाती है, लेकिन हम सब लोग चारों तरफ से अखबारों में, इधर-उधर देखें कि देखिये साहब कितना अन्याय है, बेचारे बे-घरबार हो गये, मकान बह गये तब भी कुर्क अमीन पहुंच गया। तो कुर्क अमीन तो पहुंचा खरीफ की फसल की बाबत, न कि उस फसल के लिये जो कि बाढ़ वगैरह से खराब हो गयी, वह तो रबी की बाबत पहुंचा है जो कि आपको जुलाई में वसूल हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब तुमने नहीं दिया तब जा करके वह गया।

ऐसी सूरत में, इस तरह के प्रेशर में आकर अगर गवर्नमेंट यह कहे कि अगली फसल में वसूल कर लेंगे तो यह तो पोस्टपोनमेंट होता है। यह तो ऐसा होता है कि मान लिया सितम्बर में रबी की फसल की वसूलयाबी होती है, लेकिन किसी वजह से उसको वसूल नहीं कर पाये, जो कि वाजिबुल वसूली है और कलेक्टर ने अपने आप यह समझ कर निश्चय कर लिया कि अगली फसल में वसूल करेंगे, क्योंकि सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गयी है, तो पहले वाले में भी रेमिशन की बात कही गयी। विशेष परिस्थिति में उसका कोई हिस्सा पोस्टपोन करना पड़ा है तो वह पोस्टपोनमेंट हुआ, दैट इज नाट सस्पेन्शन (That is not suspension)। इसीलिये मैंने जवाब देते वक्त इस बात का लिहाज रखा था और अल्फाज पोस्टपोनमेंट का मैंने इसीलिये रखा था और उसको ही माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि सस्पेन्शन नहीं है। हमारे सूबे में तो मुश्किल से दो-चार केसेज ही सस्पेन्ड होते हैं और अगर किसी वजह से किसी तहसील में दो, चार, पांच लाख सस्पेन्ड करना पड़ा तो, अधिष्ठाता महोदय, वह रूल से किसी तरह से कनफ्लिक्ट नहीं है। जो बात मैंने पहले अर्ज की थी वही अब भी अर्ज कर रहा हूं कि मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गलत बयानी या किसी तरह की ज्यादती हुई है।

श्री त्रिलोकीसिंह--अधिष्ठाता महोदय, माननीय माल मंत्री की मुदल्लल तकरीर के बाद में अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने बिलकुल एक प्रोफेसर की तरह से समझाया कि पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है और रेमीशन और सस्पेन्शन का मतलब क्या है और बावजूद इसके कि मैं इन अलफाज से पूरी तरह से वाकिफ था फिर भी मैं उनका मशकूर हूं। उस दिन अपने जवाब में माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि सस्पेन्शन कैसे होता है। मान लो कि समय की कमी हो, बाढ़ आ गयी हो या राज कर्मचारी किसी दूसरे काम में लग जाय या इलेक्शन के काम में लग जाय तो इन कारणों से जब वसूली नहीं होती है तो उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने बताया कि पोस्टपोनमेंट क्या है। लेकिन मैं माननीय माल मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन १५ जिलों में कहां-कहां पोस्टपोन किया गया? हम लोगों के सामने एक जबरदस्त और एफेक्टिव मिनिस्टर हैं। उनकी काब्लियत इससे व्यक्त हो जायगी। जिस मुहकमे से वह सम्बन्ध रखते हैं, माना १३६४ फसली में मालगुजारी नहीं वसूल हो पायी और अधिकारी किसी दूसरे काम में मशगूल थे तो वह पोस्टपोन हो गई। यह एक मजाक हो गया कि महकमा ५० लाख रुपया नहीं वसूल कर पाया। मैं यह अर्ज करूंगा कि लाखों रुपया पोस्टपोन किया गया है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो

[श्री त्रिलोकीसिंह]

साल-साल भर या ६-६ महीने पोस्टपोन होता है उसको पोस्टपोन न करके अगर माफ किया गया होता तो वह फख्र की बात हो सकती थी। मैं इस आदरणीय सदन का विशेष तौर पर उस ओर ध्यान दिलाऊंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने तो अभी माननीय चरणसिंह का जवाब दे ही दिया। एक प्रश्न मैं माल मन्त्री के सम्मुख रखना चाहता हूं। सस्पेन्शन, रेमिशन और पोस्टपोनमेंट, इस टेक्निकेलिटी में वे भले ही जायं मगर जो टेक्निकेलिटी की परिभाषा उन्होंने की मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहता हूं कि उसको फिर से वे अध्ययन करें। सीधा-सा सवाल यह है....

श्री अधिष्ठाता---माननीय राजनारायण, यह समय एक दूसरे को बताने का नहीं है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजनारायण---दोनों बातें हैं, आप रूल पढ़ लें, प्रश्न भी है और राय भी है।

श्री अधिष्ठाता---हां, तो राय आप दीजिये।

श्री राजनारायण---प्रश्न यह है कि फसल नार्मल हुई या नहीं और अगर नार्मल नहीं हुई तो उसमें सरकार की ओर से और कलेक्टर की ओर से छूट की रेकमेंडेशन क्यों नहीं हुई?

श्री चरणसिंह---यह सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण---यही सवाल है। उसमें लिखा है:---

"When the crop of the harvest to which the suspended rent and revenue have been carried forward are themselves below normal, remission of the suspended amount may be recommended in whole or in part".

हमारा प्रश्न यह है कि उस सस्पेंडेड एमाउन्ट के रेमिशन (स्थगित लगान की माफी) के लिये सरकार ने क्यों नहीं लिखा? यह सीधा सा सवाल है और वह हम लोगों को सबक पढ़ा रहे हैं जस्ट लाइक स्कूल ब्वायज (just like school boys)। १६३ में लिखा है---

"When the loss of assets caused by such deterioration is so considerable that the Government demand fixed at settlement cannot be paid without hardship, prompt action to recommend relief by a reduction in revenue shall be taken,.....".

यह मैं इसलिये पढ़ रहा हूं ताकि वे समझ जायं। अगर बहुत बड़े पैमाने पर नुक्सान होता है तो उसके लिये रेमिशन (छूट) जरूर होना चाहिये और यहां पर नार्मल शब्द लिख दिया गया है।

श्री चरणसिंह---मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। आपत्ति तो इस बात पर की गयी है कि मेरा जवाब गलत है और १६७---डी की रोशनी में गलत है इसलिये उस पर बहस होनी चाहिये। यह जो जनरल व्याख्यान दे रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---व्याख्यान का सवाल तो उठ ही नहीं सकता। वह तो हमने पहले ही कह दिया था कि प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री त्रिलोकी सिंह---अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मिनट में बता दूं कि क्या सवाल है।

श्री अधिष्ठाता--कहिये ।

श्री त्रिलोकीसिंह--सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने जो कार्यवाही की है वह १६७--डी के रू से नहीं की है ।

श्री अधिष्ठाता--(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) अब तो वे समझ गये ।

श्री राजनारायण--अब आप कहते हैं कि वे समझ गये और कल तक वे समझे नहीं थे । तो फिर मैं निवेदन कर दूं कि जो प्रश्न नहीं था उसको खड़ा करके माननीय माल मंत्री ने सदन का बड़ा नुक्सान किया । प्रश्न यह है कि नियम १६७-डी की पाबन्दी सरकार की ओर से नहीं हुई जिसमें प्रदेश के पूर्वी जिलों के लाखों किसानों पर यह आफत ढाई गयी ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, आप जवाब देने के लिये कुछ टाइम छोड़ेंगे या नहीं ?

श्री राजनारायण--समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं ।

श्री राजनारायण--तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चौधरी चरणसिंह जी माल मंत्री की हैसियत से टोटल फेल्योर हुये हैं और उनके फेल होने से मालगुजारी की छूट नहीं हुयी जिससे करोड़ों किसानों का गला कटा है ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय माल मंत्री ।

श्री गेंदासिंह--मैं माननीय माल मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--मेरी दिक्कत यह है कि मैं माननीय माल मंत्री का नाम पुकार चुका हूं ।

श्री त्रिलोकीसिंह--इस दिक्कत को हल करने के लिये मैं एक सुझाव रखता हूं कि इस सदन का समय १० मिनट के लिये कम से कम और बढ़ा दिया जाय ताकि हम लोग माननीय गेंदा सिंह जी के सवाल को भी सुनें और माल मंत्री के उत्तर को भी ।

श्री अधिष्ठाता--इसमें समय नहीं बढ़ सकता, मेरी मजबूरी है ।

*श्री गेंदासिंह--मैं राजस्व मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं । उन्होंने मुझे यह कहा कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोच रही है । तो क्या वह इस बात को मुझसे सुनना पसन्द करेंगे कि जिस तरह से कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है उसी तरह से वे हमारे पीछे पड़े हुये हैं ?

एक बात मैं और पूछना चाहता हूं । सस्पेंशन करने का एक्जीक्यूटिव आर्डर है । वह आर्डर उस वक्त गया जिस वक्त कि मैंने सवाल दिया कि इस मालगुजारी की वसूली किस तरह से की जा रही है । राष्ट्रपति के सामने आश्वासन देने के बाद वह एक्जीक्युटिव आर्डर दिया गया । मैं यह समझ सकता हूं कि उस वक्त तक यह मालगुजारी जोश और उत्तेजना के साथ नहीं ली जा रही थी ।

श्री अधिष्ठाता--अब आप माननीय मन्त्री जी को जवाब देने का समय भी देंगे या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि टेक्निकल मजबूरी की वजह से ऐसा किया गया जिसके ऊपर आवाज उठाई गई कि समझ बूझ कर। यह तो हमारे सब्र और सौजन्य का परिचय दता ह। जब मैं उधर का जवाब देता हूं तो फिर आग बबूला होते हैं।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह ने यह कहा कि मैं यह समझता था। यह ठीक है, हर आदमी हर चीज को समझ सकता है क्योंकि गलती मानना कसूरेशान है। कोई आदमी समझ सकता है कि पोस्टपोन और सस्पेन्ड में फर्क है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने सवाल के जवाब में कहा 'पोस्टपोन'। फिर १६७-डी की यहां पर क्या जरूरत थी? हमन लफ्ज अंग्रजी के 'पोस्टपोन' को लिखा हिन्दी में चाह उसका कुछ भी अर्थ हो। हिन्दी में उसका लफ्ज 'स्थगित' हो सकता ह। अब आप यह समझते हैं कि आप पहले से समझते थ इस बात को।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट कितना नाकाबिल है कि वह मालगुजारी वसूल नहीं होती जो पोस्टपोन हो जाती है। इसमें डिपार्टमट की नाकाबिलियत है उसको नोकान्फिडेन्स मोशन से निकालिये या यह लोग निकालें। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह मामला इस जगह पर बिलकुल गैरमुताल्लिक है। असल बात यह है कि जो सवाल का जवाब है उस पर बहस करनी चाहिये कि आया गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब दिया गया ह इस सवाल के मुताल्लिक वह जवाब गलत है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता---अब इसका समय समाप्त हो गया है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ मार्च, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७७ पर)

सूची

अफसर का नाम		विभाग
१—श्री लल्लन जी	..	शिक्षा विभाग
२—श्री के० सी० तयाल	..	सार्वजनिक निर्माण विभाग
३—श्री आर० एस० माथुर	..	,, ,,
४—श्री आई० पी० गर्ग	..	,, ,,
५—श्री ओ० पी० मित्तल	..	,, ,,
६—श्री ज० बी० माथुर	..	वित्त विभाग
७—श्री एस० एम० हसन	..	,, ,,
८—श्री जे० के० भट्ट	..	,, ,,
९—श्री एम० डी० चौहान	..	,, ,,
१०—श्री आर० क० शर्मा	..	,, ,,
११—श्री जे० त्रिपाठी	..	,, ,,
१२—श्री एम० डी० मित्रा	..	,, ,,
१३—श्री वाजिद हुसेन	..	समाज कल्याण विभाग
१४—श्री कृष्ण रतन	..	,, ,,
१५—श्री लक्ष्मण प्रसाद	..	,, ,,
१६—श्री एच० सी० कटियार	..	,, ,,
१७—श्री बी० एन० पी० श्रीवास्तव	..	सिंचाई विभाग
१८—श्री मनोहरलाल	..	,, ,,
१९—श्री टी० के० शर्मा	..	,, ,,
२०—श्री एस० सी० विद्यार्थी	..	,, ,,
२१—श्री एस० डी० काले	..	चिकित्सा विभाग
२२—श्री पी० के० श्रीवास्तव	..	विद्युत् विभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८८ पर)

सघन विकास क्षेत्र बेहटा, जिला सीतापुर में खुलने की तिथि २ अक्तूबर, १९५४ से ३१ जनवरी, १९५८ तक किये गये व्यय का मदानुसार ब्यौरा

क्रम-संख्या	मद		व्यय	विवरण
१	कर्मचारियों का वेतन	..	९०,०५५	
२	कर्मचारियों का भत्ता	..	३२,५८१	
३	प्रासंगिक व्यय (आवर्तक)	..	२८,४३५	
४	प्रासंगिक व्यय (अनावर्तक)	..	११,८००	
५	अनुदान	..	१,५०,०००	इसमें से ७९,००० रु० व्यय हो चुका है। शेष पी० एल० ए० एकाउन्ट में है।
६	राजकीय सिंचाई कार्य	..	१,००,०००	इसमें से ६७,५४० रु० व्यय हो चुका है। शेष डिपाजिट एकाउन्ट में है।
७	भवन एवं कार्यालय निर्माण		४०,०००	इसमें से ३९,८०३ रु० व्यय हो चुका है। शेष डिपाजिट एकाउंट में हैं।
८	ऋण	..	१६,३२५	
	योग	..	४,४९,१९६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९ पर)

कानपुर जिले का अमरौधा खंड (जिसका नाम पहले पुखराया खंड था) २ अक्टूबर, १९५४ को खुला था। जुलाई, १९५६ में इसे प्रगाढ़ विकास खंड में परिणत कर दिया गया। इस खंड में ३१ अगस्त, १९५७ तक विकास कार्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा मन्त्रियों के लिये आयोजित स्वागत-समारोह में प्रतिवर्ष किये गये खर्च का विवरण इस प्रकार है:—

खर्च

	विकास कार्यों पर (सरकारी बजट से)		अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन व भत्ते पर		मन्त्रियों के स्वागत-समारोह पर
	रु०	नये पैसे	रु०	नये पैसे	
१९५४–५५	५५,९२५	०	१२,८७९	९३	..
१९५५–५६	३०,२१५	०	२९,६६७	०	..
१९५६–५७	२५,७७३	०	३६,१२८	०	..
१९५७–५८ (३१–८–५७ तक)	५००	०	१६,१९०	०८	..

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९ पर)

जिला कानपुर में स्थित अमरौधा (पुखरायां) सघन विकास खंड में उसके खुलने की तिथि २, अक्तूबर, १९५४ से १८ अगस्त, १९५७ तक हुए विभिन्न विकास कार्यों का विवरण व उन पर हुये पृथक्-पृथक् व्यय के आंकड़े :

क्रम-संख्या	विकास कार्यों का नाम	संख्या	सरकारी अनुदान व ऋण	जनता द्वारा प्राप्त सहायता	योग
१	पुलिया ..	९२	९,९२५.००	१९,३६०.३९	२९,२८५.३९
२	स्कूल एवं पंचायत घर	१७	१२,५०५.००	३१,०४७.८९	४३,५५२.८९
३	कूप मरम्मत	२३	५,७९०.००	७,८५३.०३	१३,६४३.०३
४	खड़न्जा	४	२,७००.००	२,८९९.२४	५,५९९.२४
५	कूप निर्माण	१	१,५००.००	१,५२७.७५	३,०२७.७५
६	स्कूल भवन निर्माण	१	२,५००.००	६,०५८.००	८,५५८.००
७	हैन्ड पम्प	२	१,०००.००	६३०.२३	१,६३०.२३
८	छात्रावास	१	१,०५०.००	१,०५०.००	२,१००.००
९	कला केन्द्र	१	७००.००	७१०.००	१,४१०.००
१०	प्राइमरी स्कूल	१	२४५.००	..	२४५.००
११	पुस्तकालय एवं वाचनालय	१	३५०.००	..	३५०.००
१२	बीज भंडार	१	१७५.००	..	१७५.००
१३	सड़क निर्माण (नौनापुर)	१	५,५००.००	७,६०९.५०	१३,१०९.५०
१४	(पीपरी)	१	४,०००.००	४,०००.००	८,०००.००
१५	पुल निर्माण	१	३,०२३.००	..	३,०२३.००
१६	भूमि संरक्षण के लिये दिया गया ऋण		१५,०५९.००	..	१५,०५९.००
१७	कृषि यंत्र हेतु दिया गया ऋण		७,४०१.००	..	७,४०१.००
१८	चरागाह बनाने हेतु दिया गया ऋण		८,०६४.००	..	८,०६४.००
१९	दुग्ध पशु क्रय हेतु दिया गया ऋण		५,३४९.००	..	५,३४९.००
२०	बीज व खाद क्रय हेतु दिया गया ऋण		६५०.००	..	६५०.००
२१	ट्रैक्टर क्रय हेतु दिया गया ऋण		५,०००.००	..	५,०००.००
२२	ऊन उद्योग के लिये दिया गया ऋण		६००.००	..	६००.००
२३	गृह-उद्योग के लिये दिया गया ऋण		१५०.००	..	१५०.००
२४	चर्म उद्योग के लिये दिया गया ऋण		२७०.००	..	२७०.००
२५	भूमि सुधार के लिये दिया गया ऋण		३,४०७.००	..	३,४०७.००
२६	सिंचाई हेतु पंप्पिग सेट, रहट आदि के क्रय के लिये लिये दिया गया ऋण		१५,५००.००	..	१५,५००.००
	योग ..		१,१२,४१३.००	८२,७४६.०३	१,९५,१५९.०३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९१ पर)

क्रम-संख्या	तकावी लेने वाले का नाम	तकावी का धन	तकावी लेने का प्रयोजन
१	२	३	४
	सर्वश्री—	रु०	
१	भूरा उर्फ गुवर्धन, उमरन	५००	सिंचाई कूप निर्माण हेतु
२	ललई, उमरन	२००	,, ,,
३	फकीरे लाल, पट्टी परसरमऊ	४५०	,, ,,
४	शहजादेलाल, श्यामपुरनिएतौली	५००	,, ,,
५	दुर्गासिंह, उमरन	५००	,, ,,
६	राम सहाय, मदारीपुर, अंगदपुर	४४५	,, ,,
७	चन्द्रिका प्रसाद, उमरन	५००	,, ,,
८	बालक राम, सिंगरी	६००	,, ,,
९	पुल्लू, उमरन	४१५	,, ,,
१०	मिट्ठू लाल, उमरन	२५०	,, ,,
११	रामजानी, हमीरपुर	२२५	,, ,,
१२	चन्द्रिकाप्रसाद, उमरन	५००	,, ,,
१३	लालताप्रसाद, उमरन	४४०	,, ,,
१४	साधूराम, उमरन	१,०००	,, ,,
१५	रामबहादुर, उमरन	५००	,, ,,
१६	सिपाहीलाल, हिसामुद्दीनपुर	४००	,, ,,
१७	बाबूराम, तिलसड़ा	२००	,, ,,
१८	रघुवीर, उमरन	३००	,, ,,
१९	सुन्दरलाल, हिसामुद्दीनपुर	६००	,, ,,
२०	चिरौंजीलाल, औसेर	२८०	,, ,,
२१	विश्वनाथ सिंह, हरेईपुर	१,३२०	निर्माण तथा बोरिंग
२२	दरियाव, विलन्दापुर	४००	सिंचाई कूप मरम्मत व रहट
२३	दुर्गासिंह, तिलसड़ा	५००	सिंचाई कूप निर्माण व रहट ।
२४	रामअधार, बलनपुर	१,०००	,, ,,
२५	सूर्यनारायण सिंह, तिरमुखा	७४०	,, ,,
२६	रामसरन लाल, तिरमुखा	६६०	,, ,,
२७	बन्दीदीन, तिलसड़ा	६८०	,, ,,
२८	श्रीराम, हिसामुद्दीनपुर	५४०	,, ,,
२९	यदुनाथ सिंह, उमरन	१,२३५	,, बोरिंग तथा रहट हेतु
३०	मन्नालाल, खैर नगर	१,०००	,, ,,
३१	हरचरण लाल, उमरदा	४००	रहट
३२	धनीराम, औसेर,	४५०	रहट
३३	चिरौंजीलाल पालीवाल, मंझला	४,०१५	पम्पिन्ग सेट
३४	मुलायमसिंह, हमीरपुर	७००	,, ,,

क्रम-संख्या	तकावी लेने वाले का नाम	तकावी का धन	तकावी लेने का प्रयोजन
१	२	३	४
		रु०	
	सर्व श्री—		
३५	विन्देश्वरीप्रसाद, भुगेरा	२,७५०	पंपिंगसेट
३६	ओंकार सिंह, रामस्वरूप, झउवा	३,७५०	,, ,,
३७	रामअौतार सिंह, रामसनेही, साधूराम तथा वस्तूमान, उमरन	२,५००	,, ,,
३८	कनौजीलाल, अशर्फीलाल, शिवनन्दन लाल, बलवन्तसिंह तथा जसवन्तसिंह, सिमरिया	७१५	,, ,,
३९	भजनलाल वर्मा व जयनारायण सिंह, जनखत	४,०००	ट्रैक्टर खरीदने के लिये
४०	नन्हू भगत, पुरवा पट्टी	४००	कोल्हू और कढ़ाही
४१	दुलारेलाल, कढेरा	५००	,,
४२	लालमणि, खामा	४००	,,
४३	होरी लाल, मझरेटा	५००	,, तथा कृषि यंत्र
४४	जालिम, लालता, शिवदयाल, सुखलाल, खैरनगर	२८०	उन्नतिशील कृषि यंत्र
४५	सोवरन सिंह, खैरनगर	३००	,,
४६	दुलारेलाल, कमलेपुरवा	३००	,,
४७	गेन्दनलाल, ,,	१५०	,,
४८	छाकी लाल, ,,	३००	,,
४९	सोने लाल, ,,	२७०	,,
५०	गिरजा शंकर, ,,	२००	,,
५१	बाबू राम, ,,	१००	,,
५२	सूरज प्रसाद, कढेरा	१३०	,,
५३	बाबूराम कनौजिया, झुलनापुर	२०५	बैल
५४	पुत्तू लाल, ,,	४०५	,,
५५	बैजनाथ सिंह, रपरा	४००	,,
५६	ख्याली राम, सिगरी	१,०००	,,
	योग ..	४२,०००	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९२ पर)

जिला जौनपुर के विकास खंडों मे हरिजन कुओं के लिए नियोजन विभाग द्वारा दिये गये धन का विवरण

ब्लाक का नाम	दिया गया धन
	रु०
१—सघन विकास खंड, मुंगरा बादशाहपुर	३,२७१
२—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, डोभी	३,०१०
३—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, शाहगंज	३,२०९
४—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, रामपुर	४,४७५
५—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, केराकत	४,३५०
योग ..	१८,३१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९३ पर)

नाम तहसील	काम का नाम	काम करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या
नवगढ़	उस्का मेहदावल रोड	२,५००
,,	चित्तापुर बांध	२,८००
,,	गोबर्धनपुर बांध	२,४००
बांसी	बांसी–पनघटिया बांध	२,९००
खलीलाबाद	मेंहदावल–उस्का रोड सड़क पूरी हो जाने पर कार्य १५–२–५८ से बंद हो गया है	९,०००
,,	करमैनी–डुमारिया बांध	४,०००
,,	डुहिया–बरपरवा बांध	१,५००
डुमरियागंज	डुमरियागंज–बांसी रोड	६,०००
हरैया	कप्तानगंज–पोखरा रोड	१,९००
,,	विशेशरगंज–सांडपुर रोड	५००
बस्ती	जिरजिरवा–पोखरा रोड	२,५००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२५ पर)

प्रसंगगत २३,५०,००० रुपये का विवरण

	रु०
१—कृषि के सुधार के लिये	१,४०,०००
२—पशु-पालन के लिये	१,४०,०००
३—सिंचाई की सुविधाओं के लिये	७,००,०००
४—भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये	५६,०००
५—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत पीने के पानी की सुविधा के लिये ..	५६,०००
६—कुटीर उद्योगों के लिये	१२,५८,०००
योग ..	२३,५०,०००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९८ पर)

जिला खीरी, परगना कुकुरा व परगना भूड, तहसील लखीमपुर के ग्रामों की सूची जिनमें १९५७ ई० में अग्निकांड हुआ

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम जिनमें १९५७ ई० में अग्निकांड हुआ
	कुकुरा परगना
१	कुकुरा
२	सलीमपुर मजरा
३	रोशन नगरा
४	खुसालपुर, धर्मपुर
	मजरा ग्रांट नं ११, परगना भूड
१	अमृतापुर
२	सल्लिया
३	खानपुर
४	रामनगर खुर्द
५	अगगर खुर्द
६	भीरी
७	खमरिया
८	खलीलपुर
९	मुंडिया
१०	पलिया पुरवा
११	चौपटिया
१२	फतहा
१३	भटेहिया कलां
१४	टेढ़ी फार्म
१५	मझोरा
१६	पलहनापुर
१७	जौहरा
१८	गुलाबटांडा
१९	पडरिया पुरवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९९ पर)

सूची

मार्गों का नाम	प्राइवेट बसों की संख्या
१—अलीगढ़-खेर टप्पल	१७
२—अलीगढ़-छर्रा-दादों	१८
३—अलीगढ़-डिबाई-अनूपशहर	१६
४—सोमना-खेर टप्पल	२
५—अलीगढ़-पहासू	६
६—अलीगढ़-गंगीरी-वाया-कोडियागंज	५
७—अलीगढ़-वाजिदपुर वाया कोडियागंज	५
८—अतरौली-खुर्जा-वाया-पहासू	१
९—अलीगढ़-टोचीगढ़-वाया-गोंडा इगलास	३
१०—अलीगढ़-राजघाट-वाया-डिबाई	१
११—अलीगढ़-रामगढ़	६
१२—हाथरस-खेर-वाया-इगलास	५
१३—गोंडा-जलेसर	५
१४—अलीगढ़-अतरौली	१८
१५—अतरौली-कासगंज-वाया-छर्रा	३
१६—अलीगढ़-गोंडा-वाया-खेर	१
१७—अलीगढ़-लोहागढ़-वाया-साधू आश्रम, हरदुआगंज ..	२
१८—सोमना-नौझील	२
१९—अलीगढ़-बरौली सोमना स्टेशन, ...	२
२०—सिकन्दराराव-जलेसर-वाया-पुरदिनगर	२
२१—अकबरपुर-खेर टेटीका गांव	२
*२२—अलीगढ़-मथुरा	२

* इस मार्ग पर रोडवेज की बसें भी चलती हैं। हाईकोर्ट के stay order के कारण प्राइवेट आपरेटरों को वहां से अभी हटाया नहीं जा सका है।

विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०० पर)

अल्प बचत योजना के अन्तर्गत १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक उत्तर प्रदेश में जमा की गई धनराशि की कमिश्नरीवार सूची

नाम कमिश्नरी	वास्तविक (net) धन जो जमा किया गया
	रु०
१—मेरठ	९५,६३,१७३
२—आगरा	७४,१२,३६७
३—रुहेलखंड	८२,७५,११४
४—इलाहाबाद	१,१५,२६,८२५
५—झांसी	४२,२२,७६०
६—वाराणसी	५६,३६,२८३
७—गोरखपुर	३४,५२,४४२
८—कुमायूं	६५,८७,१९९
९—लखनऊ	१,१२,२७,३१२
१०—फैजाबाद	३५,६०,०२३

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०० पर)

झांसी जिले में अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक प्राप्त धनराशि तथा लक्ष्य का तहसीलवार विवरण

नाम तहसील			वास्तविक धनराशि जो जमा हुई	वित्तीय वर्ष १९५७–५८ का लक्ष्य
			रु०	रु०
१—झांसी	..	..	११,६३,३५५	१९,५१,०००
२—मोठ	..	..	१९,४७०	१,१०,०००
३—मऊ	..	..	९३,४०७	२,२०,०००
४—गरोठा	..	..	३२,०९२	२,५०,०००
५—ललितपुर	..	..	८३,२७२	२,४०,०००
६—महरौनी	..	..	३०,१३०	७५,०००

उदय पटेरिया विधायक

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२० का उत्तर पीछे ८०२ पृष्ठ पर)

लौनी ब्लाक के स्थापित होने पर (२ अक्टूबर, १९५३ से) उस ब्लाक के निम्नलिखित गांवों में किये गये उल्लेखनीय विकास-कार्य

करेहड़ा—

(१)	रबी के बीजों का वितरण	१५६ मन
(२)	कच्ची सड़क का निर्माण	१ मील
(३)	पीने के पानी के कुओं का निर्माण	३ मील
(४)	गलियों का "पेवमेन्ट"	२० गज
(५)	जिन कुओं का "डिसिन्फेक्शन" हुआ, उनकी संख्या ..	५ (प्रतिवर्ष दो बार)
(६)	आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिताएं	२
(७)	सामाजिक दिवस व बेबी शो	१
(८)	संस्थापित पुस्तकालय	१
(९)	कम्युनिटी तथा इनफार्मेशन सेन्टर	१
(१०)	यूथ क्लब	१
(११)	प्राइमरी स्कूल की इमारत	१
(१२)	प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटी	१

मेवला-आगरी—

(१)	रबी के बीजों का वितरण	१४५ मन
(२)	पीने के पानी के कुएं का निर्माण	१
(३)	जिन मरीजों की चिकित्सा की गई, उनकी संख्या ..	३०
(४)	जिन कुओं का "डिसिन्फेक्शन" हुआ, उनकी संख्या ..	४ (प्रतिवर्ष दो बार)
(५)	प्राइमरी कोआपरेटिव सोसायटी	१
(६)	माइनर इरिगेशन स्कीम के लिये ऋण	५०० रु०

मिर्जापुर

(१)	कच्ची सड़क की मरम्मत	१ १/२ मील
(२)	सुधरी नस्लों की गायों का वितरण	४ गाएं
(३)	बीजों का वितरण	५० मन
(४)	चिकित्सित पशु	२६५
(४)	पीने के पानी के कुओं का निर्माण	२
(६)	खेल-कूद प्रतियोगिताएं	२
(७)	पुस्तकालय	१
(८)	एक प्राइमरी स्कूल की मरम्मत	१
(९)	चिकित्सित व्यक्तियों की संख्या	१२५
(१०)	डी० डी० टी० स्प्रे	१३२ घर (प्रतिवर्ष दो बार)

मवई—

(१)	बीजों का वितरण	११५ मन
(२)	लगाया गया हैंड पम्प	१
(३)	गायों और भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान	५ गाएं व भैंसें
(४)	चिकित्सित मरीज	४५
(५)	हरिजनों के लिये एक नये पीने के पानी के कुएं का निर्माण	१

(६)	प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटी ..	.. १
(७)	कुओं का "डिसिन्फेक्शन" ..	.. ३ कुएं (प्रति वर्ष दो बार)

कनावनी--

(१)	कच्ची सड़क का निर्माण ..	.. १ १/२ मील
(२)	कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन	.. ११
(३)	सुधारे हुए बीजों का वितरण ..	.. ७६ मन
(४)	चिकित्सित पशु	..१७३
(५)	डी० डी० टी० स्प्रे	..२४३ घर (प्रति-वर्ष दो बार)
(६)	पीने के पानी के कुओं का "डिसिन्फेक्शन"	.. ५ कुएं (प्रतिवर्ष दो बार)
(७)	चिकित्सित व्यक्ति	.. ४७
(८)	खेल-कूद प्रतियोगिता	.. १
(९)	लगाये गये चेचक के टीकों की संख्या ..	..४१९
(१०)	प्राइमरी कोआपरेटिव सोसायटी ..	.. १

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०५ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, भलुअनी, जिला देवरिया में उनके खुलने की तिथि से १ नवम्बर, १९५७ तक किये गये जनहित कार्यों का विवरण

क्रम-संख्या	कार्य का नाम	संख्या
१	नेत्र-चिकित्सा शिविर	२
२	नया कुआं	४
३	कुओं की मरम्मत	६१
४	हैन्ड पम्प	३
५	प्राइमरी स्कूल बने	२
६	पक्की सड़क	२
७	खड़ंजा	१
८	पुलिया	१३
	योग ..	८८

नोट--उपर किये गये कामों के अलावा सिंचाई के लिये १०,००० रु० ऋण दिया गया और सरकारी सिंचाई की योजनायें भी शुरू की गईं जिन पर अभी केवल १,२५० रु० खर्च हुआ है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०९ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में किसानों की तरक्की के लिये किये जाने वाले कार्यों का विवरण

सिंचाई—

१—स्टेट ट्यूबवेल	१
२—प्राइवेट ट्यूबवेल	२
३—गूलों को पक्का करना	२ मील
४—पक्के कुएं	१०
५—पक्के कुओं की मरम्मत	१५
६—पम्पिंग सेट	४
७—रहट	७
८—बोरिंग	५

कृषि—

९—उन्नतिशील बीज का वितरण—	
खरीफ	२३७ मन
रबी	४,२२० मन
१०—हरी खादों का वितरण	६३० मन
११—रसायनिक खाद का वितरण—	
खरीफ	३८९ टन
रबी	७७८ टन

पशु-पालन—

१२—उन्नतिशील गायें, भैंसों का वितरण	३६
१३—उन्नतिशील सांडों का वितरण	२
१४—पशु-प्रदर्शनी जो की जायगी	२

शिक्षा व समाज शिक्षा—

१५—खोले जाने वाली प्रारम्भिक पाठशालायें	१
१६—समाज शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	१०
१७—मनोरंजन केन्द्रों की संख्या	३
१८—पाठशाला भवन की उन्नति	१२
१९—निर्माण किये जाने वाले भवनों की संख्या	४
२०—प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिये सामान	१,०००
२१—पुस्तकालय की उन्नति	१
२२—किसान मेला व प्रदर्शनी	१

यातायात—

२३—पक्की सड़क का निर्माण	१ मील
२४—कच्ची सड़क का निर्माण	५ ,,
२५—कच्ची सड़कों की मरम्मत	१० ,,
२६—पुलियों का निर्माण	१५ ,,
२७—गांधी चबूतरे	८

विधान सभा

जन-स्वास्थ्य—

२८—पानी पीने क कुएं	३०
२९—हैण्ड पम्प लगेंगे	१०
३०—पुराने कुओं का सुधार	२०
३१—गलियों में खड़ंजा लगेगा	१,७६० गज
३२—नाली पक्की बनेगी	१,७६० गज
३३—गांव में पक्के सोख्ते बनेंगे	५०
३४—गांव में कच्चे सोख्ते बनेंगे	१५०
३५—हरिजन घरों का सुधार	१०
३६—नेत्र-चिकित्सा शिविर	१

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में उसके खुलने की तिथि जुलाई, १९५७ से ३१ जनवरी, १९५८ तक किये गये विकास कार्यों का ब्योरा

सिंचाई—

१—कुएं खोदे गये, पक्के	५
२—कुएं खोदे गये, कच्चे	१५
३—कुएं की बोरिंग की व्यवस्था	५
४—रहट लगे	७
५—ट्यूबवेल	१
६—पुराने कुओं की मरम्मत	२३
७—पम्पिंग सेट	२

कृषि—

८—उन्नतिशील बीज का वितरण	४,३१९ मन
९—रासायनिक खाद का वितरण	७,७४२ ,,

पशु-पालन—

१०—उन्नतिशील सांड़ वितरित किये गये	४
११—बेकार सांड़ बधिया किये गये	१४०
१२—पशुओं की चिकित्सा की गई	७५९
१३—पशुओं को पोंकनी रोग के टीके लगवाये गये	८,१०३

जन-स्वास्थ्य—

१४—पानी पीने के कुओं का निर्माण	८
१५—पुराने कुओं की मरम्मत	८
१६—गलियों में खड़ंजा लगा	९६६ गज
१७—पतली नाली बनी	७६८ ,,
१८—हैंण्ड पम्प	२
१९—चेचक के टीके लगे	१,५००
२०—पुलिया निर्माण	१६
२१—पुल निर्माण	२
२२—कच्ची सड़कों का निर्माण	२१ मील
२३—कंकड़ की सड़क बन रही है	४ फर्लांग
२४—औषधालय निर्माण	१
२५—पंचायत घर बने	३

पी० एस० य० पी०—ए० पी०—१ एल० ए०—१९५८—८३५।